लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated On 30.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 32—शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1966/11 चैत्र, 1888 (शक)

No. 32—*Friday, April* 1, 1966/*Chaitra* 11, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
892.	सोने के स्थानों (स्लीपिंग बर्थ) का आरक्षण	Reservation of Sleeping Berths .	5925–27
893.	पटसन का मूल्य	Price of Jute	5927–28
894.	राज्यों द्वारा कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Textile Mills by States	5928–31
896.	मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर निर्माण कारखाना	Tractors' Unit in M.P. .	5931–33
897.	सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cement . .	5934–36
898.	रेलवे प्रशासन के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निणय	Allahabad High Court's Judgement regarding Railway Administration	5936
899.	भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ विलय	Merger of Indian Bureau of Mines with Geological Survey of India	5937–38
900.	नेपाल से प्रतिनिधि मण्डल	Delegation from Nepal . .	5938
902.	सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति	Ancillary Industries Sub-Committee	5938–39
903.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project . .	5940–42

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
891.	बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Bihar	5942–43
895.	काजू उद्योग	Cashew Industry	5943
901.	कार और स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Cars and Scooters	5943
904.	कोयला खानों को आधुनिक बनाना	Modernising Coal Mines . .	5944
905.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा पाइपों का संभरण	Supply of Pipes by Hindustan Steel Ltd.	5944

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव म पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—48 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
906.	उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity of Industries .	5944–45
907.	दुर्लभ पदार्थों का आयात	Import of Scarce Materials .	5945
908.	बस्तर के लिए नई रेलवे परियोजना	New Railway Project for Bastar	5946
909.	रेलवे पटरी के साथ वाली भूमि का आवंटन	Allotment of Land along Railway Tracks	5946
910.	रेलवे मुद्रणालय	Railway Presses . . .	5046–47
911.	म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर	Muir Mills Ltd., Kanpur . .	5947
912.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन	Revision of Lists of S.C. & S.T.	5947
913.	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant . . .	5947–48
914.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	H.E.C., Ranchi . . .	5948
915.	विद्युत् चालित करघों के लिये लाइसेंस देना	Licensing of Powerlooms . .	5948
916.	भारी इंजीनियरी निगम, रांची के लिये दस वर्षीय भावी इस्पात योजना	10-Years Perspective Steel Plan for Heavy Engineering Corporation, Ranchi . . .	5948–49
917.	रूस से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from U.S.S.R.	5949
918.	ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण	Manufacture of Transistor Sets .	5949
919.	बेलाडिल्ला में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Balladilla . .	5950
920.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कारखाने	Factories in the Public and Private Sectors	5950
अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3088.	केरल में खिलोने बनाने का कारखाना	Toy Manufacturing Unit in Kerala	5950
3089.	केरल में स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना	Slate Pencil Manufacturing Unit in Kerala	5951
3090.	एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन	Ernakulam-Trivandrum Railway Line	5951
3091.	बहादुरगढ़ स्टेशन पर यात्री प्लेटफार्म के ऊपर छत	Shelter over Passenger Platform at Bahadurgarh . . .	5951
3092.	दिल्ली और रोहतक के बीच रेलगाड़ी	Train between Delhi and Rohtak	5952
3093.	रेलगाड़ियों की सीधी जाने वाली बोगियों में स्थान की व्यवस्था	Accommodation in Through Bogies	5952
3094.	रेलवे स्टेशनों को मिलाने वाली सड़कें	Railway Feeder Roads . .	5952–53
3095.	रेलवे स्टेशनों पर चाय के स्टाल	Tea Stalls on Railway Stations	5953

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3096.	मेट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarships . .	5953
3097.	उत्तर प्रदेश से आलू भेजना	Transport of Potatoes from U.P.	5954
3098.	मन्नारगुडी स्टेशनपर रेलवे साइडिंग	Railway Siding at Mannargudi Station	5954
3100.	यवतमाल और दरवाह स्टेशनों पर सायबान (शैड)	Sheds in Yeotmal and Darwha Stations	5954
3101.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors . .	5954–55
3102.	बर्मा को सूखी झींगा मछली का निर्यात	Export of Dried Prawn to Burma	5955–56
3103.	केरल में पार्वती मिल्स का बन्द किया जाना	Closure of Parvathi Mills in Kerala	5956
3104.	फीरोजपुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Ferozepur .	5956
3105.	ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Tractors . .	5957
3106.	आन्ध्रप्रदेश में सीमेंट फैक्टरी	Cement Factory in Andhra Pradesh	5957
3107.	रिजर्वेशन कार्यालय के कर्मचारी	Reservation Office Staff . .	5957–58
3108.	ट्यूब बनानेवाले कारखाने	Tube Manufacturing Factories .	5958
3109.	ट्रकों और बसों का निर्यात	Export of Trucks and Buses .	5958
3110.	कोयले का निर्यात	Export of Coal	5959
3111.	डीजल इंजनों से चलने वाली रेलगाड़ियाँ	Trains run with Diesel Locomotive	5959
3112.	डुमराव और टुडीगंज स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Train between Dumaraon and Twining Ganj Station	5959–60
3113.	बरेली के निकट रेलगाड़ी में डकैती	Train Dacoity near Bareilly .	5960
3114.	अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के देशों में कपड़ा मिलें	Textile Mills in African and Latin American Countries .	5960
3115.	रेलवे की पटरियों पर विस्फोट	Explosions at Railway Tracks .	5960–61
3116.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	5961
3117.	रेत निकालने पर प्रतिबन्ध	Ban on Excavation of Sand .	5961
3118.	आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति के मन्दिर में बालों का चढ़ाया जाना	Hair offered in Tirupati Temple, Andhra	5962
3119.	पश्चिमी बंगाल में वस्त्र-उद्योग	Textile Industry in West Bengal	5962–63
3120.	मनुष्य के बालों का निर्यात	Export of Human Hair . .	5963
3121.	रेलवे की भूमि	Railway Lands . . .	5963
3122.	माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons . . .	5963–64
3123.	छोटे ट्रक्टर	Small Tractors . . .	5964
3124.	कोयले के उत्पादन में कमी	Fall in the Production of Coal	5964

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3125.	बाल बेयरिंग का निर्माण	Production of Ball Bearings .	5965
3126.	रायगाडा में ऊपर का पुल	Over-bridge at Rayagada . .	5965
3127.	उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग	Handicraft Industries in Orissa	5965
3128.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	Colonies for S. C. and S. T. in Orissa	5966
3129.	उड़ीसा में अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र	Amber Charkha Training Course in Orissa	5966
3130.	उड़ीसा में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	5966–67
3131.	पाकिस्तान को निर्यात	Exports to Pakistan . .	5967
3132.	ब्रिटेन को चाय का निर्यात	Export of Tea to U.K. . .	5967–68
3133.	यूरोप में बिक्री अनुभाग	Sales Section in Europe . .	5968
3134.	तिरुर से बुक किये गये अंडे	Eggs booked from Tirur . .	5968–69
3135.	तिरुर से बुक किये गये पान	Betel Leaves booked from Tirur	5969
3136.	रेलव में परिचालक वर्ग (रनिंग स्टाफ)	Running Staff on Railways .	5969
3137.	कागज का आयात	Import of Paper . . .	5970
3138.	हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना	H. M. T. Factory . . .	5970
3139.	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of a Colliery . .	5970
3140.	गुडला स्टेशनपर दुर्घटना	Accident on Gudla Station .	5970–71
3141.	पश्चिम जर्मनी को चाय का निर्यात	Export of Tea to West Germany	5971
3142.	रेलवे स्टेशनों पर शाकाहारी भोजनालय	Vegetarian Kitchens on Railway Station	5971–72
3143.	बंदरों का निर्यात	Export of Monkeys . . .	5972–73
3144.	बिहार में नई खान का पता लगाना	Discovery of New Mine in Bihar	5973
3145.	उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सेवक	Attendants of Upper Class Passengers	5973–74
3146.	टिकटों पर रेल किराये में परिवर्तन	Changes in Railway Fares on Tickets	5974
3147.	माल डिब्बे खरीदने के लिये धन की कमी	Paucity of Funds for Purchase of Wagons	5974
3148.	सहाबर स्टेशन पर रेलवे यात्री को गोली से मार दिया जाना	Shooting of a Railway Passenger at Shawar Station . . .	5975
3149.	मुरादाबाद स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Moradabad Station	5975

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3150.	मद्रास में कताई तथा बुनाई मिलों का बन्द होना	Closure of Spinning and Weaving Mills in Madras .	5975–5976
3151.	गैर-ईसाई आदिवासियों में शिक्षा का विकास	Educational Development among Non-Christian Adivasis . .	5976
3152.	चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में छंटनी	Retrenchment in Chakradharpur Railway Division . . .	5976
3153.	महाराष्ट्र में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Maharashtra	5976–77
3154.	महाराष्ट्र में आदिम जाति खण्ड	Tribal Blocks in Maharashtra .	5977
3155.	महाराष्ट्र में हस्तशिल्प उद्योग	Handicrafts Industry in Maharashtra	5978
3156.	श्रम प्रधान उत्पादों का निर्यात	Export of Labour-intensive Products	5978
3157.	कारों का आयात	Import of Cars . . .	5978–79
3158.	कॉफी का उत्पादन	Production of Coffee . .	5979
3159.	हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी में बालीकुड़ा स्टेशन पर आग लग जाना	Fire in Howrah bound Express at Balikuda	5980
3160.	सड़क कूटने के रोलरों का निर्माण	Manufacture of Road Rollers .	5980
3161.	भारी प्लेट तथा जहाज परियोजना	Heavy Plate and Vessels Project	5981
3162.	नकली रेशम का आयात	Import of Artificial Silk . .	5981
3163.	कोयले का मूल्य	Price of Coal	5981
3164.	त्रिपुरा में पटसन का कारखाना	Jute Factory in Tripura . . .	5982
3165.	विद्युत् चालित करघों को लाइसेंस दिया जाना	Licensing of Powerlooms . .	5982
3166.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन	Revision of List of S.C. & S.T.	5982
3167.	वातानुकूलित डिब्बे	Air-conditioned Coaches . . .	5983
3168.	बिहार में कागज बनाने के कारखाने	Paper Plants in Bihar . .	5984
3169.	बल्गेरिया से व्यापार प्रतिनिधिमण्डल	Trade Delegation from Bulgaria	5984
3170.	पंजाब मे रेलवे सम्पत्ति की हानि	Damage to Railway Property in Punjab	5984
3171.	सोनतलाई और बाकंज स्टेशनों पर टिकट घर (बुकिंग आफिस)	Booking Offices at Sontalai and Bakanj Stations . . .	5985
3172.	केरल में रबड़ का कारखाना	Rubber Factory in Kerala .	5985
3173.	केरल में उत्पादन केन्द्र	Production Centre in Kerala .	5985
3174.	चंडीगढ़ स्टेशन पर पार्सल सायडिंग	Parcel siding at Chandigarh Station	5986
3175.	बनखेडी पर बिलासपुर-इन्दौर एक्सप्रेस गाड़ी का रुकना	Halt of Bilaspur-Indore Express at Bankhedi	5986

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों के निलम्बन के बारे में	Re: Suspension of Members .	5986
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance— .	
कुछ निरुद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य	Health of Certain Members in Detenus	5986–87
व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में	Re: Points of Order . . .	5987
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	5987–88
राज्य सभा से सन्देश .	Messages from Rajya Sabha .	5988
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills . .	5988
सभा का कार्य	Business of the House . .	5988–92
उपज उपकर विधेयक—पुरःस्थापित	Produce Cess Bill—Introduced .	5992
सामान्य आयव्ययक-अनुदानों की मांगें—	General Budget—Demands for Grants—	
विधि मंत्रालय	Ministry of Law—	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	5993–94
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	5994–95
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit . . .	5995–97
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee . .	5997–98
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma . .	5998
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey .	5999
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh. .	5999
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . .	.5999–6000
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	6000
श्री बालकृष्णन	Shri Balakrishnan . .	6000–01
श्री हिम्मत सिंहका	Shri Himatsingka . .	6001
श्री गोपालस्वरुप पाठक	Shri G. S. Pathak . .	6001–02
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
83वां प्रतिवेदन	Eighty-third Report .	6002
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced— . . .	
(1) राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक, [श्री स० चं० सामन्त का]	(i) National Rifle Training Scheme Bill by Shri S.C. Samanta . . .	6002
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, अनुच्छेद 239 क का संशोधन [श्री नवल प्रभाकर का]	(ii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 239 A) by Shri Naval Prabhakar	6002–03

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संविधान (संशोधन) विधेयक(अनुच्छेद 152, 370 आदि का हटायाजाना) [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का]—वापिस लिया गया—	Constitution (Amendment) Bill—(Omission of articles 152, 370, etc.) by Shri Prakash Vir Shastri—withdrawn—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider . . .	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	6003,6005
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey .	6003
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida .	6004
श्री समनानी	Shri Samnani	6004
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	6005
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	6005–06
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	6006–07
श्री त्यागी	Shri Tyagi	6007
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta . .	6007–08
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan . .	6008
श्री श्याम लाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	6008–09
श्री बिशन चन्द्र सेठ	Shri Bishanchander Seth . .	6009
श्री गोपाल दत्त मेंगी	Shri Gopal Datt Mengi . .	6009
श्री हाथी	Shri Hathi	6009–11
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	6011
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	Constitution (Amendment) Bill . (Amendment of articles 75 and 164) by Shri H. V. Kamath—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	6012
दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक—	The Delhi Secondary Education Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा उसके समक्ष दिया गया साक्ष	Report of Joint Committee and Evidence	6005
सदस्य की रिहाई—	Release of Member—	
(श्री लक्ष्मी दास)	Shri Laxmi Dass . . .	6012

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1966/11 चैत्र, 1888 (शक)
Friday, April, 1, 1966/Chaitra 11, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reservation of Sleeping Berths

+
***892. Shri Bhagwat Jha Azad : Shri Subodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people have to face a lot of difficulty in getting sleeping berths in trains, whereas no difficulty is experienced by the people who secure accommodation by giving bribe;

(b) the steps being taken to save the people from becoming victims of corruption in getting sleeping berths; and

(c) the reasons for not making similar arrangements for third class passengers as exist for the air-conditioned and first class passengers in the matter of reservation of seats ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir. At times, particularly during periods of rush, some difficulty is occasionally experienced by passengers in getting sleeper berths, as the demand for such accommodation is very heavy.

(b) A statement is laid on the table of the Sabha. [**Placed in the Library See No. LT-5958/66.**]

(c) General Rules for reservation of accommodation are common for all classes. Reservation of seats in III class is arranged on several Railways. But, with the available train service, it is not feasible to extend this facility completely.

Shri Bhagwat Jha Azad : If there is no truth in the statement that there is no dishonesty in the reservation of berths, may I know whether the hon. Minister has ever travelled by Toofan Express even upto Agra ? If so, whether he has come to know that berths can be made available on payment of four or five rupees ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have replied with the same emphasis with which the question was asked. It was asked whether no difficulty is experienced by the people who secure accommodation by giving bribe. I agree that there are some difficulties and mischiefs. Some persons have been dismissed because of that.

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether it is not a fact that berths are not available for reservation but the railway employees reserve some berths in the name of the headquarter or by some other methods and release seats on the way on getting money ?

Dr. Ram Subhag Singh : There are such complaints against the headquarters and action has been taken against them. Some persons have been removed from service due to this reason and action is being taken against other persons. The seats are available at the headquarter from where the trains start. Some persons misuse it. No quota is fixed for intermediate stations.

श्री रा० स० पाण्डेय : यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, क्या रेलवे मंत्री ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है, जिस से कि यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके ? इसमें कितना समय लगेगा ?

डा० राम सुभग सिह : हम योजना बना रहे है कि रात्रि के समय चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों के लिए ज्यादा से ज्यादा चौथी योजना के अन्त तक स्लीपिंग बर्थ की व्यवस्था की जाये। हमने यह कार्य आरम्भ कर दिया है और मीटर लाइन के लिये लगभग 550 तथा बड़ी लाइन के लिए 555 स्लीपर डिब्बे बनाये जा रहे है।

Shri Yashpal Singh : Do the Government know that corruption cannot be routed out till the demand is more than the supply. What is the difficulty in constructing more sleeping coaches ? It is not a question of facing Pakistan or China. It is not a question of making formidable efforts. It is a question of revenue for the railways. I would like to know the time by which we will become self-sufficient in this matter ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is difficult to draw a line in the matter of self-sufficiency. Regarding corruption, the hon. Member has himself said that it would continue till the demand is more than supply. But it is the duty of the Government to try to stop all unfair practices. I assure him that there will be no hesitation in making efforts in that direction.

Shri Sidheshwar Prasad : In reply to a supplementary question, the minister just now stated that reservation facilities are available at only a few stations other than the headquarters. I would like to know the difficulties in extending the reservation facilities and the time by which arrangements would be made for providing reservation facilities at other stations ?

Dr. Ram Subhag Singh : There are some complaints from Lucknow. Some trains start from that Station.

The trains generally start from Howrah, Bombay, Delhi, Madras etc. and the reservation is done there. Sleeping accommodation is available in 113 pairs of trains only whereas the total number of trains is 5613. There are 606 sleeping coaches on broad gauge and 376 on metre gauge. There is more pressure in this regard and it is not possible to provide reservation at all stations. Efforts are being made to provide this facility at the stations on district headquarters and some big stations and also at small stations, wherever possible.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The conductors in the sleeping coaches have to keep sitting throught the night and they are not provided with the facility to relax. Do the Government propose to provide some accommodation for them ?

If it also a fact that the Members of Parliament travelling in Sleeping Coach have also to pay Rupees 3.50 for a berth and whether any such circular has been issued and if so, the reasons therefor ?

Dr. Ram Subhag Singh : If there is any such circular, it will be withdrawn, because the Members of Parliament are given first class passes and I agree that this facility ought to be extended to them. Lacuna, if any, will be removed.

If there is any difficulty of sitting accommodation for conductor guards, it will be removed. We are first trying to give sleeping facilities to third class passengers. Unless that is done, it will not be proper to provide this facility to the railway employees.

Price of Jute

***893. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of jute ranged between Rs. 40 to Rs. 45 per maund this year ; and

(b) if so, whether Government propose to purchase jute from farmers at a fixed rate during 1966 ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : कच्चे जूट की फसल कम होने के कारण कलकत्ता में दिये गये कच्चे जट की असम बाटम किस्म की कीमतें 1965-66 के मौसम में 112.53 रु० और 178.17 रु० प्रति क्विंटल (क्रमशः 42.00 रु० और 66.50 रु० प्रति मन के अनुरूप) के बीच रहीं। ये कीमतें 30 रु० प्रति मन की निम्नतम आधार कीमत से पहले ही अधिक है, अतः किसी नियत दर पर कच्चा जुट खरीदने की कोई आवश्यकता नही हैं।

Shri Bibhuti Mishra : The Government had said that they will buy jute in Calcutta at the rate of Rupees thirty per maund. The rate in the primary market at that time was Rupees twenty or twenty-five per maund. The present rate in the primary market is Rupees sixty per maund. I would like to know the difficulty faced by the Government to buy at that rate in Calcutta ?

Shri Shafi Qureshi : The prices have risen due to shortage of jute. We have fixed minimum price and the Agricultural Price Commission has also fixed the rate of Rupees 35. It is our endeavour that the rate for 90 lakh bales, which we want to produce, should not be less than Rs. 35 per maund. Due to less production the demand has risen and therefore the price of jute has risen.

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been replied. I will ask my second question afterwards. I want the reply to this question. The Government had first said that they will buy in Calcutta at the rate of Rupees thirty per maund. At that time it was sold at the rate of Rs. 25 in the primary market. But the rate now prevailing in the Primary market is between Rs. 55 and 60 whereas the Government says that they will buy at the rate of Rs. 30 per maund. At that time the trade of both Pakistani and Indian jute was open. I would like to know why the Government do not want the farmers to give that much even.

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : Fortunately, the prices have risen very high due to shortage. It does not mean that the Government should pay more than the minimum price fixed on the basis of social justice. It has nowhere been said that it must be purchased at fixed price. We have fixed the minimum price.

Shri Bibhuti Mishra : Social justice should be for farmers as well as for others. I would like to know why the Government are compelling the farmers to sell at Rs. 30 per maund.

Shri Manubhai Shah : They are not being compelled. The Government is not purchasing.

Shri Bibhuti Mishra : It seems that the Government compells the farmers to sell in Calcutta at Rs. 30 per maund whereas the rate in free market is Rs. 55 or Rs. 60 per maund. Why do the Government not give social justice to us. Why dont they buy at Rs. 55 in the primary market ?

Shri Manubhai Shah : Support price means that the Government should interfere if the price falls, so that the growers should get a good price. The rate of Rs. 30 per maund was fixed in Calcutta after years of experience. It is a matter of chance that the crop failed and there was a production of 52 lakh bales instead of 80 lakh bales. The prices have consequently risen. The farmers have benefitted thereby. It does not, however, mean that support price should also be increased.

राज्यों द्वारा कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेना

+

***894. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें सम्बन्धित राज्यों पर वित्तीय दायित्व बन गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मिलों को अपने अधिकार में लेने की नीति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : इस स्थिति पर विचार करने का कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों का है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा मिलों को अपने अधिकार में लिये जाने का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार के पास इसकी जानकारी नही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जाने वाली मिलें सामान्यत: अच्छी तरह से और कुछ लाभ पर चल रही हैं।

श्री स० चं० सामन्त : जिन राज्य सरकारों ने अच्छी तरह न चल रही मिलों को अपने हाथ में लिया है, क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कुछ वित्तीय सहायता मांगी है ?

श्री शफी कुरेशी : राज्य सरकारों की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने अब तक 15 मिलें अपने हाथ में ले ली हैं।

श्री स० चं० सामन्त : जो मिलें घाटे पर चल रही हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार किन शर्तों पर अपने हाथ में लेगी ?

श्री शफी करेशी : मिलों का वित्तीय दायित्व आधा केन्द्र सरकार पर होगा और आधा राज्य सरकारों पर।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is not the duty of the Government to see that the mills taken over by the State Governments, and in which the capital the Central Government's as also of State Government is involved are run in a proper manner and not at a loss ? Whether there is any coordination regarding those mills ?

Shri Shafi Qureshi : We appoint controllers with a view to run the mills on profit and regular investigation is made from time to time with a view to run them on profit. The mills taken over by the centre are not undergoing loss, rather they are making profit.

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में ऐसी कितनी वस्त्र मिलें हैं जो बन्द होने के निकट हैं, कितनी मिलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और कितनी मिलों को बिलकुल समाप्त कर दिया गया है। यदि हां, तो क्या उनके स्थान पर नई मिलें स्थापित की जायेंगी।

श्री शफी कुरेशी : अभीतक केवल 10 मिलों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। हमने 10 मिलें अपने हाथ में ले ली हैं, जब भी आवश्यकता होगी और जाच के बाद मालूम होगा कि कुछ मिलें लाभ पर नहीं चल रही है या उनसे बेरोजगारी पैदा होती है, तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और उन्हें अपने हाथ में ले लेगी।

Shri Rameshwar Tantia : The Government had decided, over six months ago, to take over Muir Mills at Kanpur. That mill has not begun work so far. Seven thousand labourers are unemployed because of that. I would like to know the action being taken by the Government in that regard so that the mill could start work as early as possible.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : देश में 583 मिलें है, जिन में से केवल 18 के बन्द होने का खतरा है और उनमें से 10 केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। शेष 8 में से, 3 मिलों के बारे में जाच हो रही है। 5 मिलों को लाभप्रद रूप से चलाने के योग्य नहीं समझा गया है। अतः बंद कर दिया गया है। अपने नियंत्रण में ली गई 10 मिलों में से 2 मिल केन्द्रीय सरकार चला रही है और शेष 8 राज्य सरकारें चला रही हैं। माननीय सदस्य ने म्योर मिल के बारे में कहा है। अधिकृत नियंत्रक ने उसे अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें 60 लाख रुपये के ऋण देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। हमें आशा है कि अप्रैल के दौरान मिल कार्य आरम्भ कर देगी।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार किन सिद्धान्तों पर इस बात का निर्णय करती है कि कोई मिल राज्य सरकार द्वारा चलाई जायेगी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ? क्या उन सिद्धान्तों का पूरी तरह पालन किया गया है।

श्री मनुभाई शाह : मुख्य सिद्धान्त यह है : जहां तक उत्तरदायित्व लेने का सम्बन्ध है, दोनों सरकारें समान हैं क्योंकि विधि के अनुसार जब राज्य सरकार मिल चलाती है तब वह वास्तव में केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः कानूनी नियंत्रण के अधीन होती है और वही उसकी मालिक होती है। अन्तर केवल यह है कि जब मिल छोटी होती है अथवा अधिक धन की आवश्यकता नही होती और स्थानीय सरकार उसे स्वयं चलाने की इच्छा व्यक्त करती है तो केन्द्रीय सरकार उसे अपनी वित्तीय जिम्मेवारी पर सामान्यतः चलाने की अनुमति देती है। जहां अधिक धन की आवश्यकता हो अथवा कुछ विशेष कारणों से केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करें कि उसे इस में भाग लेना चाहिये तो केन्द्रीय सरकार उसे चलाती हैं, उदाहरणार्थ पांडीचेरी राज्य अथवा किसी अन्य क्षेत्र में। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकार एक ही हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : A mill at Indore is lying closed. The labour union wanted to invest money but the court gave a decision that the funds of labour union cannot be invested in such things. I would like to know whether the Minister will try to get a decision of the Government that in future permission may be given to the labour unions to invest funds for running the mills.

Shri Manubhai Shah : It is not practical to invest the funds of the poor l abourers in the mills which are not in good condition and which need lakhs of rupees and it is not practical for the Government to repay that to the labourers. Where there is a question of setting up new mills, workers' cooperatives, agriculturists' co-operatives and labour union co-operatives are encouraged.

श्री रा० स० पाण्डेय : श्रीमान्, सामान्यत: प्रबन्धक तब तक मिलें चलाते हैं जब उन्हें लाभ प्राप्त होता रहता है। जब लाभ नही होता अथवा कम लाभ होता है तो वे उन मिलों को सरकार को देने का प्रयत्न करते हैं। जो वस्त्र मिलें बन्द कर दी जाती हैं, उन्हें लेने से पहले इसके कारणों की उचित जांच की जानी चाहिये। मैं कई ऐसी मिलों के बारे में जानता हूं जिनमें प्रबन्धकों ने लाभ उठाने का प्रयत्न किया और जब उन्हें यह मालूम हो गया कि उन में कुछ लाभ नही है, तो उन्होंने वे मिलें सरकार को देने का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो जानकारी दे रहे हैं।

श्री रा० स० पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को बन्द हुई मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या हिचकिचाहट है ?

श्री मनुभाई शाह : प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 तक नई मिलें स्थापित होती हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि 600 मिलों में अधिकांश मिलें घाटे पर चल रही है अथवा प्रबन्धक उनका कुप्रबन्ध तथा विनाश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बुरे लोग तथा बुरे प्रबन्धक भी हैं। सब से पहले मैं उस प्रश्न द्वारा सदस्यों के मन में पैदा की गई इस चिन्ता को दूर करना चाहता हूं कि बहुतसी मिलें ठीक तरह नहीं चल रही हैं। अधिकांश मिलें बहुत कुशलतापूर्वक चल रही हैं और अच्छा कपड़ा बना रही हैं। 20, 25 ऐसी मिलें हैं जो पिछले लगभग 50 या 100 अथवा 150 वर्ष से चल रही हैं तथा कुप्रबन्ध, घटिया मशीनरी अथवा धन की कमी के कारण उनके स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है। मने इस सभा में पहले ही बताया है कि ऐसे मामलों के लिए हम उद्योग अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं जिसके अनुसार जब कोई मिल केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ले लेगी और वह समझगी कि उसे मितव्ययतापूर्वक चलाया जा सकता हैं तो उन्हें पुराने प्रबन्धकों को देने की बजाय उनके नियंत्रण अधिकार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the Government have considered that in the mills running at a loss due to mismanagement 25 per cent shares should be given to State Governments, 25 percent to Central Government and 50 per cent to workers. If necessary, provident fund of the worker may be invested in the shares.

श्री मनुभाई शाह : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री रामेश्वर टांटिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया था कि मुईर मिल्स को चलाने के लिए सरकार 60 लाख रुपया दे रही है। क्या यह सही है कि मुईर मिल्स इस कारण पुन: चालू नहीं हुई है कि इसे एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की जरूरत है; और क्या यह राशि दे दी गई है या दी जा रही है क्योंकि राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि मिल 1 मई, 1966 को पुन: चालू हो जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा प्रारम्भिक अनुमान यह है कि मिल को 60 लाख रुपये की जरूरत है। 1.60 करोड़ रुपये की नहीं। यदि मिल को और राशि की जरूरत पड़ेगी तो वह दे दी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह राशि मिल को दे दी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : हम आदेश जारी कर चुके हैं। भारत के राज्य बैंक द्वारा मुईर मिल्स के प्राधिकृत नियंत्रक को 60 लाख रुपया दिया जाना है जिस में से 10 लाख रुपया दिया जा चुका है। 50 लाख रुपया शीघ्र ही उसे दे दिया जायेगा। भविष्य में यदि और धन की जरूरत पड़ेगी तो हम उस बारे में विचार करेंगे।

श्री जसवन्त मेहता : मिल्स में, जिसे सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है, केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : पूंजी लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम 5 अथवा 10 वर्ष के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के तौर पर मिल को अपने अधीन ले रहे ह। इसलिए, ऐसी सब राशियां ऋण के रूप में इन संस्थाओं के नाम में डाल दी जाती हैं।

श्री जसवन्त मेहता : राशि कितनी है ?

श्री मनुभाई शाह : विभिन्न मिलों के लिये विभिन्न राशि है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलें नये डिज़ाईन तैयार करना नहीं चाहती और क्या सरकार ने सभी मिलों से कहा है कि बजाये सरकार से सहायता प्राप्त करने के वे उन्हें आधुनिक रूप दें ?

श्री मनुभाई शाह : दो मास पूर्व मैं ने पश्चिम बंगाल में कल्याणी मिल्स का उद्घाटन किया था जो आधुनिकतम मिलों में से एक है। इसी प्रकार जयपुर में पोदार टेक्सटाइल मिल्स का भी उदघाटन किया है जो संसार भर में सब से अच्छी मिलों में से एक होगी।

श्री के० दे० मालवीय : क्या मेरी यह धारणा सही है कि यदि कोई मिल कुशलतापूर्वक नहीं चलती तो सरकार स्वयं उसे चलाती है और जब वह ठीक ढंग से चलने लगती है तो पुनः उसे पुराने संचालकों के हवाले कर दिया जाता है जो अकुशल होते हैं और जिन्होंने समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नही किया है ?

श्री मनुभाई शाह : हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं। शीघ्र ही सभा में एक विधेयक पेश किया जायेगा जिस के अनुसार ऐसी मिलें जो सरकार द्वारा अपने अधीन ले लेने पर लाभकारी ढंग से चलने लगें, सरकार, यदि उचित समझेगी तो, उन पर अपना नियंत्रण रख सकेगी।

मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर निर्माण कारखाना

+

*896. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**	**श्री चांडक :**
श्री शिवदत्त उपाध्याय :	**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
श्री उइके :	**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री अ० सिं० सहगल :	**श्री वाडिवा :**
श्री रा० स० तिवारी :	**श्री पाराशर :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक कृषि-ट्रैक्टर निर्माण कारखाना स्थापित करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के आवेदनपत्र को पुर्जों की क्षमता उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(ख) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सरकार का लक्षित क्षमता का पुनरीक्षण करने तथा इस आवेदनपत्र पर पुनर्विचार करने का इरादा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों की अनुमानित मांग पूरी करने हेतु क्षमता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी थी। और अधिक लाइसेंस देने के लिए गुंजाइश न होने के कारण राज्य सरकार की योजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अनाज का उत्पादन बढ़ाने के विचार से क्या सरकार मध्य प्रदेश को काफी सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि वहां एक ट्रेक्टर बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सके ?

श्री संजीवैया : वर्ष 1963 के अन्त में समूचे प्रश्न पर विचार किया गया था और मांग एवं स्थापित क्षमता में बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया। इसलिए 13 जनवरी, 1964 को ट्रेक्टर बनाने के लिए आवेदन करने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। अन्तिम तारीख 29 फरवरी, 1964 थी परन्तु मध्य प्रदेश सरकार का आवेदन 1964 अन्त में प्राप्त हुआ था। इस बीच में 10 नवम्बर, 1964 को ट्रेक्टरों का निम्न कोटा अलाट करने का निश्चय किया गया : 20 से 35 एच० पी० टैफे, मद्रास 7,000, इंटर्नेशनल ट्रैक्टर्स 7,000; ट्रैक्टर और बुलडोज़र 2,000; एस्कार्टस् 7,000 ; ईशर ट्रैक्टर्स कारपोरेशन 2,000 ; 35 से 50 एच० पी० ट्रैक्टर और बुलडोज़र 5,000। इन के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने में 12,000 ट्रैक्टर तैयार होंगे। चौथी योजना के अन्त में कुल 40,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की मांग का अनुमान है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार के आवेदन पर भी विचार करेगी और चौथी योजना में उसे कार्यान्वित करेगी ?

श्री संजीवैया : लगभग 40,000 ट्रैक्टरों की जरूरत होगी और हम 42,000 ट्रैक्टर तैयार करने के लिए लाइसेंस दे चुके हैं। इसलिए अब और लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अन्य प्रकार के उद्योगों के लिए जब आप उन के लिए निर्धारित लक्ष्यों से कही अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस दे चुके हैं तो इस मामले में इस प्रकार का दृष्टि-कोण क्यों अपनाया गया है जब कि हम कृषि विकास पर इतना ज़ोर दे रहे हैं और विशेषकर जब कि यह आवेदन एक राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है ?

श्री संजीवैया : सरकारी क्षत्र की परियोजना को छोड़ कर शेष पांच ऐसे कारखाने है जिन्होंने विस्तार के लिए आवदन किया था और उस के लिए मंजूरी दे दी गई है। तीसरी योजना में उन का कार्य सन्तोषजनक रहा है और हमें विश्वास है कि उन में उत्पादन सन्तोषजनक होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न तो यह है कि जब सभी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से कही अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं तो उस विशेष मामले में ऐसा रुख क्यों अपनाया जा रहा है जबकि यह आवेदन राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है ?

श्री संजीवैया : यह ठीक है कि विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक उत्पादन से कहीं अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। परन्तु ऐसा हम नई पार्टियों को लाइसेंस देते समय ही करते हैं। अब स्थिति यह है कि पार्टियों को लाइसेंस पहले से मिले हुए हैं, उत्पादन हो रहा है और उन का कार्य सन्तोषजनक है। हमें विश्वास है कि लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे।

Shri Yashpal Singh : I want to know the number of farmers in Madhya Pradesh who are unable to get tractors in spite of the fact that they have finances with them, as also the time by which Government would be able to provide them with tractors ?

श्री संजीवैया : मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने पंजाब में एक ट्रेक्टर निर्माण यूनिट स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि नही, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री संजीवैया : मैं ने चौथी योजना के कार्यक्रम का ब्योरा दे दिया है। मैं किसी भी राज्य में और कारखाना स्थापित करने की जरूरत नहीं समझता। सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया जाना है जिस के स्थान के बारे में अभी निश्चय नही हुआ है। हो सकता है वह पंजाब में स्थापित किया जाये।

Shri Rameshwaranand : In view of the fact that the majority of the farmers in India are having small holdings, is any plough is being produced which may be attached to two oxen to enable the farmersto cultivate maximum acreage of land whereby maximum production could be achieved ?

श्री संजीवैया : खेती के छोटे औजार भी तैयार किये जा रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार को ज्ञात है कि ट्रेक्टरों, खुदाई की मशीनों और बुलडोजरों की कमी है और कि आवेदन करने पर भी किसानों को ये चीजें दो या तीन साल तक नहीं मिल पाती, यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में नये कारखाने लगाये जायेंगे ?

श्री संजीवैया : जहां तक ट्रेक्टरों का प्रश्न है इन की मांग है और हम अधिक ट्रेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री वारियर : इस तथ्य की दृष्टि से कि सरकार द्वारा अभी इस बात का फैसला नही किया गया है कि ट्रेक्टर का कारखाना कहां लगाया जाये मध्य प्रदेश सरकार के आवदन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार क्यों नही किया जाता ?

श्री संजीवैया : यह केन्द्रीय प्रयोजना है जिसे चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से कार्यान्वित किया जायेगा। वह इस के लिए कुछ ऋण दे रहा है। हम उस का लाभ उठा रहे हैं। यह कारखाना मध्य प्रदेश में भी लगाया जा सकता है।

श्री फिरोडिया : सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने वाला ट्रेक्टर कितनी हार्स पावर का होगा ?

श्री संजीवैया : सरकारी क्षेत्र में यह 12 और 18 हार्स पावर का होगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In view of the fact that the areas of Madhya Pradesh are not fertile, by which time Government would be prepared to set up a factory there as the hon. Minister has said that Madhya Pradesh is not ruled out; also, on what basis the licences have been given, whether they have been given to the areas which are more fertile or to those which are not fertile ?

श्री संजीवैया : लाइसेंस दिये जा चुके हैं। और लाइसेंस देने का प्रश्न नही उठता। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नये ट्रेक्टर बनने में 1 जनवरी, 1967 से 18 मास लगेंगे। जहां तक विस्तार कार्यक्रम का सम्बन्ध है उस के लिए नये लाइसेंस नही दिये गये। उन में से एक कारखाना मद्रास में है, दूसरा बड़ौदा में, तीसरा बम्बई में, चौथा फरीदाबाद में आदि आदि। इस लिए नये लाइसेंस देने का प्रश्न नही उठता।

2—48 L. S./66

+ **सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाना**

***897. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट पर से प्रयोगात्मक रूप से नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति का अध्ययन करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) इस समिति के कृत्य और अधिकार क्या होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : चर्चा में जो विभिन्न बातें उठाई गई थीं उन्हें ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर से कंट्रोल हटाये जाने की कार्य प्रणाली की देख-रेख करने के लिये संसद् सदस्यों की एक अलग समिति बनाने का विचार नहीं है। इस के बदले इस मंत्रालय से संबंधित अनौपचारिक परामर्श समिति के सामने सीमेंट से कंट्रोल हटाये जाने के बारे में एक तिमाही समीक्षा रखने का विचार है।

Shri Vishwanath Pandey : I want to know whether price of cement has gone high or low and whether cement is easily available or there is dearth of it in the country ever since its decontrol ?

श्री संजीवैया : सीमेंट उपलब्ध है। इस का मूल्य भी निर्धारित है इसलिए यह निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है। इस के बावजूद भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें सीमेंट आवंटन तथा समन्वयकारी संगठन को जो सीमेंट के निर्माताओं की संस्था द्वारा स्थापित किया गया है, भेज दिया गया है और वह उन की जांच कर रहा है। जैसा कि मैं ने वचन दिया था हर तिमाही के बाद स्थिति का निरीक्षण किया जायेगा।

Shri Vishwanath Pandey : Has the control been lifted permanently or on experimental basis ?

श्री संजीवैया : जब एक निर्णय किया गया है तो उस का प्रतिसंहरण करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है यदि अपनियंत्रण के परिणाम उचित न हों, यदि उपभोक्ताओं को या अन्य संगठनों को सीमेंट के मामले में कठिनाई पेश आये। अन्यथा वह निर्णय स्थायी रहेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : जब से नियंत्रण हटा है तब से क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है और अपनियंत्रण की अवधि के अन्त तक कितना उत्पादन बढ़ने की आशा है ?

श्री संजीवैया : जुलाई या सितम्बर के अन्त तक लगभग दस लाख मेट्रिक टन की वृद्धि होगी।

श्री भागवत झा आजाद : अखिल भारतीय सीमेंट उत्पादक संस्था एवं नियंत्रण हटाने की समर्थक अन्य संस्थाओं का कहना है कि बाजार में सीमेंट की स्थिति में सुधार हुआ है। जब से नियंत्रण हटा है तब से क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है अथवा उत्पादक और विक्रेता के गठजोड़ के कारण सीमेंट की जो कमी थी वह दूर हो गई है ?

श्री संजीवैया : उत्पादन में वृद्धि का नियंत्रण से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अपनियंत्रण आदेश के अनुसार हमारा विचार यह है कि मूल्य में वृद्धि का उपयोग या तो वर्तमान सीमेंट संयंत्रों का विस्तार करने या नये संयंत्र स्थापित करने में किया जाये। प्रति वर्ष चार करोड़ रुपया

की बचत होगी। इस प्रकार आगामी पांच वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपया बचेगा और इस का उपर्युक्त ढ़ंग से उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि अब जम्मू तथा काश्मीर तथा अन्य दूर दूर के क्षेत्रों में भी सीमेंट उपलब्ध हो ?

श्री संजीवैया : जी हां। 50 प्रतिशत सभी राज्य सरकारों को दिया जाता है और उस का मूल्य भी कम होगा। शेष 50 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत मरम्मत करने, नये निर्माण कार्यों और मुफस्सल क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए जनता की आवश्यकतायें पूरी करने हेतु भण्डार करने वालों और उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। 10 प्रतिशत उन संगठित उद्योगों को दिया जायेगा जिन की जरूरतों को अब तक तकनीकी विकास महानिदेशक, वस्त्र आयुक्त, कोयला नियंत्रक आदि जैसे प्राधिकरण पूरा करते थे। 10 प्रतिशत राज्य सरकारों के सुझाव के अनुसार अर्द्ध-सरकारी संगठनों, लघु उद्योगों एवं कृषि आदि के लिए दिया जायेगा।

श्री कण्डप्पन : सीमेंट से नियंत्रण हट जाने के उपरांत भी मद्रास में जो छोटे मोटे किसान एक या दो थैले सीमेंट के लेना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है कि वे गांव के मुंसिफ से या करनाम से प्राधिकृत फार्म लेकर आवेदन को। इस का क्या उद्देश्य है ?

श्री संजीवैया : मैं इस बारे में जांच पड़ताल करूंगा।

श्री काशी राम गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा कि सीमेंट के न मिलने के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। क्या विक्रेताओं ने शिकायतें की हैं कि निर्माता उन्हें समय पर सीमेंट नहीं देते ?

श्री संजीवैया : वे शिकायतें उपभोक्ताओं से और कुछ राज्य सरकारों से भी प्राप्त हुई हैं।

श्री काशी राम गुप्त : माननीय मंत्री को शिकायतें विक्रेताओं से प्राप्त हुई हैं और उस की प्रतियां मुझे भी मिली हैं।

श्री किरोडिया : क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नियंत्रण हटाये जाने के बाद तीन महीनों में कम सीमेंट लिया है ?

श्री संजीवैया : मैं बताने में असमर्थ हूं कि उन्होंने कितना सीमेंट उठाया है।

श्री ि० चं० श र्मा : नियंत्रण हटने पर कितने प्रतिशत सीमेंट चोरबाजार में बिका है और क्या सीमेंट से नियंत्रण हटने पर भी पहले की तरह यह चोरबाजार में बिकता है ? और क्या सरकार ने इस समस्या की जांच की है ?

श्री संजीवैया : यह बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। यदि ऐसा किया जाये तो हम निश्चय ही जांच करेंगे।

Shri Lahtan Chaudhary : Is it a fact that licensees are not getting any cement even from sub-divisional headquarters at a number of places in Bihar at present, though there is decontrol ?

श्री संजीवैया : यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चय ही हम निर्माताओं को सीमेंट देने के लिए कहेंगे।

श्री जसवन्त मेहता : सीमेंट से नियंत्रण हटाते समय इस का मूल्य बढ़ा दिया गया था और यह कहा गया था कि मूल्य बढ़ाने से जो राशियां उपलब्ध होंगी उन्हें इस आयोग के सिलसिले में लगाया जायेगा। क्या ऐसी व्यवस्था की गई है कि गैर-सरकार निर्माता इस धन का इसी तरह उपयोग करें ?

श्री संजीवैया : जी हां इस बढ़े हुए मूल्य के कारण प्राप्त रकमों का उन्हें अलग हिसाब रखना पड़ता है और उस में से कोई रकम सरकार की अनुमति के बिना खर्च नहीं की जा सकती। उस रकम का उपयोग या तो संयंत्रों का विस्तार करने या नये संयंत्र स्थापित करने में किया जा सकता है।

रेलवे प्रशासन के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

+

***898. श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिसम्बर, 1965 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री धवन के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें प्रतिकर के निमित्त दायर किये गये मुकदमे को हटाने के लिये तकनीकी आपत्ति उठाने के लिये रेलवे प्रशासन की आलोचना की गई है;

(ख) न्यायाधीश द्वारा कौटिल्य अर्थशास्त्र के किन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सरकारी क्षेत्र का आचरण निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या न्यायाधीश ने रेलवे प्रशासन को उन सिद्धान्तों का अनुसरण करने के लिये निदेश दिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) रेल प्रशासनों को समुचित अनुदेश दिये गये हैं कि जिन दावों का भुगतान अन्यथा देय हो, उनका भुगतान केवल तकनीकी आपत्तियों के कारण न रोका जाये।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या इस से यह समझना चाहिये कि हिदायतें जारी कर दी गई है कि जहां पर रेलवे सरकार की असफलता के कारण क्षति हुई हो वहां रेलवे या सरकार को छोटी छोटी तकनीकी आपत्तियां नहीं उठानी चाहिये और दावों का भुगतान कर देना चाहिये ?

श्री शाम नाथ : रेलवे प्रशासन को हिदायतें हैं कि दावों का उचित नियमन किया जाना चाहिये और उन्हें छोटी तकनीकी आपत्तियों के आधार पर रद्द नहीं करना चाहिये। यह रेलवे बोर्ड की नीति है। इस मामले में शायद ऐसी आपत्ति उठाई गई है जो नहीं होनी चाहिये थी।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस तथ्य को समझते हुए कि रेलवे द्वारा अदालतों में लाये गये मुकदमे प्रायः हारे जाते है, क्या यह गलत निर्णयों के कारण है ? या यह निधि विभाग की अदक्षता के कारण है। यदि इन में से कोई बात सच है तो सरकार इस में सुधार के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाम नाथ : मेरे पास आंकड़े नही है। अतः मैं यह नहीं बता सकता कि रेलवे को अदक्षता के कारण कितने मामले हारने पड़े। परन्तु ऐसा कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं आया कि जिसमें रेलवे की अदक्षता हुई है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या आप जांच करेंगे और हमें बतायेंगे। क्योंकि मेरे विचार में रेलवे विभाग सदैव ऐसे मामलों में हारा है।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : क्या मंत्रालय की जानकारी में लाया गया है कि रेलवे के वकील ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते ?

श्री शाम नाथ : मैं इस बात से सहमत नहीं हू।

भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ विलय

+

***899. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो के खोज (प्रासपेक्टिंग), छिद्रण (ड्रिलिंग) तथा खनन (मानिग) डिवीजनों को भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के प्रशासनिक और कार्य संचालन नियंत्रण के अधीन रखने का निश्चय किया है ;

(ख) इस नई प्रणाली से कार्य-संचालन में, विशेषत: विस्तृत गहराई नाम-कार्यों में—जो परीक्षणात्मक छिद्रण-कार्य से भिन्न है, कहां तक सहायता मिलेगी ;

(ग) क्या विभिन्न एकक तथा भौतिक विश्लेषण प्रयोगशालाएं भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अलग-अलग एककों के रूप में कार्य करती रहेंगी ; और

(घ) भारतीय खान ब्यूरो के पास अब क्या-क्या काम बच जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मेहदी) : (क) हां, महोदय। 1–1–1966 से तबदीली लागू हुई।

(ख) पुनरीक्षित प्रबन्धों के आधीन समस्त पूर्वेक्षण का उत्तरदायित्व, एक ही संस्था अर्थात् भारतीय भौमिकी विभाग में निहित होगा। इस से पृष्ठभूमि ज्ञान तथा विशेषज्ञता, चालन नियंत्रण बना रहेगा और इन दोनों संस्थाओं में अतिच्छादन व कार्य को दुबारा करने की सम्भावना दूर हो सकेगी।

(ग) हां, महोदय।

(घ) भारतीय खान ब्यूरो पर खनिज सुरक्षा तथा विकास अधिनियम 1958 के प्रशासन, खनिज सम्बन्धी सांख्यिक सामग्री के एकत्रण तथा प्रकाशन तथा अयस्क शोधन प्रयोगशाला का दायित्व होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : नई व्यवस्था के अनुसार क्या भारतीय खान ब्यूरो भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग का एक विभाग होगा या इस का पूर्ण रूप से विलय कर दिया जायेगा ?

श्री मेहदी : इस समय यह भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग का एक विभाग है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस नई व्यवस्था से क्या सुधार होगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : हमारे पास भूविज्ञान, भूभौतिकी, तथा भूरसायन के विशेषज्ञों की कमी है। इसकी अतिरिक्त हमारे पास प्रयोगशालाओं के साजसामान आदि की भी कमी है। अत: हम एक प्रकार के काम को दोहरा नहीं कर सकते।

श्री श्यामलाल सर्राफ : हमारे विचार में भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सामान्य सर्वेक्षण के लिये की गई थी और सघन सर्वेक्षण के लिये कुछ क्षेत्र निर्धारित किये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों का सघन सर्वेक्षण करने के लिये कौन सा संगठन होगा;

श्री सु० कु० डे : ये दोनों संगठन संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और अपने संसाधनों को प्राथमिकताओं के अनुसार प्रयोग में लायेंगे।

श्री के० दे० मालवीय : इस एकीकरण को मैं ठीक समझता हूं। क्या यह ठीक है कि खोज का पूरा काम जैसे खनिज पदार्थों की खोज काम भारतीय खान ब्यूरो करेगा और इन दो विभागों में बांटा नहीं जायेगा ?

श्री सु० कु० डे : जैसा कि उत्तर में कहा गया है भारतीय खान ब्यूरो का एक भाग भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के नियन्त्रण में कर दिया गया है। यह उस विभाग के खोज विभाग के रूप में कार्य करेगा। और खोज कार्य करेगा।

श्री के० दे० मालवीय : मैं विस्तारपूर्वक प्रूविंग के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री सु० कु० डे : वह काम भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज कक्ष द्वारा किया जाएगा।

नेपाल से प्रतिनिधि मंडल

+

*900. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक नेपाली व्यापारिक दल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप क्या व्यापार व्यवस्था की गई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। फेडेरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के निमंत्रण पर यह प्रतिनिधि मण्डल जनवरी 1966 में भारत आया था।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने नेपाल में संयुक्त उद्यमों में भारतीय सहयोग की सम्भावनाओं की खोज करने में मुख्यतः दिलचस्पी ली थी। यद्यपि प्रतिनिधिमण्डल के साथ व्यापारिक मामलों पर सामान्य रूप से चर्चा हुई थी तथापि किसी व्यापार व्यवस्था को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने उद्योगों के निर्माण कार्य में भारत के सहयोग की मांग की है, यदि हां, तो ये उद्योग कैसे है और भारत की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : उनका रवैया बहुत मैत्रीपूर्ण है और वे भारत तथा नेपाल में और अधिक आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग के इच्छुक हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे उद्योगों में रुचि दिखायी कि जिन में भारतीय तथा नेपाली उद्योगपति सहयोग कर सकते है।

श्री प्र० चं० बरुआ : दोनों देशों में व्यापार संतुलन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस व्यापार समझौते के दोनों देशों के बीच कितना व्यापार बढ़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले कुछ वर्षों में हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार तीन या चार गुना अधिक हो गया है जहां तक व्यापार संतुलन का सम्बन्ध है दोनों देशों की मुद्रा बदली जा सकती है। नेपाल और भारत के रूपये बदले जा सकते है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिन उद्योगों के बारे में भारतीय सहयोग की मांग की गई है उनका अनुमान क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : उन्होंने कुछ कपड़े के कारखाने, फलों के रस के कारखाने, पनीर, साइकलें और बर्तनों के कारखानों के बारे में सहयोग चाहा है।

सहायक उद्योगों सम्बन्धी उपसमिति

+

*902. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

श्री अ० सि० सहगल :

श्री रा० स० तिवारी :

श्री चांडक :

डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री पाराशर :**
श्री वाडिया :

क्या **उद्योग** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के लिए स्थापित की गई सहायक उद्योगों संबंधी उपसमिति के पदाधिकारियों के नाम क्या है ;

(ख) अब तक समिति की कितनी बैठकें हुई है ; और

(ग) क्या समिति ने कोई सिफारिशें की हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5959/66।]**

(ख) अभी पहली बैठक हुई है।

(ग) सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the nature of suggestion put forward in this first meeting.

श्री संजीवैया : जैसा मैंने कहा है कि पहली बैठक अभी अभी 15 मार्च को भोपाल में हुई थी और हमें अभी तक कार्यवाही का वृत्तान्त प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक हमें वह प्राप्त न हो मैं सुझावों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Keeping in view the backwardness of Madhya Pradesh, may I know, whether Government propose to set up more factories there ?

श्री संजीवैया : जी हां, हम जानते है कि मध्य प्रदेश उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है। हम माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री जसवन्त मेहता : सरकार ने मई, 1959 में स्कूटरों के निर्माण के लिये आवेदन पत्र मंगाये थे। सरकार ने इस बारे में वित्त देने के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

श्री संजीवैया : यह इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्री भागवत झा आजाद : यह समिति क्या केवल मध्य प्रदेश के लिये है या यह पूरे देश के लिये होगी। इसकी रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

श्री संजीवैया : यह केवल मध्य प्रदेश के लिये नहीं है। लघु उद्योग बोर्ड ने एक सहायक उद्योग समिति की स्थापना की थी। उसने सिफारिश की कि क्षेत्रीय समितियां स्थापित की जायें। आरंभ में ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर में और बाद में ये गुजरात, मद्रास और बिहार में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी स्थापना की मांग की और यह मान ली गई है। इसी बीच में आसाम और बिहार ने भी अपनी समितियां स्थापित कर ली हैं। बाद में इस मंत्रालय की अनौपचारिक समिति में सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य के लिये एक उप-क्षेत्रीय समिति की स्थापना की जाये। इस पर विचार हो रहा है। समय के बारे में हमने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

छोटी कार परियोजना

+
*903. श्री यशपाल सिंह:
श्री वासुदेवन नायर:
श्री वारियर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1966 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में (पृष्ठ 4) प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि त्रिवेन्द्रम में एक स्थानीय मोटरगाड़ी फर्म ने छोटी कार का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उपक्रम का एक छोटी कार परियोजना के रूप में विकास करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) फर्म से पूरा ब्योरा मांगा गया था। वह अब मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है।

(ग) देश में चौथी योजना में इस प्रकार की परियोजना स्थापित की जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : When Government will be able to push through its programme of manufacture of small cars ?

श्री संजीवैया : इस समय सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। और उद्योग विभाग ने इसकी अच्छी तरह जांच कर ली है और यह मंत्रिमण्डल के सामने रखा जायेगा।

Shri Yashpal Singh : How much time would it take to get a fiat car if it is booked today ?

श्री संजीवैया : पंद्रह वर्ष।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have Government also received applications from the private sector for manufacturing small cars and whether Government is prepared to grant them licences ? If so, how much such a a small car would cost ?

श्री संजीवैया : गैर-सरकारी क्षेत्र से छोटी कार निर्माण करने के बारे में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं परन्तु उनपर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। पहले यह निर्णय लिया जाना है कि क्या सरकारी क्षेत्र में एक ऐसा कारखाना स्थापित किया जा सकता है। यह निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही की जायेगी तीन वर्ष पहले फ्रांस की एक फर्म ने पेशकश की थी कि वह 5,100 रुपये की लागत से जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, कारें बना सकती है बशर्ते कि उसे प्रति वर्ष 50,000 कारें बनाने के लिये कहा जाये और यदि 20,000 कारें बनाने के लिये कहा जायेगा तो एक कार की लागत 6,000 रुपये होगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या छोटी कारों के निर्माण की अपेक्षा स्कूटरों तथा बसों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी ? उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री संजीवैया : जैसा मैंने कहा कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सही नहीं है कि वनस्पति घी के रंग के बारे में जो अड़चन थी, देश में छोटी कार के निर्माण की अनुमति न दिये जाने में भी उसी प्रकार की अड़चन है।

श्री संजीवैया : मुझे वनस्पति घी के मामले की जानकारी नहीं है। जहां तक इसका सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि यह सरकारी क्षेत्र में बने।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि अम्बैसेडर तथा फियट कारों की कीमतें प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और लोग चोर बाजार में 4,000 अथवा इससे भी अधिक रुपये दे कर ही इन्हें खरीद सकते हैं? यदि हां, तो सरकार ने निर्माताओं द्वारा इनकी कीमतें घटाये जाने के बारे में क्या कार्यवाही करती रही है?

श्री संजीवैया : कीमतें कम कराना बड़ा कठिन है, क्योंकि टायरों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और मजदूरी लागत भी बढ़ती जा रही है और ऐसे अन्य बहुत से कारण हैं। इसलिये उन्हें कीमतें कम करने के लिये कहना बड़ा मुश्किल है।]

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि इतनी कीमत के बावजद भी हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई जा रही अम्बैसेडर कार का स्तर गिरता जा रहा है और यदि हां, तो क्या कार की परख करने के लिये कोई व्यवस्था की हुई है?

श्री संजीवैया : कुछ शिकायतें आई हैं। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे लिया जाये और कैसे उन्हें अच्छी किस्म की कार बनाने के लिये कहा जाये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार यह महसूस करती है कि वह इतनी अधिक गिर गई है कि पिछले पंद्रह वर्ष में भी इस प्रश्न के बारे में निर्णय नहीं हो सका है, छ से अधिक मंत्री इस प्रश्न पर विचार कर चुके हैं और छ से भी अधिक बार यह मामला योजना आयोग तथा मंत्रिमण्डल के सामने जा चुका है? यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर एक महीने के अन्दर अन्दर निर्णय ले कर वह अपनी खोई हुई इज्जत पुनः प्राप्त करेगी?]

श्री संजीवैया : निर्णय के बारे में कोई तिथि निर्धारित करना बड़ा कठिन है। योजना आयोग तथा भारत सरकार को इस देश के लोगों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। एक दो दिन पहले ही टेलीविजन सेटों के प्रश्न के बारे में दो माननीय सदस्यों ने टेलीविजन सेटों को विलास वस्तुओं की संज्ञा दी थी और कहा था कि इनको नहीं बनाया जाना चाहिये। अतः सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा।

Shri Sheo Narain : If Tatas and Birlas are not able to manage it, why do Government not start it themselves instead of entrusting it to the private sector? When they have announced that they are going to establish a socialist society, why do they hesitate to start this project themselves?

श्री संजीवैया : बिड़ला तथा टाटा को जनता की सुविधाओं की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बड़े असमंजस में पड़ गई है। न तो वह स्वयं ही छोटी कार का निर्माण आरम्भ करना चाहती है और नहीं गैर-सरकारी क्षेत्र को यह काम देना चाहती है। क्या योजना आयोग तथा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाए जायेंगे?

श्री संजीवैया : उनकी आवश्यकता नहीं है। सरकार स्वयं निर्णय कर सकती है।

श्री बाकर अली मि र्ा : क्या यह सच नहीं है कि इस मोटर उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

श्री संजीवैया : जी, नहीं। इसके विपरीत उन्होंने अपने क्षमता से कहीं ज्यादा उत्पादन किया है। क्षमता 20,000 की है और उत्पादन 24,000 है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether the car manufactured by this company will have cent per cent indigenous parts or not ? Will Government allow it to be patented after examining the cost calculated by this company ?

श्री संजीवैया : उन्होंने लगभग 9,000 रुपये की लागत से कार तैयार की है। परन्तु उन्होंने भिन्न भिन्न पुर्जों का प्रयोग किया है। उदारणार्थ, इंजन फियट का है; पुराना इंजन लगाया गया है। इसी प्रकार विभिन्न अन्य पुर्जे हैं। सारे मामले की तकनीकी विकास समिति द्वारा जांच की जा रही है।

श्री भागवत झा आजाद : मेरे तथा मेरे माननीय मित्र द्वारा सभा में उठाई गई एक बहस के दौरान तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि इन कारों के निर्माण में कठिनाई है और इसलिये सरकार इसपर गम्भीरता से विचार कर रही है। अब भी यही बताया गया है कि इसपर अभी विचार किया जा रहा है। क्या हम यह समझें कि अभी सिद्धान्त पर ही विचार किया जा रहा है अथवा यह इस समय विचाराधीन है ?

श्री संजीवैया : यह इस समय विचाराधीन है। 9 अगस्त, 1962 को तत्कालीन उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि वह उपयुक्त समय नहीं था। अब यह प्रश्न फिर से उठाया गया है। हम इसपर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री त्यागी : जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा हमारे लिये इतनी अधिक देरी का सही सही कारण बताना कठिन हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि बाहर से कारों के आयात पर क्या सीमा शुल्क वसूल किया जाता है ?

श्री संजीवैया : मैं तत्काल नहीं बता सकता।

Shri Achal Singh : Is it not a fact that the motor car manufacturers are trying that the manufacture of small car is not allowed so that they can exploit the situation ?

श्री सजीवैया : जी, नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार का औद्योगिक विकास

*891. **श्री द्वा ना० तिवारी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी और असंतोषजनक रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को विदेशी मुद्रा, अलौह धातु और अन्य आयातित माल कम दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के रजिस्टर में औद्योगिक कारखानों के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन, चाहे वे बिहार में स्थापित हों या न हों, इन कारखानों द्वारा संबंधित लाइसेंस अवधि के दौरान अनुमानित उत्पादन तथा उसी समय की आयातित कांचे माल और पुर्जों की मांग के अनुसार मोटे तौर से किया जाता है। बशर्ते कि किसी उपक्रम द्वारा निर्माण कार्यक्रम के लिए निर्धारित शर्त के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई हो। और इतनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जिससे उनकी आवश्यकता पूरी की जा सके।

राज्यवार कोटा केवल लघु उद्योगों के लिए ही दिया जाता है और वह भी इस क्षेत्र के उत्पादन पर निर्भर करता है। किन्तु संपूर्ण रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अलौह धातुओं, लोहा और इस्पात इत्यादि का आयात करने के लिए 1965-66 में बहुत सीमित विदेशी मुद्रा जारी की गई थी। विभिन्न राज्यों के आवंटन में, जिसमें बिहार शामिल है, उसी के अनुसार कमी कर दी गयी थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू उद्योग

*895. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काजू उद्योग द्वारा 1965-66 में कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित की गई;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि 1965-66 में निर्यात के हेतु काजू बन्द करने के लिए टीन के डिब्बों की कमी के कारण इस उद्योग को धक्का लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 22.74 करोड़ रु० (अप्रैल–दिसम्बर, 1965)।

(ख) तथा (ग) : निर्यात को कोई धक्का नहीं लगा है। टीन के डिब्बों के सम्भरण के बारे में हुई कुछ कठिनाई सरकार के ध्यान में लायी गयी थी। वैकल्पिक देशी स्त्रोतों से टीन के डिब्बों के सम्भरण के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये गये थे। टीन के पिंडों के आयात के लिये 10 लाख रु० की मुक्त विदेशी मुद्रा भी दी गयी थी जिससे काजू उद्योग में पूर्णतः उपयोग किये जाने के लिये देशी काली टीन की चादरों की कलई की जा सके।

कार और स्कूटरों का निर्माण

*901. **श्री धुलेश्वर मीना**:
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कारों और स्कूटरों के निर्माण में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) कारों तथा स्कूटरों का उत्पादन सम्पूर्ण रूप से अभी कम नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयला खानों को आधुनिक बनाना

***904. श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों में आधुनिक तरीकों से कोयला निकालने के लिये कोयला उद्योग को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र के लिये कोयला निकालने के उपकरणों और पुर्जों के आयात के हेतु कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई; और

(ग) 1966-67 के लिये इसके लिये कितनी रकम नियत की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) विशिष्ट मांग पर तथा विदेशी मुद्रा की समस्त स्थिति को ध्यान में रख कर उपकरण आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा दी जाती है। खनन कार्य को आधुनिक ढंग से करने के लिए योजना विशेष नहीं बनाई गई है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में खनन उपकरण के लिए दी गई विदेशी मुद्रा सरकारी क्षेत्र में 26.87 करोड़ रुपये तथा गैर सरकारी क्षेत्र में 13.78 करोड़ रुपये है।

(ग) आवश्यकता का अनुमान लगाया जा रहा है और विदेशी मुद्रा की प्राप्यता के अनुसार आवटन किया जायेगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा पाइपों का संभरण

***905. डा० रानेन सेन :** क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ग्राहकों से एक निश्चित राशि अथवा भार तथा आकार से कम के विद्युत् प्रतिरोध संधान (इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स वेल्ड) पाइपों के लिए क्रयादेश नहीं लेता है, जिससे परामर्शदाता समवायों को कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पाइप बनाने का अपना सेक्शन सारे वर्ष चालू नहीं रखता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) साधारणतया कारखाने एक डिब्बे से कम माल के लिए आर्डर नहीं लेते क्योंकि इसमें कारखानों को लाभ नहीं होता परन्तु प्राधिकृत स्टाकिस्ट ऐसे आर्डर बुक कर सकते हैं। वे छोटे छोटे आर्डरों को इकट्ठा करके इस्पात कारखानों को अपना इंडेन्ट भेजते हैं।

(ख) पर्याप्त आर्डर न होने के कारण कारखाने को समय समय पर निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर काम करना पड़ता है।

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी मार्किटों से आर्डर प्राप्त करने के लिए लगातार क्रियाशील प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता

***906. श्री रा० बरुआ :** क्या **संभरण** तथा **तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणुरक्षण आयात में कमी किये जाने के कारण उद्योगों की क्षमता का अप्रयोग बढ़ता जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस से किन किन मुख्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) और (ख) : जी हां। जिन मुख्य उद्योगों के उत्पादन में कमी ध्यान में आ चुकी है, वह हैं, अलोहीय धातु प्रक्रम उद्योग जैसे जस्तीकृत पाईप, ट्यूबें और चादरें, सड़क बनाने वाले इंजन, सवारी कारें, स्कूटर और मोटर साईकल, आयात मिश्रधातु इस्पात, खुश्क बैट्रियां, गंधक के तेजाब पर निर्भर उद्योग तथा गंधक और फास्फेट मिट्टी पर निर्भर रासायनिक खाद और ऐस्बेस्टास सिमेंट उत्पाद।

(ग) मोटे तौर पर यह कदम उठाए गये हैं :—

(1) जहां तक अधिक से अधिक सम्भव है आयात माल का प्रतिस्थापन,

(2) खुली विदेशी मुद्रा का बढ़ाया हुआ बटवारा,

(3) उत्पादन का विशाखन,

(4) जो मंदे आयात की जाती थी उन का उत्पादन किये जाने की दृष्टि से अनुषंगी उद्योगों का विकास,

(5) कच्चे माल और घटकों के आयात में सुविधा के लिये निर्यात वृद्धि योजना, और

(6) राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अधीन आयात की सुविधाएं।

Import of Scarce Materials

*907. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that small scale industries engaged in the manufacture of brass utensils in Moradabad and other places had to close down due to the enforcement of the Scarce Industrial Metals Control Order ;

(b) the number of such industries affected and the number of workers rendered unemployed as a result thereof;

(c) whether the export of hand made engraved brass utensils has also been adversely affected due to the closure of these works; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The Government are not aware of any unit engaged in the manufacture of utensils in Moradabad or other places having fully closed down on account of the enforcement of the Scarce Industrial Materials (Control) Order, 1965. The units are at present able to pull on due to the fact they are able to procure some brass scrap from the market. They are also switching over to the use of aluminium.

(c) The export of hand-made engraved brass utensils has not been adversely affected because they get raw materials under the export incentive scheme.

(d) The utensil manufacturers are being encouraged to switch over to the use of aluminium. These units can also use copper and brass scrap which has been decontrolled. As soon as the supply position of copper and zinc improves, it may be possible to make some releases to utensil manufacturers also.

बस्तर के लिये नई रेल्वे परियोजना

*908. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर (मध्य प्रदेश) के लिए नई रेलवे परियोजना के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत हो चुका है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : शायद माननीय सदस्यों का आशय इन्द्रावती और साबरी बेसिन के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए डाक्टर नागराज राव की अध्यक्षता में संगठित दल की उस रिपोर्ट से है, जो अक्टूबर, 1965 में पुनर्वास मंत्रालय को पेश की गयी थी। दण्डकारण्य क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों के समेकित विकास में सहायता देने के उद्देश्य से, उस क्षेत्र में नयी सम्पर्क लाइनों के सम्बन्ध में रेलें भी कुछ जांच-पड़ताल कर रही हैं। जब जांच-पड़ताल पूरी हो जायेगी और साथ ही सम्बद्ध उद्योगों तथा खनन परियोजनाओं के विकास के लिए योजनाएं तैयार कर ली जायेंगी, तो उसके बाद नयी लाइन बनाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

Allotment of Land along Railway Tracks

*909. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1072 on the 25th February, 1966 and state :

(a) the procedure for allotment of railway land along railway tracks to the cultivators in furtherance of "Grow More Food Scheme"; and

(b) whether the cultivators have to apply direct to the Ministry of Railways or to the Revenue Minister of the concerned State ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Prior to November 1965 surplus cultivable Railway lands used to be handed over to the State Governments concerned for allotment to individual cultivators in furtherance of the Grow More Food Scheme. In the case of such lands handed over to State Governments, cultivators have to apply direct to the State Government authorities concerned.

In the context of the present food scarcity, Railways were directed in November 1965 to permit all surplus cultivable Railway land (not already licensed through State Governments), between stations, to be cultivated by owners of adjacent fields free of charge as a trial measure upto June 1966. In such cases, the cultivators have to apply to the concerned Railway Administrations.

Railway Presses

*910. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the capacity of various Railway Presses for Hindi printing and the extent of increase in their capacity during the last three years;

(b) whether during the last two years on some occasions printing work relating to Hindi was returned on the ground that it was beyond their capacity; and

(c) the steps taken to increase the capacity of Railway Presses in order to cope with the increasing auantum of Hindi work ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b) & (c). The information required is not readily available, and is being collected from the Railway Administrations. It will be furnished soon after it is received.

म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर

*911. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर अभी पुनः चालू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि केन्द्र ने जो वित्तीय सहायता देने का वचन दिया था वह अभी तक पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : यह मान लिया गया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मिल के लिये दिये जाने वाले आवश्यक ऋणों के लिये गारंटी दें। ऋण का एक भाग पहले ही मिल को दिया जा चुका है और ऋण की शेष राशि भी मिलों को अगले कुछ दिनों में ही देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सचियों में संशोधन

*912. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में, संशोधन करने से सम्बन्धित सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार इन सूचियों में परिवर्तन करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) और (ख) : यह समूचा प्रश्न अभी विचाराधीन है।

Bokaro Steel Plant

*913. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether any estimate of the steel required for the Bokaro Steel Plant has been prepared;

(b) whether it has also been worked out as to how much mateiral would be available from indigenous sources and how much of it will have to be imported; and

(c) the number of parts and machines so far received from Russia ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) About 85% of the structural steel work, about 60% of the plant and equipment and about 93% of the refractories will be procured from within the country and only the balance will be imported from U.S.S.R.

(c) No equipment and material has so far been received from Russia as orders for the plant are yet to be placed.

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

*914. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, हतिया कर्मचारी-वर्ग आदि पर प्रति मास 60 लाख रुपये खर्च करता रहा है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग के पास कोई काम नहीं है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): जी, नहीं ।

विद्युत् चालित करघों के लिये लाइसेंस देना

*915. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 3 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 633 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् चालित करघों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रतिवेदन पर अब विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : जी, हां । सरकार के निर्णयों की शीघ्र ही घोषणा किये जाने की आशा है ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची के लिये दस वर्षीय भावी इस्पात योजना

*916. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी इंजीनियरी निगम, रांची के उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में एक पक्का निर्णय करने के लिये दस वर्षीय भावी इस्पात योजना बनाई है;

(ख) क्या देश के इस्पात संयंत्रों के लिये धमन भट्ठियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारी इंजीनियरी निगम, रांची को, पूरी तरह साज-सामान से पूरा किया गया है और उसका वैज्ञानिकन भी किया गया है;

(ग) अगले दस वर्षों के लिये इस्पात संयंत्रों ने अपने विस्तार के विभिन्न चरणों में देशी संसाधनों का प्रयोग करना कहां तक स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करने की दृष्टि से भारी इंजीनियरी निगम, रांची को इस कार्य के लिये अपनी विशाल इंजीनियरी क्षमता का प्रयोग करने के लिये कहा गया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) दस वर्षीय भावी इस्पात योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन ने 1970–71 तक 16.5 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता और 1975–76 तक 28 मिलियन टन की क्षमता के आधार पर अन्वीक्षात्मक उत्पादन-कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : इस बात पर सभी सहमत हैं कि देश में उपलब्ध संसाधनों का, जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। संयंत्र और उपकरणों के लिए आर्डर तभी दिए जायेंगे जबकि इस्पात कारखानों को वास्तव में उनकी आवश्यकता होगी।

रूस से अखबारी कागज का आयात

***917. श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से अधिक अखबारी कागज का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितना आयात किया जाएगा ; और

(ग) इसका वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में किये गये व्यापार करार के अधीन रूस ने 35,000 टन से लेकर, 1966 में 10,000 टन की अतिरिक्त सम्भावना के सहित, 1970 में 75,000 टन तक अखबारी कागज का अधिकाधिक परिमाण में सम्भरण करना स्वीकार कर लिया है।

(ग) कुछ समीकरण भण्डार रखने के पश्चात् आयातित अखबारी कागज का वितरण प्रमुख वास्तविक उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, की सिफारिश पर किया जायगा।

ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण

***918. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सस्ते मूल्य पर ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सेटों को सरकारी क्षेत्र में बनाने का विचार है; और

(ग) इन सेटों के बाजार में किस अनुमानित कीमत पर उपलब्ध होने की संभावना है और उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5960/66.]**

बेलाडिल्ला में इस्पात कारखाना

***919. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री लखमू भवानी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बेलाडिल्ला क्षेत्र में, उसकी लौह अयस्क क्षमता को देखते हुए एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाने वाला था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस क्षेत्र को देश के एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में कब परिवर्तित करने का है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र में पांचवें इस्पात कारखाने के लिए जिन सम्भव स्थानों पर विचार किया जा रहा है उनमें बैलाडिल्ला भी एक है। यहां कारखाना स्थापित करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

Factories in the Public and Private Sectors

***920. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the objective of Government is to establish democratic socialism in India ;

(b) if so, the number of large and medium-scale factories set up in the Public Sector and the Private Sector separately during 1964 and 1965; and

(c) the factories of which sector have proved more beneficial to the public ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of industrial licences issued in 1964 and 1965 is 762 and 519 respectively. These licenses are at various stages of implementation. The number of industrial units set up in the Central Public Sector in 1964 and 1965 is 4 and 6 respectively.

(c) As indicated in the Industrial Policy Resolution of 1956, both the sectors are complementary to each other and have contributed to the industrial development of the country.

केरल में खिलौने बनाने का कारखाना

3088. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कल्लायि नामक स्थान पर लकड़ी के बुरादे का उपयोग करके खिलौने बनाने का एक कारखाना खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को स्थापित करने के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में स्लेट पैंसिल बनाने का कारखाना

3089. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शेष्वण्रार मे स्लेट पैंसिल बनाने का एक कारखाना लगाने जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी; और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा; और

(ग) यह कारखाना कब चालू हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन

3090. श्री अ० क० गोपालन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना में आमान परिवर्तन के जो काम शुरू किये जायेंगे उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। भविष्य में आमान-परिवर्तन के लिए औचित्य का निश्चय करने के उद्देश्य से, विभिन्न खण्डों का अध्ययन करते समय, क्विलन-एर्नाकुलम खण्ड को भी ध्यान में रखा जायेगा। लेकिन उपलब्ध क्षमता और यातायात की सम्भावनाओं के प्रारम्भिक अध्ययन से पता चलता है कि इस खण्ड को इतनी अग्रता नहीं मिल पायेगी कि इसे चौथी योजना में शामिल करने का औचित्य सिद्ध हो सके, खास तौर पर, जब कि इस समय खर्च में अधिक से अधिक किफ़ायत की अत्यन्त आवश्यकता है।

बहादुरगढ़ स्टेशन पर यात्री प्लेटफार्म के ऊपर छत

3091. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली—भटिंडा सैक्शन पर बहादुरगढ़ में यात्री प्लैटफार्म के ऊपर छत बनाने के लिए 1965—66 के उत्तर रेलवे के निर्माण कार्य के कार्यक्रम में व्यवस्था की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य शुरू कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस कार्य को शीघ्रता से कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सवाल नही उठता।

(घ) खाके और प्राक्कलन अनुमोदित किये जा चुके हैं और उनकी मंजूरी दे दी गयी है। इस्पात सम्बन्धी निर्माण-कार्य हो रहा है।

दिल्ली और रोहतक के बीच रेलगाड़ी

3092. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली–किशनगंज तथा शकूरबस्ती के बीच रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाई जाने के शीघ्र पश्चात् दिल्ली से रोहतक की ओर 11.10 बजे और 16.40, बजे के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी/शटल गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन की क्षमता कब बढ़ाई जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली-किशनगंज और शकूरबस्ती के बीच लाइन-क्षमता उपलब्ध होने पर दिल्ली से रोहतक की ओर एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाने के प्रश्न पर यथावत् विचार किया जायेगा।

(ख) अपेक्षित क्षमता तब उपलब्ध होगी जब इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछा दी जायेगी। दोहरी लाइन बिछाने का कार्यक्रम 1966–67 के बजट में रखा गया है। इस काम की कुल अनुमानित लागत लगभग 54 लाख रुपये है जिसमें से 1966–67 में केवल 8 लाख रुपये खर्च करने का विचार है। यह काम कब तक पूरा होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि आगामी वर्षों में इस तरह के कामों के लिए कितनी रकम उपलब्ध होगी।

रेलगाड़ियों की सीधी जाने वाली बोगियों में स्थान की व्यवस्था

3093. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय तथा कम दूरी वाले यात्रियों की अत्याधिक भीड़ के कारण लम्बी दूरी वाले यात्रियों को उनके लिए रेलगाड़ियों में लगाई गई सीधी जाने वाली बोगियों में स्थान नहीं मिलता;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले इन बोगियों पर स्पष्ट चिन्ह लगा रहता था कि ये लम्बी दूरी वाले यात्रियों के लिये है;

(ग) यदि हां, तो ये चिन्ह किन परिस्थितियों में हटाये गये हैं; और

(घ) क्या फिर से दूरी का प्रतिबन्ध लगाने तथा चिन्ह प्रणाली फिर से आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नही।

(ख) और (ग) : जी हां। अभी भी कुछ गाड़ियों पर इस आशय के संकेत पट्ट/निशान लगाये जाते हैं।

लम्बी दूरी वाले अधिकांश सवारी डिब्बों की जगह तीसरे दर्जे के शयनयान लगा दिये गये हैं और उनके आरक्षण में लम्बे सफ़र वाले यात्रियों को तरजीह दी जाती है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों को मिलाने वाली सड़कें

3094. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा अन्य राज्यों में रेलवे स्टेशनों को मिलाने वाली सड़कों के अनुरक्षण के लिए रेलवे बोड द्वारा जिला बोर्डों को एक मुश्त अनुदान दिया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त किये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रथा के समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप रेलवे यात्रियों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है; और

(घ) क्या पहले वाली प्रथा फिर से आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्गों के अनुरक्षण से है। यदि ऐसा है तो इसका उत्तर इस प्रकार है :—

(क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : सवाल नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर चाय के स्टाल

3095. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकानों से कुल्हड़ों में दी जाने वाली चाय की गुणता तथा मात्रा की जांच कैसे, किस प्रकार तथा किसके द्वारा की जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ वाणिज्य और चिकित्सा विभाग के अफसरों तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा जब समय-समय पर खान-पान सिब्बन्दियों का निरीक्षण किया जाता है, तब मिट्टी के प्यालों में बेची जाने वाली चाय की किस्म और मात्रा की जांच की जाती है। चाय की किस्म की जांच चाय को चख कर और मात्रा की जांच उसकी निर्धारित मात्रा, अर्थात् बड़े प्याले में 200 सी. सी. और छोटे प्यालों में 100 सी. सी. से तुलना करके की जाती है।

Post-Matric Scholarship

3096. **Shri D. S. Patil :**

Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give post-Matric scholarships to those students of Scheduled Tribes who live outside the scheduled and specified areas;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the Government of Maharashtra have requested for giving such scholarships to the students of Vidarbha; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) & (b). Post-matric scholarship is admissible to all Scheduled Tribe students. The scheduling of areas as such has nothing to do with this. In certain States there are area restrictions in the sense that tribes residing within certain areas only are treated as Scheduled Tribes. In awarding a postmatric scholarship, the criterion is whether student concerned belongs to a tribe which has been Scheduled or not.

(c) Yes.

(d) The question of revision of Schedules relating to certain Tribes in Vidarbha is under examination. If they are included in the Schedules, the scholarships will be admissible.

उत्तर प्रदेश से आलू भेजना

3097. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश ने, अन्य राज्यों को आलू भेजने के लिए उसे रेलवे माल डिब्बे अधिक उदारतापूर्वक दिये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलों पर माल ढोने की मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से पहले ही कारवाई शुरू की जा चुकी है।

मन्नारगुडी स्टेशन पर रेलवे साइडिंग

3098. श्री थेनगौडर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मन्नारगुडी स्टेशन को अनाज के गोदाम से मिलाने वाला एक रेलवे साइडिंग बनाने का कोई प्रस्ताव है; जिससे लदाई, भराई तथा ढुलाई पर होने वाला खर्च कम हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, एक प्राइवेट साइडिंग के रूप में।

(ख) मन्नारगुडी से अनाज के गोदाम तक प्रस्तावित साइडिंग बनाने के खर्च की मंजूरी के लिए मद्रास सरकार के सिविल सप्लाई विभाग को लिखा गया है और उसकी मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

Sheds in Yeotmal and Darwha Stations

3100. Shri D. S. Patil :

Shri Kamble :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no passenger sheds on Yeotmal and Darwha Railway Stations in Maharashtra; and

(b) if so, when Government propose to provide sheds on these stations ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. However, waiting halls of 900 sq. ft. and 816 sq ft. respectively exist.

(b) No such proposal is under consideration at present, as these two stations are on the Murtajapur—Yeotmal line belonging to the Central Provinces Railway Company, but worked by Government. This Railway is working at a recurring loss and improvements cannot therefore be considered under these circumstances.

ट्रैक्टरों का निर्माण

3101. श्री शशि रंजन :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से 48/50 एच० पी० ट्रैक्टरों का आयात बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी ट्रैक्टर निर्माता देश की मांग को पूरा करने में कहा तक समर्थ हैं;

(ग) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कोई फैक्टरी लगाई गई है; और

(घ) देश में बनाये गये ट्रैक्टरों के मूल्य आयातित ट्रैक्टरों, विशेषकर रूस से आयात किये गये ट्रैक्टरों के मूल्यों की तुलना में कम हैं या अधिक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) रूस से 48/50 एच० पी० वाइलेरस ट्रैक्टरों का आयात, देश में ही मेसर्स ट्रैक्टर एण्ड बुलडौजर्स लि०, बड़ौदा द्वारा 50 एच० पी० 'हिन्दुस्तान' ट्रैक्टरों के उत्पादन से उपलब्धी को ध्यान में रखते हुए, बन्द कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) : आशा है देशी निर्माता देश की 50 एच० पी० श्रेणी की कुल मांग को पूरा कर सकेंगे।

विभिन्न श्रेणियों के ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कम्पनियों को खेती के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	एच० पी० श्रेणी	संख्या प्रतिवर्ष
1	मे० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्युपमेण्ट लि०, मद्रास	20—30	7,000
2	मे० ट्रैक्टर्स एण्ड बुलडौजर्स लि०, बम्बई	20—30	2,000
		35 से अधिक	5,000
3	मे० इस्कोर्ट्स लि०, नई दिल्ली .	20—30	7,000
4	मे० एचर ट्रैक्टर्स कोरपोरेशन, नई दिल्ली .	20—30	2,000
5	मे० इण्टरनैशनल ट्रैक्टर्स, बम्बई .	20—30	7,000
			30,000

(घ) देशी ट्रैक्टरों की कीमतें आयातित ट्रैक्टरों की अपेक्षा सामान्यतः अधिक होती है। 48—50 एच० पी० के वाइलेरस तथा एम टी जेड—50 पी० एल० ट्रक्टरोंके गोदाम से बाहर क्रमशः बिक्रय मूल्य 11,750 रु० और 14,225 रु० की तुलना में 'हिन्दुस्तान' ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य 16,100 रु० है। अन्य श्रणियों के देशी ट्रक्टरों की कीमतें निम्नलिखित हैं :—

	रु०
टेफ (फरगूशन—35 बी० एच० पी०)	15,750
ऐचर (26.5 बी० एच० पी०)	14,495
इन्टरनेशनल हार्वेस्टर (25 बी० एच० पी०) . . .	16,380
हिन्दुस्तान (35 बी० एच० पी०)	12,500
इस्कोर्ट्स (34.5 बी० एच० पी०)	14,669

बर्मा को सूखी झींगा मछली का निर्यात

3102. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में बर्मा को सुखी झींगा मछली का कम निर्यात हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो बर्मा को अधिक निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1964-65 और 1965-66 में बर्मा को सूखी झींगा मछली का निर्यात किये जाने से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से सूखी झींगा मछली की और अधिक खरीदारी करवाने के लिये, रंगून स्थित भारतीय दूतावास बर्मी प्राधिकारियों से सम्पर्क किये हुए हैं।

(ग) अप्रैल–दिसम्बर, 1964 और 1965 की इसी अवधि में, बर्मा को इस मद के निर्यात से क्रमशः 21.39 लाख रु० तथा 15.55 लाख रु० विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।

केरल में पार्वती मिल्स का बन्द किया जाना

3103. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण केरल राज्य में पार्वती मिल्स, क्विलोन और अलिन्द, कुन्देर बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिलों के बन्द कर दिये जाने के फलस्वरुप कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इन मिलों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कितने मूल्य के उत्पादन की प्रतिमास हानि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) बिजली की कमी के कारण 10 मार्च, 1966 से पार्वती मिल्स, क्विलोन बन्द कर दी गयी किन्तु अलिन्द, कुन्दैर में बिजली में केवल 50 प्र० श० कमी की गयी है।

(ख) पार्वती मिल्स में 980 कर्मियों पर प्रभाव पड़ा है और अलिन्द में बारह हजार जन–दिनों की हानि हुई।

(ग) पार्वती मिल्स के बन्द होने से 16 लाख रु० और बिजली की कमी के कारण अलिन्द में 28 लाख रु० की अनुमित हानि हुई है।

फीरोजपुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

3104. **श्री राम हरख यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी सिगनल के निकट 15 मार्च, 1966 की सायंकाल को फाजिलका–फीरोजपुर सवारी गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि जन-धन की कोई हानि हुई है तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : 15-3-1966 को लगभग 13.38 बजे जब नं० 4 एफ एफ डाउन मिलीजुली गाड़ी फिरोजपुर शहर स्टेशन की ओर आ रही थी, तो उसका इंजन आउटर सिगनल के पास पटरी से उतर गया।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 600 रु० की हानि का अनुमान है।

ट्रैक्टरों की मांग

3105. श्री मौर्य : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि से भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की कितनी मांग है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये कि कृषि कार्यों के लिये अभिप्रेत ट्रैक्टर कृषि से भिन्न कार्यों में प्रयुक्त न किये जायें, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : ट्रैक्टरों की विक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, सोवियत रूस से आये ट्रैक्टरों को छोड़कर जो मुख्यत: कृषि के लिये आयात किये जाते हैं । 50 कर्षक दण्ड-अश्व शक्ति तक के ट्रैक्टरों की मुख्यत: कृषि के लिये आवश्यकता पड़ती है । यद्यपि आयात किये हुये अधिकांश ट्रक्टर खेती के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं तथापि सरकार थोड़ से ट्रैक्टरों को कृषि के अलावा दूसरे कामों के लिये भी, जैसे कम्पोस्ट बनाने के फार्म आदि, उनकी आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखत हुये, देती हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी

3106. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुड्डापा जिला (आन्ध्र प्रदेश) में येरागुंटल में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के लिये किसी गैर-सरकारी फर्म को लाइसेंस दिया गया है, और यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है;

(ख) इस फैक्टरी पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ; इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और यह कब तक पूर्ण होने वाली है; और

(ग) क्या इस फैक्टरी को स्थापित करने के लिये कोई प्रारम्भिक कार्य किया गया है और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड को आन्ध्र प्रदेश के कुड्डपा जिले के येरागुन्तल में सीमेंट का एक कारखाना लगाने के लिये एक आश्य-पत्र मंजूर किया गया था जिसकी स्थापित क्षमता 200,000 मीट्रिक टन होगी । पार्टी ने इस परियोजना की लागत का अनुमान 401.5 लाख रु० लगाया है । आवेदकों ने सूचित किया है कि उन्हें येरागुन्तल में चूने के पत्थर वाली एक दूसरी फर्म से 263 एकड़ भूमि खरीदी थी जिसने उस क्षेत्र में खुदायी का काम किया था । उस पार्टी ने बताया है कि उन्हें आशा है कि उत्पादन 1970 के मध्य से होने लगेगा । इस बीच आशय-पत्र की वैधता-अवधि 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त हो गई है, इसलिए पार्टी ने उसे बढ़ा देने के लिए आवेदन किया है ।

रिजवशन कार्यालय के कर्मचारी

3107. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान रेलवे विनियमों के अन्तर्गत रिज़र्वेशन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी प्रत्येक 6 काम के दिनों के बाद एक विश्राम-दिन प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास तथा अन्य स्थानों पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को कभी कभी निरन्तर 10 से 25 दिन तक काम करते रहने के पश्चात् भी बीच में कोई विश्राम-दिन नहीं मिलता है;

(ग) क्या प्रत्येक 6 दिन काम करने के बाद इन कर्मचारियों को एक नियमित विश्राम-दिन न देने की प्रथा 1950 से लगातार चली आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो विश्राम-दिन सम्बन्धी विनियमों का पालन करने के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास के पूछताछ कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की आकस्मिक अनुपस्थिति के कारण हाल में कुछ ऐसे अवसर आये जब कर्मचारियों को अपनी साप्ताहिक छुट्टी छोड़नी पड़ी । अन्य स्थानों पर ऐसी स्थिति नोटिस में नहीं आयी है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की गयी है । तबतक, आकस्मिक अनुपस्थिति अधिक होने पर, अस्थायी उपाय के रूप में, अन्य उपयुक्त कर्मचारियों से काम लिया जाता है ताकि कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जा सके ।

Tube Manufacturing Factories

3108. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of tube manufacturing factories are in the state of being closed down for want of zinc;

(b) whether it is also a fact that there has been a fall in the production of tubes during the last few months; and

(c) if so, the measures being taken to check the decline in production ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) & (b) . Steel tube manufacturing units are facing difficulty due to shortage of Zinc. However, there has been no substantial reduction in the production of tubes, and there has been no report of closures on this account.

(c) As an austerity measure, it has been decided that tubes upto 1" size only should be galvanised and that all other tubes should be left as black or bituminised, if possible. There is, however, no restriction on the use of zinc earned against export entitlement.

ट्रकों और बसों का निर्यात

3109. डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ट्रकों और बसों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उनका किन देशों को निर्यात किया जाता है; और

(ग) 1964 में कितने ट्रकों और बसों का निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 5961/66।]

कोयले का निर्यात

3110. श्री सुबोध हंसदा : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त : श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री भागवत झा ग्राजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का निर्यात बढ़ाये जाने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को;

(ग) किन देशों में भारतीय कोयले का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) वे किस किस्म के कोयले का प्रयोग करते है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : अभी कुछ दिन पहले तक हम केवल पाकिस्तान को कोयले का निर्यात कर रहे थे। उसकी मांग प्रमुखतः वर्ग 1 अकोक-कर कोयले की थी और कुछ परिमाण चुने हुए वर्ग के अकोक-कर कोयले का भी था। 1964 के मध्य से, हमने बर्मा बाजार में भी पुनः प्रवेश किया है तथा वर्तमान संविदा की मियाद 1967 तक है। उसकी मांग भी अकोक-कर कोयले की और कुछ परिमाण में कोक की है। 1965 के अन्त से हमने लंका बाजार को भी पुनः प्राप्त कर लिया है। उसकी मांग चुने हुए 'ए' वर्ग के अकोक-कर कोयले की है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे अन्य गंतव्य स्थानों को भी कुछ अकोक-कर कोयले का निर्यात किये जाने की संभावना की भी हम जांच कर रहे हैं जापान को छोड़कर इस प्रदेश में, कोयले का उपभोग बहुत अधिक नहीं है और वस्तुतः कई देशों में कोयले के बदले तेल का प्रयोग होने लगने के कारण इसमें कमी हो रही है। जापानी बाजार में कोकिंग कोयले की भारी मांग है परन्तु उस वर्ग का हमारे पास अभी निर्यात के लिये फालतू कोयला नहीं है।

डीजल इंजनों से चलने वाली रेलगाड़ियाँ

3111. श्री लिंग रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय डीज़ल इंजनों से चलने वाली दोनों मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों की संख्या क्रमशः कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यातायात और परिचालन की स्थिति के अनुसार डीज़ल रेल इंजनों से खींची जाने वाली माल गाड़ियों की वास्तविक संख्या प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है। प्रतिदिन डीज़ल रेल इंजनों से चलायी जाने वाली गाड़ियों की संख्या औसतन लगभग इस प्रकार है :

	मालगाडी	सवारी गाडी
बड़ी लाइन .	512	4
मीटर लाइन .	124	..
छोटी लाइन	28	12

Looting of Goods train between Dumraon and Twining Ganj Stations

3112. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1332 on the 26th November, 1965 and state :

(a) whether the enquiry regarding the looting of the goods train between Dumraon and Twining Ganj Stations, Eastern Railway on the 6th/7th October, 1965 has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Yes, but it was an ordinary theft case. The Government Railway Police Buxar who investigated the case submitted Final Report, 'No Clue' under section 379 I.P.C.

Train dacoity near Bareilly

3113. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 505 on the 26th November, 1965 and state ;

(a) whether the enquiry into the robbery in a train near Bareilly between Bhakrauli and Dharari Stations on the 8th November, 1965 has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b).: Seven persons (outsiders) were found involved in the case. Out of these three have eben challanged, two could not be identified and were released under section 169 Criminal Procedure Code. One who is in jail is yet to be identified. The seventh person is still at large and efforts are being made by the Government Railway Police, Moradabad for his arrest. The case is pending trial in Court.

अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के देशों में कपड़ा मिलें

3114. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका के अल्प-विकसित देशों को कपड़ा मिलों के लिए सम्पूर्ण मशीनें आदि सप्लाई करने के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Explosions at Railway Tracks

3115. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 167 on the 5th November, 1965 and state :

(a) whether the enquiry into the incidents of explosions at Shalimar Yard on South Eastern Railway and Agra Fort and Idgah railway stations have been completed by the police;

(b) if so, whether the culprits have been traced; and

(c) the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). In regard to the incident in Shalimar Yard, the Government Railway Police Shalimar have submitted Final Report, Mistake of Fact as it is a case of accidental fire. The person who was arrested on suspicion was discharged later.

The incident of explosion between Agra Fort and Idgah stations on 2-10-65 near railway track is still under investigation by police. Two persons who were arrested in this case, have been released on bail by the court pending investigation.

भारी इंजिनियरिंग निगम, रांची

3116. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **उद्योग** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के लिए मल-निस्राव को प्रयोग में लाने के लिए बिहार राज्य के सहयोग से रांची में एक आदर्श फार्म खोलने की योजना पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : बिहार सरकार, टांकी नामक गांव में जहां मल शोधक संयंत्र लगाया जाना था, सब्जियां उगाने का एक फार्म बनाये जाने के लिए पहले तैयार हो गई थी। जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श पर संयंत्र पहले वाले स्थान से दो मील के फासले पर जरातोली नामक गांव में लगाया गया है। हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लि० राज्य सरकार के परामर्श से फार्म को नए स्थान पर लगाने की सम्भावना की जांच कर रहा है।

रेत निकालने पर प्रतिबन्ध

3117. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेत के लिए सरकार को रायल्टी दिये बिना ईंट बनाने अथवा अन्य इमारती प्रयोजनों के लिए जमीन में से रेत निकालने के बारे में किसानों पर हाल में प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) क्या पांच वर्ष पूर्व कोई रायल्टी दिये बिना किसान लोग अबाध रूप से रेत को काम में ला सकते थे; और

(ग) क्या रेत के इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार किसानों को पूरी तथा अबाध सुविधाएं प्रदान करने का है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : नहीं महोदय। हमें ईंट बनाने तथा भवन निर्माण में रेत के प्रयोग पर रोक-टोक होने का कोई ज्ञान नहीं है। चूंकि रेत क्षुद्र खनिज है, राज्य सरकारों को खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 की धारा 15(1) के अन्तर्गत खनन अधिकार देने के विषय में नियम बनाने की शक्ति दी हुई है। वे शुल्क की दर भी कायम कर सकती है।

(ग) इस विषय पर राज्य सरकारें विचार करेंगी और उपयुक्त निर्णय लेंगी।

आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति के मन्दिर में बालों का चढ़ाया जाना

3118. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दशरथ देव :
श्री किन्दर लाल :
श्री सेझियान :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति मन्दिर प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्रियों द्वारा देवता को चढ़ाये गये बालों का निर्यात करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या कृत्रिम बालों के टोपों (विग्स) के जिनकी पश्चिम में काफी मांग है, निर्माण के लिए बालों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभाव्यताओं के बारे में सरकार ने पता लगाया है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में कृत्रिम बालों के टोपों के निर्माण के लिए एक कारखाना खोलने के बारे में किसी अमरीकी कम्पनी ने सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। तिरुपति तिरुमलाइ मन्दिर के प्राधिकारी यात्रियों द्वारा चढ़ाए गये केश राज्य व्यापार निगम को, निर्यात के लिये, बेचने को सहमत हो गये हैं।

(ख) विदेशों में बाजार ढूंढने और मानवीय केशों को परिष्कृत कर उनसे टोप (विग्स) तथा विगलेट बनाकर उनके निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा के उपार्जन में वृद्धि करने के जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। मानवीय केशों के निर्यात का कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंपा गया है जिसने निर्यात के लिये कृत्रिम बालों के टोप (विग्स) और विगलेट बनाने के लिये हांगकांग की एक फर्म से सहयोग करार किया है। एक प्रायोगिक संयंत्र पहिले से ही कार्य प्रारम्भ कर चुका है।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिमी बंगाल में वस्त्र-उद्योग

3119. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट मिली है कि वहां आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने के कारण वस्त्र-उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या बम्बई के मिलों द्वारा जो नये-नये डिजाइन के कपड़े बिक्री के लिये निकाल रहे हैं, की जा रही सख्त प्रतियोगिता के कारण पुरानी किस्म के कपड़ों की मांग कम हो गई है;

(ग) पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप बाजार में कहां तक मन्दी बढ़ी है; और

(घ) इस संकट के परिणामस्वरूप कितने कपड़ा-मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे जिससे बंगाल के लिए एक नई समस्या खड़ी हो जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। पश्चिमी बंगाल की मिलें अधिकतर मध्यम तथा घटिया किस्म के कपड़ों का उत्पादन करती हैं जिनका अपना परम्परागत बाजार है।

(ग) तथा (घ): पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा हुई मंदी की सीमा को निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है। हाल में पाकिस्तान से हुये झगड़े के परिणामस्वरूप जो व्यापारिक कार्यों में थोड़े समय के लिये आम मंदी आयी, उसका प्रभाव कपड़े पर भी पड़ने की सूचना मिली है। अब कपड़ा के बाजार की हालत ठीक होने लगी है और मिलों के कपड़े के स्टाक में उल्लेखनीय कमी हुई है।

मनुष्य के बालों का निर्यात

3120. श्री दलजीत सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों को भेजे जाने वाले मनुष्य के बालों की कोई लम्बाई नियत है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निर्यात बढ़ाने के लिए नाईयों के पास जमा मनुष्य के बाल इकट्ठे किये जा सकते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) निर्यात किये जा सकने वाले मनुष्य के बालों की लम्बाई के बारे में कोई विदेशी विनिमयन नहीं है। चूंकि 6 इंच से कम लम्बाई के बालों का इस्तेमाल कृत्रिम बालों के छोटे बडे टोप, अथवा बालों को लटों का उत्पादन करने के लिये नहीं किया जा सकता, अतः कृत्रिम बालों के टोप बनाने वाले विदेशी निर्माता 6 इंच अथवा उससे अधिक लम्बाई के मनुष्य के बालों को खरीदने में सामान्यतः प्राथमिकता देते हैं।

(ख) जहां तक बाल काटने के साधारण सैलूनों तथा नाई की दुकानों का संबंध है, उनके यहां सामान्यरूप से जो बाल उपलब्ध होते हैं वे झाड़ू से इकट्ठे किये हुए बहुत ही कम लम्बाई के होते हैं। फिर भी किसी भी स्रोत से बाल इकट्ठे किये जा सकते हैं बशर्ते कि उनका सम्भरण बराबर होता रहे और विदेशों द्वारा, व्यवहार्य कीमतों पर उनके लिये मांग की जाती है।

रेलवे की भूमि

3121. श्री महेश्वर नायक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने उन राज्य सरकारों को जिनके राज्य में से रेलवे लाइन होकर जाती है रेलवे की पटरी के साथ वाली रेलवे की उपजाऊ भूमि देने की पेशकश की है जिस से खाद्य में आत्मनिर्भर होने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन में सहायता मिल सके; और

(ख) इस प्रकार कुल कितनी भूमि दी गई और कितनी भूमि मछली पालन के काम लाई जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे की लगभग 4839.44 एकड़ जमीन खेती के प्रयोजन के लिए उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 1743.411 एकड़ जमीन सम्बन्धित राज्य सरकारों ने ले ली है। इसके अलावा विभिन्न आकार के लगभग 123 तालाब भी हैं जिन्हें मछलियां पालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

माल डिब्बों की कमी

3122. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रेल के माल-डिब्बों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो 1965 की समाप्ति पर माल ढोने की क्षमता कितनी कम थी; और

(ग) यह कमी कब तक बनी रहेगी और इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) सवाल नहीं उठता।

छोटे ट्रैक्टर

3123. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में छोट ट्रैक्टरों की कितनी मांग है; और

(ख) यह मांग कितनी तथा किस प्रकार पूरी की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): छोटे ट्रैक्टरों को दो किस्मों में बांटा जा सकता है उदाहरण के लिए 4 पहियों वाले और 2 पहियों वाले बाद वाले ट्रैक्टरों का सामान्यता शक्ति-चालित हल के समान समझा जाता है चार पहियों वाले छोटे ट्रैक्टरों की मांग (20 अश्व शक्ति से कम के क्षेत्र में) का अनुमान 12,000 ट्रैक्टरों प्रतिवर्ष लगाया गया है। देश में शक्ति चालित हलों का इतना अधिक इस्तेमाल नहीं किया गया है इसलिए इनकी मांग का पता लगा सकना सम्भव नहीं है। चौथी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 60,000 ट्रैक्टर बाने के बनारे में अस्थायी लक्ष्य रखने की सिफारिश की गई है।

(2) 4 पहियों वाले छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए केवल एक ही फर्म को लाइसेंस दिया गया है। इस फर्म ने अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं की है। इस प्रकार के ट्रैक्टरों की मौजूदा मांग यथासम्भव रूस से ट्रैक्टरों का आयात करके पूरी की जा रही है। जहां तक शक्ति चालित हलों का संबंध है, केवल एक कारखाने में इनका उत्पादन हो रहा है जिसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता 3,000 प्रति वर्ष है। इसकी उत्पादन-क्षमता बढ़ाकर 6,000 हल प्रति वर्ष की जा रही है। इसके अतिरिक्त 50,000 प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के लिये 5 पार्टियों को आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं। 27,000 की कुल क्षमता के लिये दो और योजनाएं स्वीकृत कर ली गई हैं। इसी बीच किसानों को शक्ति-चालित हलों के इस्तेमाल से परिचित कराने तथा मांग का उपयुक्त पता लगाने के लिए लगभग 1,000 शक्ति चलित हलों का आयात करने के लिए प्रबन्ध कर लिया गया है।

कोयले के उत्पादन में कमी

3124. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु०, डे) : (क) नहीं, महोदय। 1965-66 वर्ष में कोयले का उत्पादन 66.5 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि 1964-65 में उत्पादन 62.8 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बाल बेयरिंग का निर्माण

3125. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल बेयरिंग का उत्पादन घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं। बाल बेयरिंगों का उत्पादन 1964 के 58,603 संख्या से बढ़कर 1965 में वास्तव में 82,49,960 हो गया है।

(ख) तथा (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

रायगाडा में ऊपर का पुल

3126. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1360 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से ऊपर का पुल बनाने के लिये स्थान चुनने तथा उप-सड़कों का एकरेखन करने के बारे में कोई उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दो स्मरण-पत्र देने के बावजूद राज्य सरकार से अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग

3127. श्री रामचन्द्र उलका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1965-66 में वास्तव में कितनी राशि दी; और

(ख) उड़ीसा को इस प्रयोजन के लिए 1966-67 में कितनी राशि देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 47,000 रु० का अनुदान और 17,000 रु० का ऋण, कुल 64,000 रु०।

(ख) 1966-67 वर्ष में उड़ीसा में दस्तकारियों का विकास करने के लिये कुल 2,01,000 रु० का योजना में नियतन किया गया है। इस राशि में केन्द्रीय सहायता का परिमाण क्या होगा उसका अभी निश्चय नहीं किया गया है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियाँ

3128. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियाँ बसाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि में इस कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

समाज-कल्याण वि ाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) 1965-66 में 115 मकान बनवाने की व्यवस्था की गई है।

(ग) 1.38 लाख रुपये।

उड़ीसा में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र

3129. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दिसम्बर, 1965 में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया; और

(ख) कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और प्रशिक्षण पर उक्त अवधि में कुल कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शफी कुरेंशी) : (क) 15

(ख) 342 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। खर्च विषयक जानकारी की खादी आयोग से प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में लघु उद्योग

3130. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा में लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई योजनाएं प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या है; और उनके लिये कितनी रकम नियत करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): उड़ीसा सरकार ने 1966-67 के लिए राज्य की वार्षिक परियोजना में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल कर लिया है तथा खादी और लघु उद्योग संबंधी कार्यवाही दल ने इसके लिए 13.30 लाख रु० की राशि की शिफारिश की है।

1. उद्योगों के लिए राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण,
2. औद्योगिक सहकारी समितियों के लिये शेयर तथा कार्य वाहक पूंजी ऋण,

3. पंचायत समिति उद्योगों की इक्विटी पूंजी में हिस्सा बटाना,
4. विद्युत शुल्क के बराबर करने के लिए सहायता,
5. लघु उद्योग निगम, मार्ग-दर्शी परियोजनाओं इत्यादि में धन लगाना,
6. औद्योगिक सहकारी समितियों के लेखा-परीक्षा तथा लेखा कर्मचारियों का प्रशिक्षण,
7. औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा देय ब्याज में धन लगाने वाले अभिकरणों की वित्तीय सहायता करना।

पाकिस्तान को निर्यात

3131. श्री बादशाह गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, प्रतिवर्ष, पाकिस्तान को पृथक पृथक कितने मूल्य का कोयला, लोहा और बीड़ी की पत्तियां भेजी गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : गत तीन वर्षों में पाकिस्तान को किए गए कोयले, कोक तथा कोयले के चूरे की ईटों, लोहे तथा इस्पात और बीड़ी की पत्तियों के निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

	1963-64	1964-65	1965-66 (अप्रैल 1965 से सितम्बर 1965)
कोयला, कोक तथा कोयले के चूरे की ईटें .	213	350	177
लोहा तथा इस्पात . .	..	40	80
बीड़ी की पत्तिया . . .	28	41	7

1965-66 में पाकिस्तान के साथ व्यापार बन्द हो जाने के कारण 10 सितम्बर 1965 से उस देश को कोई निर्यात नहीं किया गया।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

3132. श्री बसुमतारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी भारत से ब्रिटेन को किये जाने वाले चाय के निर्यात में 1965 में बहुत कमी हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ब्रिटेन को चाय का निर्यात बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) इसके मुख्य कारण ये हैं : उत्तरी भारत में उत्पादन में गिरावट, लंदन में चाय के अत्यधिक भण्डार, ब्रिटेन को नीलामियों की अपेक्षा भारत में चाय के ऊंचे आन्तरिक मूल्य और ब्रिटेन में कठिन मुद्रा स्थिति जिसके परिणामस्वरूप लंदन की नीलामियों से चाय की खरीद के लिये कम मुद्रा उपलब्ध होती है।

(ग) ब्रिटेन को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उस देश में चाय का उपभोग बढ़ाया जाए, जिसमें कि स्थिरता आ गई है। अतः भारत सरकार ने लंका की सरकार तथा ब्रिटिश

चाय व्यापार के सहयोग से "अधिक चाय पीजिए" नामक एक गहन अभियान का आयोजन किया है, जिस पर 6,00,000 पौंड का वार्षिक खर्च होगा और इसका उद्देश्य चाय को अधिक फैशन वाली, उत्तेजक, आधुनिक तथा वयस्क पेय पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करना तथा अन्य प्रतियोगी पेयों की तुलना में चाय की ओर युवक वर्ग को आकर्षित करना है।

यूरोप में बिक्री अनुभाग

3133. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों ने यूरोप में एक बिक्री अनुभाग (सेल्स सेक्शन) स्थापित करने की कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उस का मोटा ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) यूरोप में पहले से चालू बिक्री-अनुभागों के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अतिरिक्त बिक्री-अनुभाग स्थापित करने के लिये निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं :—

1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

(1) मशीनों की बिक्री तथा सेवाई के लिये फ्रेंकफर्ट में एक बिक्री कार्यालय-सह-प्रदर्शन कक्ष की स्थापना।

(2) राज्य व्यापार निगम के साथ पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों में समन्वय करने के लिये एमस्टर्डम (नीदर लैण्ड) में एक अधिकारी की नियुक्ति।

2. राज्य व्यापार निगम

अपने पारस्परिक व्यापार में सहायता करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने जर्मन प्रजातन्त्रीय गणराज्य में एक कार्यालय खोलने का सुझाव दिया है।

3. भारतीय दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात निगम

अपने माल की थोक तथा खुदरा बिक्री, उसकी बिक्री में सुधार करने के उद्देश्य से कदम उठाये जाने के बारे में सलाह देने और व्यापक प्रचार आन्दोलन चलाने के लिये पेरिस में नमूना कार्यालय-सह-खुरदा दुकान की स्थापना।

(ग) दस्तकारी एवं हथकरघा निर्यात निगम द्वारा नमूना कार्यालय-सह-खुदरा दुकान खोलने के सुझाव को सरकार ने मान लिया है और अन्य सुझाव अभी भी विचाराधीन है।

तिरुर से बुक किये गये अंडे

3134. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 तक तिरूर, एर्नाकुलम जंकशन, चेगन्नाचेरी, कालीकट तथा मद्रास सैंट्रल स्टेशन से उत्तर रेलवे के दिल्ली जंकशन तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों के लिये दिल्ली जंकशन के मार्ग से अंडों की कुल कितनी पेटियां बुक की गई;

(ख) उन पेटियों की कुल संख्या कितनी है जो या तो अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहूंची या अपने गन्तव्य स्थान पर तो पहुंचीं किन्तु उनमें से अंडे चुराये गये; और

(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा इसके लिये कुल कितने दावों का भुगतान किया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दिल्ली जंकशन के लिए 2675 परेषण और दिल्ली जंकशन के रास्ते उत्तर रेलवे के स्टेशनों के लिए 2805 परेषण।

(ख) 53 ।

(ग) 678 रुपये 57 पैसे ।

तिरूर से बुक किये गये पान

3135. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरूर से बरेली तथा बरास्ता बरेली और रामपुर रेलवे स्टेशनों से बुक की जाने वाली पान की टोकरियां जो आगे भेजने के लिये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतारी जाती हैं; वे सीधी गाड़ी 376 डाउन से नहीं भेजी जातीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) पान के पत्तों के लगभग 2,000 परेषण एक मुहरबन्द डिब्बे में तिरूर से 17 डाउन मद्रास दिल्ली जनता एक्सप्रेस द्वारा 18.20 बजे दिल्ली पहुंचते हैं। परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, 376 डाउन दिल्ली-इलाहाबाद सवारी गाड़ी के छूटने के नियत समय अर्थात् 22.30 बजे से पहले, मुहरबन्द डिब्बे में आये हुए सभी पार्सलों को उतारना और छांटना सम्भव नहीं है। लेकिन, ये परेषण अगली गाड़ी नं० 2 एम०डी० से भेज दिये जाते हैं जो 04.25 बजे दिल्ली से रवाना होती है।

Running Staff on Railways

3136. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only three days wages in a year are paid as additional pay to the running staff on Railways ;

(b) whether it is also a fact that nine days' wages in a year are paid as additional pay to the running staff in the Department of Posts and Telegraphs; and

(c) if so, the reasons for this disparity?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) If the reference is to the monetary compensation allowed to Running staff for attendance on the three National Holidays, the answar is in the affirmative.

(b) There is no category in the P. & T. comparable to 'Running staff' on Railways. The staff in the running section of the R.M.S. are given only three National holidays and are allowed overtime allowance, as compensation, when they are on duty on those days.

(c) Does not arise.

Import of Paper

3137. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be plea to state :

(a) whether it is a fact that the import of paper has been restricted to only 18 types, keeping in view the development of paper industry in the country and the need for cutting down imports ;

(b) if so, the amount of foreign exchange involved in the import of these types of paper during 1966-67; and

(c) the types of paper for which import licences are being issued at present?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (c). Imports are allowed only for 19 types of papers at present, details of which are given in the Public Notice No. 29-ITC(PN)/66 dated 9-2-66 and as amended by Public Notice No. 35-ITC(PN)/66 dated 26-2-66.

(b) It is difficult to estimate at this stage the amount of foreign exchange that would be required for licensing these items during 1966-67.

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना

3138. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में पिंजौर स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें वार्षिक हानि कितनी होती है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) 1965-66 में जनवरी, 1966 तक 54.92 लाख रु० का घाटा हुआ। यह घाटा औद्योगिक उत्पादन में सामान्य रूप से धीमापन आ जाने के फलस्वरूप देश कारखाने में निर्मित उच्च कोटि की पूर्ण रूपेण बिजली से चलने वाली मिलिंग मशीनों की कम निकासी के कारण हुआ है।

कोयला खानों का बन्द होना

3139. **डा० रानेन सेन** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत गिरिडीह में सेरामपुर कोयला खान के शीघ्र बन्द होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : 90 वर्ष से अधिक खनन करने के फलस्वरूप, सिरामपुर कोयला खान में कोयले के संचय रिक्त हो गये हैं। उत्तरोत्तर इस खान में कार्य बंद किया जा रहा है।

Accident on Gudla Station

3140. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the compensation sanctioned to the next of kin of the deceased and to the injured persons who were involved in an accident on

the main line on Gudla Station on the 18th June, 1965 has not yet been paid to the persons concerned ;

(b) whether it is also a fact that the money has been made over to the State Government; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Compensation due to those killed in the accident has been deposited with the Commissioner for Workmen's Compensation. The only payments made direct are half-monthly payments to those injured and *ex-gratia* payments of Rs. 200/- to the dependents of each of the persons killed and Rs. 100/- to each of the injured.

Under the Workmen's Compensation Act, compensation due in the case of death cannot be paid direct but has to be deposited with the Commissioner for Workmen's Compensation for disbursement to the rightful claimants.

Export of Tea to West Germany

3141. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Omkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that West Germany is prepared to purchase tea from India;

(b) if so, at what rate; and

(c) the name of the commodity which India will receive in exchange ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) & (b). India is the principal supplier of tea to West Germany. The average F. O. B. price of Indian teas exported to that country during the last three years is Rs. 7.94 per kilogram.

(c) Tea exports to West Germany earn free foreign exchange which enables India to finance imports of capital goods, industrial machinery and heavy chemicals from West Germany.

रेलवे स्टेशनों पर शाकाहारी भोजनालय

3142. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर रेलवे स्टेशनों से जैसे पंजाब में लुधियाना से पृथक् शाकाहारी भोजनालय की सुविधा हटा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्तमान मिश्रित भोजनालयों को केवल शाकाहारी भोजनालयों में बदलने का सरकार का विचार है क्योंकि सभी मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी भोजन कर सकते है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। लुधियाना में शाकाहारी और सामिष भोजन पकाने के लिए रसोईघर अलग अलग हैं।

(ग) जी नहीं।

बंदरों का निर्यात

3143. श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने बन्दरों का निर्यात किया गया;

(ख) इन बन्दरों की औसत आयु तथा भार कितना था तथा कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई;

(ग) मुख्य निर्यातकों तथा आयातकों के नाम व पते क्या हैं तथा बन्दरों को किन किन नगरों तथा जंगलों से दिल्ली लाया जाता है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इन बन्दरों को अत्यन्त अमानवीय हालत में लाया ले जाया जाता है तथा उन्हें 18 घंटे तक जल और भोजन नहीं दिया जाता और उनमें से बहुत से बन्दर लाने ले जाने की अवस्था में ही बेहोश व जख्मी हो जाते हैं; और

(ङ) अन्य कितनी नस्ल के पशुओं का चीरफाड़ के लिये निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) गत पांच वर्षों में निर्यात किये गये बन्दरों की संख्या निम्नलिखित है :—

	संख्या '000' में
1961-62	93
1962-63	80
1963-64	76
1964-65	45
1965-66 (दिसम्बर 65 तक)	26

(ख) निर्यात किये गये बन्दरों की आयु की औसत का हिसाब लगाना कठिन है। फिर भी, जिन बन्दरों का भार 4 पौंड से कम होता है उन्हें "बच्चा बन्दर" माना जाता है और उनके निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती। केवल 4 पौण्ड या अधिक भार के वयस्क छोटे बन्दरों के निर्यात की अनुमति दी जाती है। 1961-62 से 1965-66 (दिसम्बर 1965 तक) हुए बन्दरों के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	मूल्य लाख रुपयों में
1961-62	55
1962-63	45
1963-64	35
1964-65	22
1965-66 (दिसम्बर 1965 तक)	13

(ग) बन्दरों के अनुमोदित निर्यातकों की सूची (अंग्रेजी में) के साथ साथ विदेशों में माल पाने वालों की एक सूची (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5962/66।]** निर्यात के लिये अधिकांशतः, बन्दर उत्तर प्रदेश के कानपुर, सहारनपुर तथा शाहजहांपुर क्षेत्रों से दिल्ली लाये जाते हैं।

(घ) निर्यात लाइसेन्स दिये जाने के लिए पूर्व प्रतिबन्ध के रूप में, बन्दरों के सभी निर्यातक सरकार को वचन देते हैं कि बन्दरों को लाने ले जाने में उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जायेगा जिसमें प्राकृतिक तत्वों से रक्षा, खुराक तथा पानी का समुचित संभरण और लाने ले जाने में उचित देखभाल सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बन्दर को प्रति दिन 1/2 पौण्ड के हिसाब से खराब न होने वाला खाना (मिश्रित अनाज या अनाज, मक्का, चना, मूंगफली आदि) दिया जायगा जिसमें ताजी सब्जियां अतिरिक्त होंगी। इसके अतिरिक्त जहां तक कटघरे के आकार और बन्दरों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, हवाई जहाजों पर चढ़ाने के पूर्व सभी बन्दरों को पशुओं के सर्जन द्वारा प्रमाणित किया जाता है। सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त बन्दरों के निरीक्षक द्वारा खेपों की जांच की जाती है।

(ङ) चीरफाड़ के लिये बन्दरों के अतिरिक्त और किसी नस्ल के जानवरों का निर्यात नहीं किया जाता।

बिहार में नई खान का पता लगाना

3144. श्री यशपाल सिंह : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंघभूम जिले में एक खान का पता लगा है जिस से "एपेलाइट" निकाला जा सकता है जो कि एक अच्छा उर्वरक है; और

(ख) यदि हां, तो उस से कितनी यथार्थ मात्रा मिलने की संभावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय। 1963-64 में सिंघभूम जिले के इटागढ़ गांव में एपाटाइट के संचयों का पता लगाया था। अयस्क कुछ निम्न श्रेणी का है। तथापि यह अयस्क अभिशोधन विधि से श्रेणी उन्नत करने के लिये उपयुक्त है। इस प्रकार प्राप्त की हुई उत्पत्ति फ़ासफ़ोरस उर्वरक के बनाने के लिए उपयुक्त समझी जाती है।

(ख) संचय, 1.08 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सेवक

3145. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सेवकों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च श्रेणी के डिब्बों में जाने की अनुमति के सम्बन्ध में किन्हीं विशिष्ट नियम न होने के कारण सेवक की उपयोगिता कम हो जाती है और जब कभी ऐसे सेवकों को इन डिब्बों के गलियारे में देखा जाता है तो उन से पैसे (उस श्रेणी के लिए) ले लिये जाते है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम से कम प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाली उन महिलाओं के मामले में जिन के सेवकों के पास तीसरे दर्जे का टिकट होता है, इन नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का सरकार का कोई विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केवल स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहरने के समय, परिचर ऊंचे दर्जे के यात्रियों के पास रह सकते हैं। उन्हें पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के गलियारों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

(ख) नियमों में पहले से ही यह व्यवस्था है कि महिलाओं के लिए आरक्षित पहले दर्जे के डिब्बे में, रात के समय, यदि कोई महिला अकेले या 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा

कर रही हो, तो वह उसी डिब्बे में तीसरी दर्जे के टिकट पर एक महिला परिचर को, रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की यात्रा में, अपने साथ रख सकती है। जब दो या दो से अधिक महिलाएं एक ही डिब्बे में यात्रा कर रही हों, तो यह छूट नहीं दी जाती।

टिकटों पर रेल किराये में परिवर्तन

3146. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कभी रेल के किराये में परिवर्तन की घोषणा की जाती है तो रेल के किराये में वृद्धि अथवा कमी के बारे में पहले से बचे हुए टिकटों पर भी किराये का परिवर्तन कर दिया जाता है;

(ख) क्या इसके कारण इन परिवर्तनों के ठीक होने के बारे में यात्रियों के मन में बड़ी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है;

(ग) क्या पहले बचे हुए टिकटों की बिक्री बन्द करने तथा पुनरीक्षित दरों से अधिक किराया लिये जाने की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से स्टेंसिल किये हुए नये टिकट जारी करने का सरकार का विचार है; और

(घ) स्टेंसिल किये हुए टिकटों तथा स्वयं टाइप करने वाली मशीन द्वारा टाइप किये गये टिकटों के लिये की गई व्यवस्थाओं के संचालन में तथा उन पर आने वाली लागत में कितना अन्तर है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) : जी हां।

(ख) और (ग) : जी नहीं, क्योंकि समाचार-पत्रों द्वारा इस तरह के परिवर्तनों का व्यापक प्रचार किया जाता है और संशोधित किराया सारणियां टिकट खिड़कियों पर अंग्रेजी और प्रादेशिक दोनों भाषाओं में प्रदर्शित की जाती हैं। पहले के बचे हुए टिकटों की बिक्री बंद करने से टिकटों की बड़ी बरबादी होगी और उपलब्ध समय के अन्दर हजारों स्टेशनों को लाखों की संख्या में टिकट जारी करना संभव न होगा।

(घ) स्टेंसिल किये हुए टिकट जारी करने की प्रथा नहीं है, इस लिये टिकट स्टेंसिल करने की लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है।

माल डिब्बे खरीदने के लिये धन की कमी

3147. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे धन की कमी के कारण गैर-सरकारी निर्माताओं से अधिक माल डिब्बे खरीदने में असमर्थ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): 1966-67 में माल डिब्बों की खरीद का नियमन करना आवश्यक हो गया है क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितना यातायात होने की संभावना थी, उतना यातायात नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप इस महीने भी जबकि सामान्यतः यातायात सबसे अधिक होता है, फालतू डिब्बे बेकार खड़े हैं। सरकार की अर्थोपाय स्थिति कठिन है और कुल मिलाकर रेलों के लिए कम पूंजी निर्धारित की गयी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चल-स्टाक की खरीद के लिए उतनी रकम निर्धारित करनी पड़ी है जिससे चल-स्टाक की जरूरतें पूरी हो जायें और जो चल-स्टाक के उत्पादन को समुचित स्तर पर बनाये रखने की आवश्यकता के अनुरूप हो।

सहाबल स्टेशन पर रेलवे यात्री को गोली से मार दिया जाना

3148. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 121 अप फरुखाबाद-कासगंज यात्री गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे के एक यात्री को 5 मार्च, 1966 को सहाबल रेलवे स्टेशन पर रेल के डिब्बे के बाहर गोली से मार दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। लेकिन उस यात्री को 4-3-1966 को डिब्बे के अंदर ही गोली से मार दिया गया था।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, कासगंज ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306।302 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और उसकी छानबीन कर रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

मुरादाबाद स्टेशन पर दुर्घटना

3149. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 5 मार्च, 1966 को 51 अप सियालदाह-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी के नीचे आ जाने के कारण कुछ व्यक्ति मर गये तथा कुछ लोग घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) एक यात्री गाड़ी से कुचल कर मर गया और दूसरे को चोटें पहुंचीं।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि यात्री ऊपरी पुल से जाने के बजाय अनधिकृत रूप से रेलवे यार्ड से गुज़र रहे थे ।

(ग) स्टेशनों पर लाउड स्पीकरों के माध्यम से यात्रियों को सीख दी जाती है कि वे लाइन को अनधिकृत रूप से पार न करें और उन्हें यह भी बताया जाता है कि इस तरह लाइन पार करने में क्या ख़तरा है ।

मद्रास में कताई तथा बुनाई मिलों का बन्द होना

3150. श्री बालकृष्णन् : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कताई तथा कपड़ा बुनाई की कुछ मिलें पिछले कुछ महीनों से बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) मद्रास राज्य में 5 सूती वस्त्र मिलें, जिनमें 3 कताई मिलें और 2 मिली-जुली मिलें शामिल हैं, बन्द पड़ी है।

(ख) इनके बन्द होने के प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाइयां तथा श्रम संबंधी झगड़ा बताये जाते हैं ।

(ग) पता चला है कि राज्य सरकार इन मिलों को पुन: चालू करने के प्रयत्न कर रही है।

गैर-ईसाई आदिवासियों में शिक्षा का विकास

3151. **श्री हृ० च० सोय :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईसाई आदिवासियों में शिक्षा के विकास की तुलना में गैर-ईसाई आदिवासियों मे शिक्षा का विकास बहुत कम है और आदिवासियों की शिक्षा तथा अन्य कल्याण कार्यों के लिये दिये जाने वाले अनुदानों का अधिकांश भाग ईसाई आदिवासियों पर खर्च किया जा रहा हैं; और

(ख) यदि हां, तो आगामी योजना में इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख): इस मामले की जांच करने के लिये कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन नहीं किये गये है। तो भी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो सुविधायें, जिनमें शैक्षिक विकास सम्बन्धी सुविधायें भी शामिल हैं, दी जाती हैं, वे सभी अनुसुचित आदिम जातियों को मिलती है चाहे उनका धर्म कोई भी हो। जिन क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी सुविधायें पर्याप्त नहीं है, वहां और सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में छंटनी

3152. **श्री हृ० च० सोय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी की गई है और अधिकृत वेतनक्रमों वाले कर्मचारियों को उनके वेतनक्रम से वंचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

महाराष्ट्र में लघु उद्योग

3153. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में औद्योगिक विस्तार सेवा में 1965-66 में कितने लघु उद्योगों को लाभ पहुंचा है; और

(ख) इसी अवधि में महाराष्ट्र में उन उद्योगों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क)

1. तकनीकी सहायता	1956-66 (फरवरी, 1966 तक)
1. सम्पर्क स्थापित की गई पार्टियों की संख्या, उन एककों सहित जिनका तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्थान पर जाकर सलाह देने के लिये दौरा किया गया था	20,109
2. उन पार्टियों की संख्या जिन्हे केवल तकनीकी सलाह दी गई थी . . .	3,347
3. उन पार्टियों की संख्या जिन्हें नये उद्योग चलाने के लिये जानकारी दी गई थी	4,457

	1956-66 (फरवरी) 1966 तक)
4. किये गये प्रदर्शनों की संख्या (चलती-फिरती वर्कशापों के अतिरिक्त) .	570
5. उन पार्टियों की संख्या जिन्हें अन्य सहायता दी गई . . .	9,535
2. चलती-फिरती वर्कशापें	
1. किये गये प्रदर्शनों की संख्या	1,013
2. प्रशिक्षित किये गये कारीगरों की संख्या	1,878
3. वर्कशापों के कार्य-कलाप	
1. ठेके के काम में वास्तव में सहायता की गई पार्टियों की संख्या . .	1,557
4. प्रकाशन	
1. तैयार की गई आदर्श योजनाएं	86
2. तैयार की गई डिजाइनों और खाकों की संख्या . . .	127
3. तैयार किये गये नक्शों की संख्या	1,296
4. तैयार की गई तकनीकी बुलेटिनों की संख्या	13
5. सरकारी स्टोर खरीदने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सुची तैयार करना	1965-66 (नवम्बर, 1965 तक)
1. लघु उद्योग सेवा संस्थानों की सिफारिश पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास रजिस्टर्ड कराये गये कारखानों की संख्या . . .	89

(ख) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं में इस्तेमाल किये जाने अर्थात् राज्यों को राज्य सहायता अधिनियम, औद्योगिक सहकारी समितियों, सामान्य सुविधा केन्द्रों/वर्कशापों उत्पादन केन्द्रों के लिये इकट्ठा ऋण दिया जाता है। वर्तमान कार्यविधि के अनुसार उपर्युक्त योजनाओं के लिये पिछली तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक खर्च तथा चौथी तिमाही के अनुमानित खर्च के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में मंजूर की जाती है और राज्य सरकारें वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी मर्जी पर रखे गये "अर्थोपाय अग्रिम" में से अपना खर्च पूरा करती है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार को 1965-66 के दौरान लघु उद्योगों के विकास के लिये 14.89 लाख रु० के ऋण का अस्थायी रूप से भुगतान करने की मंजूरी दे दी गई है।

महाराष्ट्र में आदिम जाति खण्ड

3154. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में इस समय कितने आदिम जाति खंड हैं;

(ख) 1966-67 में ऐसे कितने खंड खोलने का विचार है; और

(ग) 1966-67 में महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले में कितने आदिम जाति खंड खोलने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 44 ।

(ख) 4 ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में हस्तशिल्प उद्योग

3155. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र को राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिये कोई धनराशि दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 18,000 रु० का अनुदान और 8,000 रु० का ऋण, कुल 26,000 रु०।

श्रम प्रधान उत्पादों का निर्यात

3156. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम प्रधान उत्पादों का कोई अनुमान लगाया गया है ताकि उन का निर्यात उन देशों को बढ़ाया जा सके जहां दूसरे देशों से लाये गये श्रमिकों द्वारा तथा/अथवा अधिक लागत पर ये वस्तुएं बनाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। निर्यात के मामले में, श्रम प्रधान उत्पादों तथा अन्य उत्पादों के मध्य कोई भेद नहीं किया जाता। सामान्यतः सभी वस्तुओं और विशेषतः अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं।

कारों का आयात

3157. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित विदेशी दूतावासों के राजनीयिक कर्मचारियों को कारों का आयात करने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी कारों का आयात किया गया और कितनी कारें राजकीय व्यापार निगम को बेची गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 1963-65 में दूतावासों के राजनयिक कर्मचारियों द्वारा किये गये कारों के आयात के बारे में जानकारी नीचे दी गयी है :—

वर्ष	आयातित कारों की संख्या	
	निजी उपयोग के लिये	सरकारी उपयोग के लिये
1963	227	174
1964	317	288
1965	283	244

1961 तथा 1962 के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

पिछले पांच वर्षों में राजकीय व्यापार निगम द्वारा राजनयिकों तथा राजनयिक मिशनों से खरीदी गयी कारों की संख्या के बारे में सूचना नीचे दी गयी है :—

1961-62	शून्य
1962-63	24
1963-64	300
1964-65	376
1965-66 (31 दिसम्बर, 1965 तक)	356
योग	1,056

काफी का उत्पादन

3158. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में काफी का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप काफी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं;

(ग) दामों को बढ़ने न देने तथा काफी के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मैसूर में कितनी काफी उगाई जाती है और कितने एकड़ भूमि में ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : इस वर्ष (1965–66) में काफी का उत्पादन अनुमानतः उतना ही है जितना गत वर्ष था अर्थात् 60,000 मी० टन । इस प्रकार काफी के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है, जिसमें देश पहिले ही आत्मनिर्भर है । हाल ही में काफी की कीमतों में वृद्धि, गत वर्ष की फसल की अपेक्षा, चालू फसल में से निर्यात के लिये अधिक आवंटन किये जाने के कारण हुई है । आंतरिक बिक्री में भाग लेने वाले व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये, जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, और उपलब्ध परिमाण को यथा सम्भव अधिक व्यापारियों में बांटने के लिये, आंतरिक नीलामियों में किसी व्यापारी के लिये घोषित की जा सकने वाली काफी की अधिकतम मात्रा को कम किया गया है ।

(घ) फसल	मैसूर में उत्पादन (मी० टन)
1961–62	31,900
1962–63	40,890
1963–64	52,685
1964–65	43,780
1965–66 (अनुमानित)	44,180

5 वर्ष का औसत : लगभग 42,700 मी० टन ।

हावड़ा जाने वाली एक्सप्रैस गाड़ी में बालीकुड़ा स्टेशन पर आग लग जाना

3159. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मार्च, 1966 को अथवा उसके आस पास हावड़ा जाने वाली मद्रास एक्सप्रेस के एक पार्सल डिब्बे में बालीकुड़ा स्टेशन पर आग लग गई;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई; और

(ग) आग लगने का कारण क्या था ?

रेलवे मत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 16,300 रुपये जिसमें पार्सलों का मूल्य भी शामिल है।

(ग) जाहिर तौर पर ऐसा सन्देह है कि आग बिजली की खराबी के कारण लगी, लेकिन अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

सड़क कूटने के रोलरों का निर्माण

3160. **श्री मणियंगाडन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क रोलरों के निर्माण के लिए केरल में एक कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या इस कारखाने को केरल में न खोलकर कहीं अन्यत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या केरल में कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस अब किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पहले दिया गया लाइसेंस रद्द क्यों किया गया और नया लाइसेंस किसी अन्य पार्टी को क्यों दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां।

(ख) पार्टी ने अन्य कारणों के अलावा निम्न कारणों की वजह से नए औद्योगिक उपक्रम को केरल के स्थान पर मैसूर राज्य के बंगलौर क्षेत्र में लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है :—

(1) बंगलौर दक्षिण भारत के मध्य में स्थित है।

(2) दक्षिण के अन्य राज्यों की तुलना में मैसूर में सड़क कूटने के इंजनों की मांग अधिक है।

(3) बंगलौर में जमीन, बिजली और पानी आसानी से उपलब्ध हैं।

(4) बंगलौर तथा उसके निकटवर्ती इलाकों में सहायक एक विकसित हो जाने के कारण खरीदी गई वस्तुएं अन्य सहायक पुर्जे तथा कच्चा माल अपेक्षाकृत अधिक आसानी से मिल जायेगा।

(5) कारखाने के मैसूर में स्थित होने के कारण कच्चे माल तथा सड़क कूटने के तैयार इंजनों के लाने लेजाने पर होने वाले भाड़े में काफी बचत होगी। सभी बातों पर सावधानी से विचार करने के बाद पार्टी की मांग स्वीकार कर ली गई थी।

(ग) जी, नहीं। केरल सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि औद्योगिक लाइसेंस देनेपर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्ध के समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा चलाई गई उचित योजना पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी प्लेट तथा जहाज परियोजना

3161. श्री मणियंगाडन : क्या उद्योग मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी प्लेट तथा जहाज परियोजना लगाने का स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ले ली गई है;

(ख) समिति द्वारा सुझाये गये स्थानों के नाम प्राथमिकता क्रम में क्या हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) परियोजना के स्थान के बारे में चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है ।

(ख) उनके विचार से मद्रास, विशाखापतनम तथा कोचीन उपयुक्त स्थान हैं लेकिन उनके इस दौरे के समय भूमि की बनावट और मिट्टी की भार वहन क्षमता के बारे में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे अतः उन्होंने इन तीन स्थानों के और विस्तृत आंकड़े इकट्ठे हो जाने पर ही अन्तिम निर्णय देने सिफारिश की है ।

(ग) इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

Import of Artificial Silk

3162. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of artificial silk imported from foreign countries in exchange for sugar exported during the last three years (year-wise) with the names of those countries;

(b) whether it is proposed to import tractor spare parts instead of artificial silk from those countries; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No artificial silk was imported in exchange for sugar.

(b) & (c). Do not arise.

कोयले का मूल्य

3163. श्री मुहमद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल और धनबाद में उपलब्ध कोयले का मूल्य बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना मूल्य बढ़ा है और इसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख): 1949 के पहले के खनन पट्टों के शुल्क की दर बढ़ जाने के फलस्वरूप बंगाल बिहार कोयला खानों में 3 फरवरी, 1966 से कोयले की कीमत में 60 पैसा प्रति मीटरी टन की बढ़ोत्तरी स्वीकार कर ली गई है ।

5—48 Lok Sabha/66

त्रिपुरा में पटसन का कारखाना

3164. श्री दशरथ देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र ने त्रिपुरा में पटसन का कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चौथी योजना अवधि में त्रिपुरा में एक मध्यम पैमाने का पटसन कारखाना स्थापित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) त्रिपुरा में पटसन के एक नये कारखाने के लिये, त्रिपुरा प्रशासन ने एक औद्योगिक लाइसेन्स की मंजूरी देने की सिफारिश की थी ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा सिफारिश की गई पार्टी को सरकार द्वारा एक आशय पत्र भेजा जा चुका है ।

(ग) जी, नहीं ।

विद्युत् चालित करघों को लाइसेंस दिया जाना

3165. श्री कन्डप्पन : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चलने वाले विद्युत् चालित करघों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सभी राज्यों में लाइसेंस देने की नीति समान है; और

(ग) इन विद्युत् चालित करघों का हथकरघा पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5963/66]**

(ख) जी, हां ।

(ग) हथकरघा उद्योग पर विद्युत् चालित करघों का सम्पूर्णतः लाभकारी प्रभाव पड़ा है । एक ओर तो इससे हथकरघा बुनकरों के काम का भार कम हो गया है और दूसरी ओर उनकी क्षमता तथा उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि हुई है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन

3166. श्रीमती सुभद्रा जोशी : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन करने के लिये सरकार का कब विधेयक प्रस्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या थारु जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल किया जायेगा ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) यह समूचा प्रश्न विचाराधीन है तथा अभी तक इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किये गये हैं। तो भी, आशा है कि इस विषय को बहुत शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और एक विधेयक पेश किया जायेगा ।

(ख) हां ।

वातानुकलित डिब्बे

3167. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे 1 अप्रैल, 1966 से कुछ रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे लगा रही है तथा अन्य गाड़ियों में वातानुकूलित स्थान बढ़ा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे लगाये जायेंगे तथा किन गाड़ियों में वातानुकूलित स्थान बढ़ाया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए हर साल गर्मी के महीनों में वातानुकूल स्थान में वृद्धि कर दी जाती है। तदनुसार 1 अप्रैल, 1966 से लागू होने वाली समय सारणी में उत्तर रेलवे की निम्नलिखित गाड़ियों में पहले दर्जे के वातानुकूल स्थान की व्यवस्था कर दी जायेगी :

गाड़ी नं०	किन स्टेशनों के बीच और कितनी बार	विवरण
1 अप/2 डाउन हवड़ा दिल्ली कालका मेल	दिल्ली और कालका (रोज़ाना)	हफ्ते में तीन बार चलने वाले डिब्बे रोज़ाना चलाये जायेंगे।
41 अप/42 डाउन मसूरी एक्सप्रेस	दिल्ली और देहरादून (रोज़ाना)	हर साल की तरह 1-4-1966 से 15-10-66 तक वातानुकूल स्थान की व्यवस्था की जा रही है।
3 डाऊन/33 अप और 34 डाउन/4 अप फ्रांटियर/काश्मीर मेल	बम्बई सेन्ट्रल और पठाणकोट (रोज़ाना)	इस समय 3 डाउन/31 अप और 32 डाऊन/4 अप गाड़ियों के साथ बम्बई सेण्ट्रल और अमृतसर के बीच जो एक वातानुकूल डिब्बा चलता है, उसे गर्मी के महीनों में 3 डाउन/33 अप और 34 डाउन/43 अप गाड़ियों के साथ बम्बई सेण्ट्रल और पठानकोट के बीच चलाया जायेगा, जैसा कि हर साल किया जाता है।
21 डाउन/22 अप एक्सप्रेस	मद्रास और नयी दिल्ली (हफ्ते में पांच दिन)	इस समय जी० टी० एक्सप्रेस के साथ हफ्ते में तीन बार जो अंशतः वातानुकूल डिब्बा चलता है, उसकी जगह यह व्यवस्था की जा रही है।
19 डाउन/20 अप देहरादून-एक्सप्रेस	कोटा और दिल्ली (हफ्ते में तीन बार)	इस समय इन गाड़ियों में कोटा और देहरादून के बीच हफ्ते में दो बार जो अंशतः वातानुकूल डिब्बे चलते हैं, उन्हें केवल कोटा और दिल्ली के बीच चलाया जायेगा और अब ये हफ्ते में तीन बार चलाये जायेंगे।
91 अप/92 डाउन बीकानेर मेल	दिल्ली और बीकानेर (हफ्ते में दो बार)	1-4-1966 से 31-7-1966 तक जैसा कि हर साल किया जाता है।
93 अप/94 डाउन जोधपुर मेल	दिल्ली और जोधपुर (हफ्ते में तीन बार)	हफ्ते में दो बार चलने वाले वातानुकूल डिब्बों को हफ्ते में तीन बार चलाया जायेगा।

बिहार में कागज बनाने के कारखाने

3168. **श्री दशरथ देव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी विशेषज्ञ दल ने, जो इस समय बिहार राज्य का दौरा कर रहा है, बिहार में कागज बनाने के कारखानों को खोलने की सम्भावनाओं के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां क्या थीं; और

(ग) क्या सरकार ने इस दल से आसाम तथा त्रिपुरा में कागज़ बनाने के कारखाने खोलेजा सकने की सम्भावना का पता लगाने को कहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

बल्गेरिया से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

3169. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बढ़ाने के बारे में बातचीत करने के लिये मार्च, 1966 के तीसरे सप्ताह में बल्गेरिया से पांच सदस्यों का एक सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके भारत आने का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क)तथा (ख): 1966 के लिए भारत-बल्गेरिया व्यापार योजना बनाने के लिए इस समय बात चीत चल रही है ।

पंजाब में रेलवे सम्पत्ति की हानि

3170. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के पंजाबी सूबा उपद्रवों में पंजाब में रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई; और

(ख) इस मामलें में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे की इमारतों, सवारी डिब्बों, सिगनल उपस्करों आदि को जो क्षति पहुंची, उसके कारण लगभग 53,000 रुपये की हानि का अनुमान है । जलंधर सिटीमें सिटी बुकिंग एजेंसी की रेलवे सम्पत्ति की क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ख) पंजाब में पंजाबी सूबा विरोधी आन्दोलन आरम्भ होने से पहले सुरक्षा सम्बन्धी उपाय कर लिये गये थे । रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र शाखा के कर्मचारी पंजाब के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दिये गये थे । किसी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के अग्नि शामक दल के कर्मचारियों को भी सजग कर दिया गया था । रेलवे सुरक्षा दल के विशेष आपात दल की दो कम्पनियां भी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दी गयी थीं । राज्य और रेलवे के प्राधिकारियों के बीच आवश्यक सम्पर्क कायम रखा गया ।

सोनतलाई और बाकंज स्टेशनों पर टिकट घर (बुकिंग आफिस)

3171. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में इटारसी जब्बलपुर सेक्शन के सोनतलाई और बाकंज स्टेशनों पर अभी तक यात्रियों के लिये कोई टिकट घर नहीं बनाया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टिकट घर कब बनाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : सोनतलाई पार-स्टेशन पहले ही यात्रियों और उनके सामान की स्थानीय बुकिंग के लिए खुला है । बुकिंग सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा की जाती है । लेकिन बाकंज पार-स्टेशन यात्री बुकिंग के लिए नहीं खोला गया है, क्योंकि यात्री यातायात के लिए इसे खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

(ग) बाकंज स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोलने पर तभी विचार किया जायेगा जब इस क्षेत्र का विकास हो जायेगा और यातायात बढ़ने की सम्भावना होगी ।

केरल में रबड़ का कारखाना

3172. श्री वासुदेवन नायर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सहकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रबड़ का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारखाना कब लगाये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

केरल में उत्पादन केन्द्र

3173. श्री मणियंगाडन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एत्तूमन्नूर उत्पादन केन्द्र को राज्य सरकार अथवा किसी निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका बयौरा क्या है तथा उसे सौंपे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन किये जाने के विरोध में लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य का ध्यान सर्वश्री वासुदेवन नायर तथा वारियर द्वारा पूछे गए इसी प्रकार के प्रश्न संख्या 1918 के 25-2-1966 को मेरे द्वारा दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) केरल में उत्पादन केन्द्रों को न तो राज्य सरकार अथवा किसी निगम को सौंपने का ही कोई विचार है और न वर्तमान व्यवस्था को बदलने का कोई विचार है जिसके अन्तर्गत केरल के उत्पादन केन्द्र, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के विकास आयुक्त, लघु उद्योग के संगठन का एक अंग है ।

चंडीगढ़ स्टेशन पर पार्सल साइडिंग

3174. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ स्टेशन के पार्सल साइडिंग में कोई छतदार शेड नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु में पार्सल खराब हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चंडीगढ़ स्टेशन पर अलग से कोई पार्सल साइडिंग नहीं है और न किसी साइडिंग पर छतदार शेड की व्यवस्था है। लेकिन, स्टेशन पर एक पार्सल गोदाम है जहां पार्सल रखे जाते हैं। जब पार्सल अधिक हो जाते हैं तो उन्हें खुले प्लेट-फार्म पर रखा जाता है और तिरपाल से ढक दिया जाता है, ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे।

(ख) चंडीगढ़ स्टेशन पर एक बड़ा पार्सल गोदाम और एक पार्सल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बनखेडी पर बिलासपुर-इन्दोर एक्सप्रेस गाड़ी का रुकना

3175. श्री हरि विष्णु कामत : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (मध्य रेलवे के इटारसी-जबलपुर सेक्शन पर) बनखेडी में बिलासपुर-इन्दौर एक्सप्रेस गाड़ी को थोड़ी देर रुकवाने का अनुरोध करने के लिये अभ्यावेदन दिये गये हैं;

(ख) क्या उन पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बिलासपुर-इंदौर एक्सप्रेस को बनखेडी स्टेशन पर ठहराने के बारे में हाल में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) और (ग) : बनखेड़ी स्टेशन पर वर्तमान यातायात के स्वरूप की जांच से पता चला है कि स्टेशन पर आने-जाने वाले लम्बे सफ़र के यात्रियों की संख्या इतनी कम है कि यहां बिलासपुर-इंदौर एक्सप्रेस के ठहराये जाने का औचित्य नही है। इस स्टेशन पर दो जोड़ी गाड़ियां ठहरती हैं और वे वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

सदस्यों के निलम्बन के बारे में

RE : SUSPENSION OF MEMBERS

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : I would not allow that. He may come his seat.

अविम्लबनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENEION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMORTANCE

कुछ निरुद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

'डा० सारादीश राय, संसद् सदस्य जो इस समय भारत रक्षा नियमों के अधीन निरुद्ध है, के स्वास्थ में गिरवाट।'

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो अन्य संसद् सदस्यों के बारे में भी आज प्रातः ही सूचना मिली है। क्या इन सभी सदस्यों के बारे में एक ही वक्तव्य ठीक न होगा ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : जैसा आप चाहें, श्रीमान् । मैं तो केवल जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को एक वक्तव्य दिया जाये।

व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में
RE : POINTS OF ORDER

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : Dr. Sahib, don't obstruct the proceedings unnecessarily.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to say some thing under Rule 367.

Mr. Speaker : The matter which had ended yesterday cannot be allowed to be raised now.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मिनरल्स एन्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, 1856 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1964—65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5954/66]**

कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3, की उप-धारा (6) के अन्तर्गत कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1966, की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 383 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5955/66]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

[श्री गोविन्द मेनन]

(एक) खाद्यान्न (मांड के निर्माण में प्रयोग पर निषेध) आदेश, 1966, जो दिनांक 21 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 425 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) गेहूं आटा बेलन चक्कियां (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966, जो दिनांक 24 मार्च, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 462 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 5956/66]**

कहवा (संशोधन) नियम

श्री मुहम्मद शफी करशी की ओर से रेलवे मंत्रालम में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कहवा (काफी) अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कहवा (काफी) (संशोधन) नियम, 1966, की एक प्रति, जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 302 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5957/66]**

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा से प्राप्त हुये इन संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 1966, को पास किये गये केरल विनियोग विधेयक, 1966, के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1966, को पास किये गये केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966, के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं, चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित ये दो विधेयक, जिन पर 25 मार्च, 1966, को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ई थी, सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नाविक भविष्य निधि विधेयक, 1966 ।

(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966 ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

सदन के नेता (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 4 अप्रैल, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(एक) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अविशिष्ट पद पर विचार ।

(दो) निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान—

परिवहन और उड्डयन

सिंचाई और बिजली

श्रम, नियोजन और पुर्नवास

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्योंकि बस्तर में 600 से अधिक व्यक्तियों की हत्या हुई है और इसकी पूर्वसूचना श्री रंगा द्वारा दी जा चुकी है इसलिये इस पर चर्चा अगले सप्ताह होनी चाहिये। दूसरे गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य 6 अप्रैल की प्रस्तावित कलकत्ता हड़ताल के बारे में भी दिया जाना चाहिये क्योंकि श्री ज्योति बसु के पत्र से लगता है कि केन्द्रीय हस्तक्षेप से संकट रोका जा सकता है। तीसरे एयर इण्डिया की हड़ताल के बारे में भी, जो अभी तक चल रही है, एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : बस्तर की घटनाओं के बारे में, जैसा कि सभी विरोधी दलों और कई कांग्रेसी सदस्यों की इच्छा है, चर्चा शीघ्र होनी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : बस्तर के बारे में हमें बहुत चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रहे हैं और लगता है कि वहां स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप शीघ्र ही चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री उ० म० त्रिवेदी (मंदसौर) : बस्तर की घटनाओं पर हम गत चार दिन से चिन्तित हैं, इसलिये सरकार को जितनी जल्दी हो सके इस पर चर्चा करने का निर्णय लेना चाहिये। क्योंकि एयर इण्डिया की हड़ताल से 50 लाख रुपये की हानि हुई है, इसलिये परिवहन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय की मांगों पर पहले चर्चा होनी चाहिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : बस्तर पर शीघ्र चर्चा होनी चाहिये और गृह मंत्री को इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सीधे अपने ऊपर लेनी चाहिये क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र है और राज्य सरकार मुख्य अपराधी है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : बस्तर की घटनाओं की जांच मुख्य न्यायाधीश द्वारा करवाये जाने के बारे में जो आलोचना हुई है उसका आशय मुख्य न्यायाधीश की आलोचना न होकर राज्य सरकार की आलोचना करना है जो स्वयं अपराधी है। जब किसी मुख्य मंत्री का मामला जांच अधीन होता है तो पहले भी उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति को यह कार्य सौंपा जाता रहा है। इसलिये सरकार को स्वंय चाहिये कि वह इस बार भी ऐसा ही करे और इस विषय पर चर्चा भी इसी सदन में हो।

Dr. Ram Manohar Lohia : You have not allowed the adjournment motion on Bastar on the plea of its being *sub Judice*. I do not understand that how you can allow discussion on this matter under any rule as the same argument can be put in this regard.

Mr. Speaker : He may resume his seat now. A decision has already been taken in the regard therefore nothing can be done now.

Shri Tyagi : Since there is great apprehension in the minds of the opposition as also in the minds of public, therefore, I would reguest the leader of the House to agree to a discussion on this subject. Our own party should also welcome it.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्यों तथा सभा को मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछले दिन भी हमने इस मामले पर चर्चा करने में किसी प्रकार की अनिच्छा व्यक्त नहीं की थी, किन्तु सभा को तथा आपको यह देखना है कि क्या प्रत्येक मामले पर यहां पर चर्चा हो सकती है क्योंकि हमें कुछ नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे। आप यह क्यों कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार को भी अपने विचार प्रकट करने हैं।

श्री नन्दा : जो विषय जांच के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है और जिन नियमों के अन्तर्गत चर्चा हो सकती है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के सम्बन्ध में मैं व्यवस्था करूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The way in which the dead body of Shri Bhanj Deo, after his death, was cremated hurridly reveals a mystery behind it. Sir through you I would like to tell the government that the clues and proofs, which may be useful for the enquiry commision in arriving at same conclusions, are being destroyed by the Madhya Pradesh Government. The State Government is using all methods to torture witnesses. The Central Government should take the remaining proofs into its own custody at once otherwise the enquiry will not be at all useful.

Shri Bagri (Hissar) : Sir, I beg to submit that if an adjournment motion on the subject is not admitted for discussion, it means that government wants to run away from its responsibility.

Mr. Speaker : This, matter cannot be taken up under Adjournment motion. The hon. Member may resume his seat.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : श्री स० मो० बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। वहां पर सेना बुलाई जा रही है। हमें आशंका है कि वहां स्थिति बिगड़ने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति और अधिक न बिगड़ने पाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : बस्तर के स्वर्गीय महाराजा के भाई तथा अन्य लोगों से संसद सदस्यों के पास प्रति दिन तार आ रहे है। यह प्रसन्नता की बात है कि गृह-कार्य मंत्री इस पर चर्चा के लिये सहमत हो गये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों पर चर्चा उठाने के लिये सभा के नेता को पहल करनी चाहिए। सरकार द्वारा चर्चा के लिये अनिच्छा दिखाने पर ही पिछले दिन सभा में अशोभनीय बात हुई थी।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : सभी सदस्यों ने इस मामले पर चर्चा किये जाने के पक्ष में विचार व्यक्त किये हैं। आपने पिछले दिन इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये थे और आज सरकार ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं नहीं जानता कि इस पर और चर्चा करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं इस विषय को पार्टी का मामला नहीं मानता हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सारे देश की रुचि है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिये। आपने पिछले दिन जब यह कहा था कि इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता, किन्तु इस पर चर्चा की अनुमति दी जा सकती है, तो कुछ भ्रांति सी पैदा हो गई थी। इस मामले पर आगे कुछ कहने से पहले मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। सभा के सामने यह किस प्रकार का प्रस्ताव है। नियम 188 के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों, आयोगों के विचाराधीन विषयों पर चर्चा उठाई जा सकती है। इसमें आप अपना स्वविवेक प्रयोग कर सकते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि आप इसकी अनुमति नियम 188 के अन्तर्गत दे रहे हैं अथवा अन्य किसी नियम के अन्तर्गत।

मैं गतिशील प्रजातन्त्र में विश्वास करता हूं किन्तु इसके साथ साथ हमें कुछ नियमों तथा उपबन्धों के अन्तर्गत गरिमा के साथ कार्य करना पड़ता है । इस सभा पर सारे देश की दृष्टि लगी हुई है । अतः हमें किसी मामले पर चर्चा करने की अनुमति देने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गौरव तथा मान पर किसी प्रकार की आंच न आने पाये । हमें यह भी देखना चाहिए कि इस मामले पर चर्चा की कितनी गुंजायश है ।

हम प्रत्येक विषय पर खुले रूपसे चर्चा करना चाहते हैं । हम कोई बात नहीं छिपाते है । सत्तारूढ़ दल का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है । अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि हम किस रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं मानता हूं कि बस्तर कांड पर सभी सदस्यों में बहुत क्षोभ है । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर किस सीमा के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त आयोग तथ्यों का पता लगाने वाला निकाय है । यह जो जांच आयोग नियुक्त किया गया है, न तो वह न्यायिक निकाय है और न ही अर्ध न्यायिक निकाय, अतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस पर किस प्रकार चर्चा की जा सकती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I have also given a notice to raise the discussion on the happenings in Bastar. It is very unfortunate that an unhappy scene was created in this House day before yesterday which lowered the dignity of the House.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : बस्तर में जो कुछ हुआ है उससे न केवल विरोधी पक्ष को अपितु कांग्रेस दल को भी क्षोभ है । इस बारे में इस सभा में चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। आशा है आप इसकी अनुमति देने की कृपा करेंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन के राष्ट्रपति ने अपने पाकिस्तान के दौरे के दौरान वहां पर भारत विरोधी वक्तव्य दिये हैं । इस मामले से वैदेशिक-कार्य मंत्री महोदय अवश्य अवगत होंगे । यह एक गंभीर मामला है । अतः इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को सभा में वक्तव्य देना चाहिए ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय बड़ी संख्या में ट्रक कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है । अतः मेरा अनुरोध है कि परिवहन मंत्रालय को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य भी देना चाहिए ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं समझता हूं कि इस मामले पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की जा सकती है न कि नियम 188 के अन्तर्गत, जैसा कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा है ।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री नाथ पाई ने देखा होगा कि इस प्रस्ताव के बारे में माननीय सदस्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : प्रस्ताव क्या है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे पता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सम्मति दी है, मैं प्रस्ताव के बारे में अभी कैसे बता सकता हूं ? उसे इस समय सभा के सामने नहीं रखा जा सकता है । मै केवल सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं । हम अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । चर्चा केवल समय नियत करने के सम्बन्ध में थी । मैं अपनी सम्मति देने से पहले प्रस्ताव के बारे में बताने नहीं कहूंगा ।

[अध्यक्ष महोदय]

जब मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था, तो मझ से पूछा गया था कि इस पर किस रूप में चर्चा की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि न्यायाधीन मामलों से सम्बंधित नियम अन्य मामलों पर भी लागू होता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न देने के सम्बन्ध में नियम 59 स्पष्ट है। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मुझे यह देखना है कि क्या उन पर चर्चा से जांच में कोई बाधा पड़ेगी अथवा नहीं। यदि मैं किसी मामले पर चर्चा की अनुमति देता हूं तो सरकार को भी उसके बारे में अपनी सहमति प्रकट करनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वह उस पर चर्चा के लिए तैयार है। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, प्रस्तावक को महसूस करना चाहिए कि न्यायाधीन मामलों पर चर्चा न की जाये। अतः इस पर चर्चा करने से किसी प्रकार की हानि नहीं है। सरकार ने इसके लिये अपनी सहमति दे दी है।

जहां तक उठाये गये अन्य मामलों का सम्बन्ध है उन पर मंत्री महोदय अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : बस्तर के सम्बन्ध में आप सभा को बता ही चुके हैं। जहां तक असैनिक उड्डयन का सम्बन्ध है उसे अगले सप्ताह की कार्य सूची में सबसे पहले रखा गया है और उस पर सदस्यों को चर्चा करने का अवसर मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बारे में हम एक से अधिक बार इस सभा में चर्चा कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अभी कोई वक्तव्य नहीं देगी।

उपज उपकर विधेयक

PRODUCE CESS BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय उपजों की खेती और विपणन के ढंगों में सुधार और विकास के लिए ऐसी उपज पर एक उपकर अधिरोपित करने के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कतिपय उपजों की खेती और विपणन के ढंगों में सुधार और विकास के लिए ऐसी उपज पर एक उपकर अधिरोपित करने के लिए तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : I can not allow it. He can not raise it without my consent.

सामान्य आय-व्ययक—अनुदानों की मांगे—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

विधि मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या 75 से 77 पर विचार करेगी। इसके लिये 3 घंटे नियत किये गये हैं।

ये मांगे सभा के सामने हैं।

विधि मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
75	विधि मंत्रालय . . .	59,55,000
76	निर्वाचन	2,82,53,000
77	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	39,46,000

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे 15 मिनटअमेंपी चिट भेज दें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रालय का न्यायिक प्रशसन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उचित नहीं है कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है और विधि मंत्रालय द्वारा नहीं । गृह-कार्य मंत्रालय को न्यायिक प्रशासन के मामलों के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है । वर्तमान पद्धति का परिणाम यह होता है कि सरकारी अभियोजको तथा सरकारी अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इन न्यायाधीशो पर सत्तारूढ़ दल की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों में जिनमें सरकार स्वयं एक पक्ष हो उनसे निष्पक्ष निर्णय की आशा नहीं की जा सकती है । अत: मैं समझता हूं कि सरकारी अभियोजकों तथा सरकारी अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त करने की वर्तमान प्रणाली शीघ्र समाप्त की जानी चाहिए ।

विधि मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन मामलों में सरकार के विरुद्ध दुष्कृति के लिय दावा किया जाता है, उनमें लोगों के न्यायोचित दावों को निष्फल बनाने के लिये किसी प्रकार की तकनीकी आपत्तियां न उठाई जायें । उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल में एक निर्णय दिया है जिसमें दुष्कृति के लिये उत्तरदायी बनाने का प्रश्न सामने आया था । समुचे देश में इससे लोगों को कठिनाई होती है किन्तु सरकार ने उनकी कठिनाइयों की ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है ।

इसी प्रकार देश के सभी नागरिको के लिये व्यवहार विधि संहिताबद्ध करने के सम्बन्ध में भी सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किये हैं । हिन्दुओं के सम्बन्ध में तो सरकार विधि बनाने में बड़ा उत्साह दिखाती है किन्तु ईसाइयों और मुसलमानों के लिये विधि बनाने में हिचकिचाती है। उदाहरणार्थ, हिन्दुओं पर एक से अधिक विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बना दिया गया किन्तु मुसलमान को चार पत्नियां तक रखने का अधिकार है । सरकार को इस प्रकार का भेदभाव पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए । अभी हाल में ईसाई विवाह विधेयक पर चर्चा की गई थी, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला । इस समय ऐसी विचारधारा उचित नहीं है । अत: सरकार को सब के लिये एक ही व्यवहार विधि संहिता बनाने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

सरकार के वादकारिता विभाग में लालफीतेशाही का बोल बाला है । इस से कार्यों को निपटाने में असाधारण रूप से विलम्ब होता है । विलम्ब होने से सरकार का काफी धन खर्च होता है जिसका भार राजकोष पर पड़ता है । विधि मंत्रालय को इस लालफीतेशाही को समाप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ।

[श्री उ० म० त्रिवेदी]

अब मैं अधिनियमों के अनुवाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अधिनियमों के अन्य मामलों में किये गये अनुवाद की तुलना में गुजराती भाषा की उपेक्षा की गई है । गुजराती भाषा का अपना शब्द भंडार काफी समृद्ध है । सरकार को भाषाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का भेदभाव पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए ।

मूल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के बारे में भी अब मैं कुछ कहूंगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रूप से सरकार के साथ किये गये, किसी संविदा से सम्बन्ध हो तो वह लोक प्रतिनिधि नहीं बन सकता है । किन्तु प्रस्तावित संशोधन द्वारा 'परोक्ष' शब्द को हटाया जा रहा है । जिससे चुनाव आयोग के लिये मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों को निकालना कठिन हो जायेगा । उदाहरणार्थ; उड़ीसा में श्री पटनायक अपने पद का लाभ उठाकर धन भी जमा करते रहे और अपने पद पर भी बने बने रहे । अतः मेरा अनुरोध है कि इस अधिनियम में संशोधन कर के मूल स्थिति बनी रहनी चाहिए ।

चुनावों से सम्बन्धित मामले निर्णय के लिये जिला न्यायाधीशों तथा एक सदस्सीय न्यायाधिकरणों को नहीं सौंपे जाने चाहिए, एक सदस्यीय न्यायाधिकरणों से लोगों को अनेक कठिनाइयां होती है । न्यायाधिकरणों में यथासंभव उच्चन्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : हमारे जीवन के समाजवादी ढांचे की बात तो अलग रही, देश की विधियों में और समाज की आवश्यकताओं में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसा लगता है कि कानून केवल निहित हितों के लिये ही बनाया जाता है न कि जन साधारण के हितों के लिए ।

विधि आयोग कई वर्षों से दंड प्रक्रिया संहिता की जांच करने तथा अन्य कार्यों में लगा हुआ है किन्तु आयोग द्वारा मूल विधि अथवा प्रक्रिया के सम्बन्ध में आमूल सुधार करने का कोई सुझाव तक नहीं दिया गया है । विधि मंत्रालय के आवेदन में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि क्या निर्धन लोगों के लिये कानूनी सहायता की व्यवस्था करने अथवा विलम्ब को दूर करने के लिये कुछ किया गया है ।

अब समवाय विधि प्रशासन बिधि मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया है । समझ में नहीं अता कि विधि मंत्रालय इसका कार्य को किस प्रकार उचित रूप से चला सकेगा क्योंकि उसे स्टाक एक्सचेंजों के पुराने सटोरियों और इसी प्रकार के अनुचित कार्य करने वाले लोगों से व्यवहार करना पड़ता है और मंत्रालय के पास उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं है । समवाय विधि से सम्बन्धित विभाग को बढ़ाया जाना चाहिए ।

ऐसा लगता है कि अधिकांशतः निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के हितों और स्वार्थ के लिये कार्य करता है । देश में लम्बी अवधि से उपचुनाव नहीं कराये गये हैं । इसका प्रभाव प्रतिकूल तथा अवांछनीय हुआ है क्योंकि इस से एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है । देश के प्रधान मंत्री इस सभा की सदस्या नहीं हैं और यदि यही स्थिति बनी रही तो वर्तमान संसद की अवधि के दौरान वह इस सभा की सदस्या नहीं बन सकेगी । यह एक बुरी प्रथा कायम की गई है क्योंकि प्रधान मंत्री का राज्यसभा की सदस्या होना ही काफी नहीं है । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस सभा का सदस्य बनना चाहिए ।

ऐसा मालूम होता है कि निर्वाचन आयोग सरकार के हितो को अधिक ध्यान में रखता है जिसके फलस्वरूप उप-चुनाव नहीं हो रहे हैं ।

राज्य सभा में केरल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । यह लोकतन्त्र तथा राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के साथ धोखा है । इन्डिया जिसको कि भारत कहा जाता है राज्यों का एक संघ है और दोनों सभाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व है ।

ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल की राजनीति में फंस गया है तभी उसने यह सिफारिश की है कि उड़ीसा में चुनाव स्थगित किये जाने चाहिये। यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकी है। पांच वर्ष पूर्व जब हम सब यह महसूस करते थे कि गरीबी के कारण उड़ीसा में चुनाव को स्थगित किया जाना चाहिये परन्तु हमारे विरोध के बावजूद वहां पर चुनाव कराये गये थे क्योंकि वह समय चुनाव में कांग्रेस की सफलता के लिये उपयुक्त था। अभी परसों ही श्री किशन पटनायक ने उड़ीसा में भुखमरी से मृत्यु का उल्लेख किया है जिसका कि खाद्य मंत्री खण्डन नहीं कर सके। उड़ीसा में स्थिति प्रतिदिन बिगड़ रही है और सत्तारूढ़ दल में भ्रष्टाचार फैल रहा है। इस भ्रष्टाचार तथा गम्भीर खाद्य स्थिति के कारण वहां के लोगों का विश्वास सत्तारूढ़ दल से उठ गया है। इसी लिये निर्वाचन आयोग और विधि मंत्रालय ये वहां पर चुनाव न कराने का निर्णय किया है।

कभी कभी निर्वाचन आयोग के व्यवहार से यह ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव सम्बन्धी व्यय की अधिकतम सीमा को उचित ढंग से लागू करना नहीं चाहता। वह ऐसे सुझाव दे रहा है कि व्यय की यह अधिकतम सीमा अवास्तविक है और इसलिये उसे हटा देना चाहिये। इस का अर्थ यह है कि जिस किसी के पास भी पर्याप्त धन है वह भ्रष्टाचार के सभी तरीकों से चुनाव जीतने का यत्न कर सकता है। यह चीज उत्तम लोकतंत्र के विरुद्ध है परन्तु निर्वाचन आयोग ऐसे सुझाव दे रहा है जिस से सत्तारूढ़ दल को सहायता मिले क्यों कि उसके पास पर्याप्त धन है और चुनाव जीतने में धन का बहुत महत्व होता है।

देश में इस समय बेमतलब के कानून लागू होने की भी स्थिति है। हाल ही में सभी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपतियों ने प्रधान मंत्री से अपील की है कि देश में मूल अधिकारों को पुनः लागू किया जाये तथा आपात की स्थिति को समाप्त किया जाये। उन्होंने कहा है कि भारत रक्षा अधिनियम तथा नियम असंवैधानिक तथा अवैध हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा राज्य एक पुलिस राज्य बन गया है। देश की उच्चतम न्यायापालिका ने इन शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि देश की ऐसी ही स्थिति बना दी गई है।

कुछ समय पूर्व विधि मंत्री को इलाहाबाद भेजा गया था। उन्होंने वहां पर आपात की स्थिति को चालू रखने के पक्ष में एक भाषण दिया था परन्तु एक भूतपूर्व न्यायाधीश होने के नाते उनको श्री नन्दा द्वारा चलाई जाने वाली इस प्रकार की राजनीति में नहीं फसना चाहिये था। एक प्रसिद्ध न्यायाधीश होने के कारण उनको हर बात साफ साफ कहनी चाहिये।

हमारे देश में काननों पर ठीक प्रकार से अमल नहीं किया जा रहा है और मंत्रालय के प्रतिवेदन का भी कोई मूल्य नहीं है क्योंकि विधियों में मूल परिवर्तन करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारे कानून या कम से कम शिष्टाचार के सामान्य सिद्धान्त, जो हमारे जीवन में आत्मसात होने चाहिये, बनाये रखे जायें। आशा है कि विधि मंत्री कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारे कानूनों की क्रियान्विति में कुछ शिष्टता तथा विवेक का पुनः समावेश हो जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): महोदय मैं मांगों का समर्थन करता हूं तथा सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं। लोकतन्त्र पद्धति में विधि का शासन सन्निहित है और मेरा विचार है कि इस विभाग को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि इसको दिया जाना चाहिये यद्यपि विधि बनाना तथा भाषा सम्बन्धी आयोग का कार्य करना इस मंत्रालय का मुख्य काय है।

इससे पूर्व कि मैं दुसरे दो भागों के बारे में कुछ कहूं मै राजभाषा आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि इसको उचित महत्व नहीं दिया गया है।

[श्री० गो० ना० दिक्षित]

अपनी भाषा के बिना किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और हमारे संविधान बनाने वालों ने भी इस बात पर विचार किया था। उन्होंने राज भाषा के बारे में संविधान में भाग 17 विशेषरूप से बताया है और अनुच्छद ३४३ के उप-नियम (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राज भाषा देवनागरी लिपी में हिन्दी होगी। संविधान के अनुच्छेद उपज तथा दूसरे अनुच्छेदों में राज भाषा आयोग तथा इसके कार्यों के बारे में भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं के अनुसार राजभाषा आयोग स्थापित किया गया था जो कि इस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। मेरा निवेदन है कि कई राजनैतिक विचारों के कारण इस विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

पंडित नेहरु तथा महात्मा गांधी दोनों ने यह विचार व्यक्त किये थे कि अपनी भाषा के बिना या विदेशी भाषा के आधार पर कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। पंडित जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हमारी अपनी भाषा होनी चाहिये और वह भाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है। इसी के फलस्वरूप संविधान में अनच्छेद रख गये थे। संविधान निर्माताओं का यह मत था कि 15 वर्षों के दौरान राज भाषा आयोग भारत के सभी न्यायालयों को हिन्दी में पाठ्य प्रस्तकें दे सकेगा। परन्तु अभी तक किसी न्यायालय में भी विधि सम्बन्धी पुस्तक हिन्दी में नहीं है जिसका प्रयोग किया जा रहा हो। परिणामस्वरूप यह एक तकनीकी विषय बन गया है। राजभाषा आयोग एक तकनीकी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है न कि ऐसे निकाय के रूप से जिसकी मुख्य जिम्मेदारी यह देखना है कि हिन्दी यथासम्भव शीघ्र देश की राष्ट्र भाषा बने। हिन्दी तभी देश की भाषा बन सकती है जबकि ज़िला न्यायालय हिन्दी में कार्य करना आरम्भ कर दें। जब तक हम हिन्दी में ऐसा साहित्य नहीं बनाते जिसका प्रयोग प्रत्येक जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में किया जा सके, तब तक हिन्दी के देश की भाषा बनने की कोई आशा नहीं है क्योंकि न्यायालय की भाषा ही देश की भाषा बनती है। विधि मंत्री को इस मामलों पर ध्यान देना चाहिये।

कानून बनाना एक बहुत ही कठिन कार्य है ऐसा कहा जाता है कि भारत में कोई भी नहीं जानता कि कानून क्या है चाहे वह अधिकारी हो या उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही क्यों न हो। कानून इतना जटिल तथा इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी नही जानता कि कानून क्या है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कानून बनाने वालों को भी इसे लागू करने में कठिनाई हो रही हैं। जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था कि संविधान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में तीन बार संशोधन किया गया है। संविधान के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाना चाहिये। यदि आप कानून का पुनरीक्षण करना चाहते हैं तो इसे समस्त प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

कानून में बहुत सी अनियमितायें हैं। इनको दूर किया जाना चाहिए। उदाहरणतया यदि किसी मामले मे, जिस मे विवादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो, दीवानी के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के बीच मतभेद हो, तो मुकदमा करने वाले को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया जाता है और छोट न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्न है, तो उस व्यक्ति को अपील का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि इस में उसके जीवन का मामला अन्तर्ग्रस्त होता है। मैंने केवल एक मामले का उल्लेख किया है। ऐसे कई मामले हैं। संविधान तथा कानून सम्बन्धी सभी मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

कुछ समय पूर्व महा न्यायवादी की नियुक्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों के बारे में संसद सदस्यों को एक परिपत्र दिया गया था। अमरीका और इंग्लैंड में केवल दल के व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जब विरोधी दल सत्तारूढ़ होता है तो वह अपना व्यक्ति इस पद पर नियुक्त करता है मैं नहीं जानता कि इन सिद्धान्तों का क्या हुआ जिनको परिचालित किया गया था। ऐसे मामलों का कुछ सिद्धान्तों के आधार पर ही निर्णय किया जाना चाहिये।

विधि मंत्रालय के अधीन समवाय विधि विभाग नाम का एक नया विभाग खोल दिया गया है। विवियन बोस आयोग के निष्कर्षों से पता चलता है कि 2 करोड़ रुपये की राशि निदेशक स्वयं पचा गए ह।

मैं नहीं जानता कि समवाय विधि विभाग ने इस के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया और २ करोड़ रुपये की वापसी के लिये दिवानी कार्यवाही क्यों नहीं की । मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह समस्त मामले की जांच करें ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय लगभग 12 वर्ष पूर्व प्रथम लोकसभा में मैंने विधि आयोग स्थापित करने के बारे में एक सुझाव दिया था क्योंकि लगभग 50 वर्षों से हमारी विधियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इस लिये मैं ने विधि आयोग की नियुक्ति पर जोर दिया था । सरकार की ओर से उस समय के विधि मंत्री ने मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया था । परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमारी आशायें आजतक पूरी नहीं हुई है । कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी विधि आयोग ने कोई अधिक कार्य नहीं किया है । विधि मंत्री को विधि आयोग में सुधार करना चाहिये तथा देखना चाहिये कि यह उचित तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य करे । विधि आयोग के सभापति एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है । शायद उनको बहुत कार्य सौंप दिए गये हैं । पहले उन को परिसीमन आयोग में नियुक्त किया गया था और अब उनको अल्पसंख्यक लोगों के दमन को प्रश्न की जांच का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है । मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वह संविधि पुस्तक को आधुनिक बनाने की ओर ध्यान दे ।

मैं महान्यायवादी तथा विधि मंत्री के पदों को एक करने के विरुद्ध हूं । मैं प्रसन्न हूं कि ऐसा नहीं किया गया है । भारत इंगलड नहीं है और हमें बिना सोचे समझे उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है । लार्ड रीडिंग तथा सर जान साइमन ने इस प्रणाली की निन्दा की है । क्यों कि उस स्थिति में महान्यायवादी मंत्रिमंडल के निर्णयों के विरुद्ध अपना निर्णय नहीं दे सकता । मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वह एक गम्भीर समस्या को जिसमें विधि और न्याय का समूचा प्रशासन बदनाम हो रहा है, हल करने के लिये तुरन्त एकअखिल भारतीय आयोग नियुक्त करें । बंगाल में दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मुकदमों को निपटाने में बहुत विलम्ब हो रहा है । जब मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में आया था तो वहां के मुख्य न्यायाधीश ने मुझे बताया था कि वहां पर 11,000 मुकदमें एसे हैं जिनका फैसला होना शेष है । इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1950 में किये गये अपराध के आरोप का मुकदमा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है । एक मामले में अपील करने वाले को, जो कि एक उच्च सरकारी कर्मचारी थे, उच्च न्यायालय से जमानत का आदेश प्राप्त होने से पूर्व एक वर्ष हवालात में रहना पड़ा । इस समस्या को हल करने के लिय तथा स्थिति को सुधारने के लिये एक अखिल भारतीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि देश के सभी वकील इन बुराइयों के दूर करने के लिये आयोग को रचनात्मक सुझाव देंगे ।

न्यायपालिका को गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन रखने का कोई कारण नहीं है । ऐसी प्रथा ब्रिटिश शासकों ने चलाई थी । स्वतन्त्र भारत में ऐसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिये । तथा न्यायपालिका को विधि मंत्रालय के अन्तर्गत रखना चाहिये । भारत में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और भविष्य संबंधी आशाओं में सुधार करने के लिये विधि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, गृह-कार्य मंत्रालय ने उनमें से एक को भी स्वीकार नहीं किया है । मुझे विश्वास है कि यदि यह सुझाव विधि मंत्री के सम्मुख रखे जायें तो वह इन पर अवश्य विचार करेंगे ।

न्यायाधीशों के वेतन कई वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये थे । जब तक न्यायपालिका की स्थिति में सुधार न हो, वे अपना स्तर नहीं बनाये रख सकते । यदि हम चाहते हैं कि उच्च न्यायालयों के पदों पर विधि व्यवसाय के योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हों तो हमें उन सिफारिशों को मानना होगा और स्थिति में सुधार करना होगा ।

कुछ महीने पहले मैं आस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन में भाग लेने गया था । वहां मुझे मालूम हुआ कि कानूनी सहायता की व्यवस्था में अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पिछड़े हुए हैं । हमारा न्यायालय शुल्क विश्व में सब से अधिक है । हमें उस पर ध्यान देना चाहिये । निर्धन और अनपढ़ लोगों के लिये कानूनी सहायता नितान्त आवश्यक है । निर्धन लोग शुल्क नहीं दे सकते और मुकदमों पर भारी व्यय नहीं कर सकते ।

[श्री० नि० चं० चटर्जी]

विधि मंत्री को आपात की स्थिति को समाप्त करने तथा लोगों के मूल अधिकारों को पुन:स्थापित करने की मांग पर ध्यान देना चाहिये। समूचे देश में हिंसा का वातावरण है । इसका कारण आपात-काल को जारी रखना और मुकदमा चलाये बिना, आरोप लगाये बिना लोगों की स्वतंत्रता छीनने के कारण उत्पन्न होने वाला असंतोष है। मैं ने श्री नन्दा से अपील की थी कि कम से कम संसद् सदस्यों के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाला एक अर्धन्यायायिक अधिकरण बनाये। उन्होंने कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे। परन्तु वह अभी तक उस पर विचार ही कर रहे हैं। आशा है कि विधि मंत्री इस पर ध्यान देंगे। लोगों के मुल अधिकारों का उपहास नहीं किया जाना चाहिये उसको वास्तविक अधिकार बनाया जाना चाहिये और भारत के नागरिकों को उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्रालय के बारे में यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि रुपये
75	14	श्री वारियर	सभी राज्यों में गरीबों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
75	15	श्री वारियर	केरल में शीघ्र चुनाव कराने की आवश्यकता .	100
75	16	श्री वारियर .	सभी केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में शीघ्र अनुवाद कराने की आवश्यकता ।	100
75	17	श्री वारियर	चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को मतदाता-सूचियां मुफ्त उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	100
75	18	श्री वारियर	अधिकतम निर्वाचन-व्यय संबंधी नियम लागू करने की आवश्यकता ।	100
75	19	श्री वारियर	चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि में चुनाव संबंधी मामले निपटाने की आवश्यकता ।	100

श्री कृ० चं० शर्मा (सर्घना) : आज विधि का महत्व बहुत बढ़ गया है विश्व में लोगों के जीवन और समाज पर प्रभाव डालने का प्रभाव विधि में इतना अधिक पहले कभी नहीं था। अतः जीवन को अच्छा बनाने के लिये इसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। आज की स्थिति में धनी लोग कुशल और विख्यात वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं और कमजोर मुकदमों का निर्णय भी अपने पक्ष में करा लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति समाज के ऐसे वर्ग से की जाती है जिसे जनसाधारण की कठिनाईयों और समस्याओं का पता भी नहीं होता। बड़े बड़े वकील निहित हितों के लिये ही कार्य करते हैं। इस प्रकार उचित न्याय नही हो पाता। ऐसे ही वकीलों को उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उनकी निर्धन कृषकों के प्रति उनकी भावनायें क्या हो सकती हैं ?

कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं परन्तु यदि न्यायाधीश के हित ही निहित हो तो न्याय नहीं हो सकता है। भारत के न्यायालयों के बारे में यह बड़े दु:ख की बात है। रूस में कानून की व्यवस्था इस प्रकार नहीं है। हमें अपने कानून पद्धति में आमुल परिवर्तन करना चाहिये। हमें व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप में देखकर उसे कार्यशील समझना चाहिये। उसे समाज मे अच्छा स्थान मिलना चाहिये।

हमें कानून की शिक्षा के लिये नई संस्थाएं स्थापित करनी चाहियें। में वहां पर जीवन के व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में भी ज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिये। अपने देश के प्राचीन कानूनों तथा अन्य देशों की कानूनों की जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिये। हमें अपने अनुभव के आधार पर अपने कानून बनाने चाहियें। विधि मंत्रालय का नाम न्याय मंत्रालय होना चाहिये।

Shri Vishwanath Pandey(Selampur) : The appointments of judges should be done by the Ministry of Law. Though we have a democratic form of Government yet justice is very costly here. We should set up Peoples' Courts as are there in Russia.

The penal code has become out moded. It should be suitably amended. Unless this is done we can not ensure justice. The Code of Criminal Procedure also requires amendment, because innocent people are sometime arrested under this.

A man of ordinary means cannot engage eminent lawyers, because their fee is very high. The famous advocates should argue their cases in Hindi in courts. It is only then that Hindi will become popular. The judges should deliver judgements in Hindi. It will help in making Hindi popular. An all India Judicial Service should be formed.

The separation of Judiciary and Executive has not been complete in real sense of the term in U. P. It requires some improvements. This should be looked into. I have noticed that cases remain pending for very long time in courts. Efforts should be made to eliminate this delay. Government should provide legal aid to the poor. The U. P. Government has increased the court fee. This should be undone.

An appeal against the death sentence cannot be made unless High Court gives prior permission. This bar should not be there. I want that the hon. Minister should consider this point. The District Judges of Gorakhpur and Deoria do not have equal rights. This discrimination should not be there. The rising prices are effecting Judges also. They should be given some relief.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : आज देश में जनसाधारण को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय को इसका अनुभव नहीं है। विधि मंत्रालय को ऐसे उपाय सोचने चाहिये कि जिन से इन उत्पीड़ित लोगों को कुछ आराम मिले।

जगदलपुर में घडी घटना से हम सबको बड़ा दुख है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करायी जा रही जांच पूर्ण नहीं होगी। इस जांच आयोग में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिये। इस काण्ड के लिये मध्य प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है। आजकल पुलिस बिना किसी कारण के लोगों को बहुत तंग करती है। सरकार को पुलिस के कामों में आवश्यक सुधार करना चाहिये। देश के नागरिकों को संरक्षण उपलब्ध करना सरकार का कर्त्तव्य है।

हमारे देश में चुनावों पर बहुत अधिक खर्च होता है। इसे कम करने के कुछ उपाय करने चाहिये।

हमें चुनावों की मतपेटी की पवित्रता को बनाये रखना चाहिये। मतपत्रों को साधारण प्रेसों में न छपवाकर सरकार के सिक्युरिटी प्रेस में छपवाना चाहिये और सभी मतदान केन्द्रों में उनकी संख्या के बारे में लेखा रखा जाना चाहिये।

श्री खाडिलकर (खेड) : आज के विश्व में विविध मंत्रालय न्याय मंत्रालय होता है। यह जनसाधारण के अधिकारों का संरक्षक है। हमारा विधि मंत्रालय इस समय केवल एक सलाहकार मंत्रालय है। न्यायाधीशों की नियुक्ति गृह-कार्य मंत्रालय करता है और न्यायाधिकरणों की नियुक्ति संबंधित मंत्रालय करते हैं। इस प्रकार विधि मंत्रालय का कार्यक्षेत्र सीमित सा है।

एक सफल विधि मंत्री की पहली योग्यता उसकी विचारधारा होती है। उसके विचारों के अनुसार ही कानूनो आदि बनते हैं। हमारे देश में न्याय बहुत मंहगा हो गया है। केवल धनी लोग ही बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में निर्धन वर्ग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस के अतिरिक्त मुकदमों के निर्णय होने में विलम्ब हो जाता है। विधि मंत्री को इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कदम उठाने चाहियें।

[श्री खाडिलकर]

हमारे देश में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की नियुक्ति की पद्धति भी बहुत चल पड़ी है। सरकार को ब्रिटेन के फ्रैंक आयोग की सिफारिशों से इस बारे में लाभ उठाना चाहिये। सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये। प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किये जाने चाहिये।

मुक़दमों के निपटाने में विलम्ब नहीं होना चाहिये। उन पर कम खर्च होना चाहिये। मुकदमों की पैरवी के मामले में गरीबों को सहायता मिलनी चाहिये। माननीय मंत्री को इन मामले में सहायता करनी चाहिये और आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

विभिन्न मंत्रालयों में विधि मंत्रालय का कार्य नहीं बांटना चाहिये। मुकदमों का काम इसी मंत्रालय में केन्द्रित कर दिया जाना चाहिये। माननीय मंत्री को यह सुधार अवश्य करना चाहिये।

समवाय विधि विभाग अब विधि मंत्रालय के अधीन हो गया है। यह अच्छी बात है। इस विभाग में कुछ विख्यात वकील रखे जाने चाहियें और इसमें आयकर विभाग के लोगों की संख्या कम होनी चाहिये। समवाय विधि न्यायाधिकरण के फसलों के विरुद्ध अपील सीधी उच्चतम न्यायालय में होनी चाहिये। हमारे देश की एकता हमारी एकीकृत कानूनी प्रणाली पर ही निर्भर करती है। इसको एकदम हिन्दी भाषा में बदलने से देश को बहुत हानि होगी। देश की एकता के हित में हम एकदम हिन्दी जारी नहीं कर सकते।

राज भाषा (विधान आयोग) कानूनों का हिन्दी में अनुवाद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इनका देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिये कानूनों की भाषा एक समान होनी चाहिये। यह देश की कोई भी भाषा हो सकती है।

विधि संबंधी शिक्षा अब प्रादेशिक भाषाओं में दी जानी लगी है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सावधानी से काम ले कर पूरे देश के लिय एक समान शब्दावलि निर्धारित करनी चायि। विधि मंत्रालय को बदलते समय साथ साथ बदलना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I want that the court fee should be abolished. Our laws were enacted during the days of Britishers. There are many flaws in them. Necessary changes should be made in them. The retired judges of High Courts should not be reappointed. It leads to corruption. I hope the hon. Minister will consider this suggestion and implement it. The limit of Rs. 25 thousands regarding election expenses should be reduced. A poor man cannot afford that much. We should put some curbs on this lavish spending.

I am sorry to note that opposition leaders are watched by the C. I. D. You are not doing justice to the constitution as well as to the masses. Hindi is also ignored, justice is not done to it. It is a matter of great regret that although Hindi is national language, it is not being used in the Courts. We find that a large number of cases are pending in the courts. Also it takes a very long time for deciding petitions. I shall hope upon the Minister that attention should be paid to that matters.

श्री बालकृष्णन् (कोइलपट्टी) : मैं विधि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। म वकील नही हूं परन्तु विधि के प्रति सामान्य व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस दिशा में मेरा निवदन है कि लोगों को कम खर्च पर शीघ्र तथा उचित न्याय मिलना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो गरीब लोगों के लिये न्याय प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जायगा। इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये। नागरिकों के उत्तर-दायित्व तथा अधिकारों का मूल विधि ही निर्धारित करती है परन्तु इनको व्यवहार विधि लागू करती है। व्यवहार विधि को आसान तथा शीघ्र न्यायकारी होना चाहिये।

इस समय सामाजिक विधियों को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इन विधियों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये । दुर्भाग्यवश अपराधों के शिकार व्यक्तियों को जो कि गम्भीर, चोटों के कारण विकलांग हो जाते हैं, कोई प्रतिकर नहीं मिलता है यद्यपि इसके लिये दण्ड प्रक्रिया सहित में व्यवस्था है। इसलिये यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि एसे व्यक्तियों को प्रातकर दिया जाय कि सम्पत्ति की हानि-पूर्ति के लिय भी प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

मोटर दुर्घटनाओं में गरीब लोगों को बहुत कम प्रतिकर दिया जाता है। कठिनाई यह है कि आपराधिक न्यायालय प्रतिकर नहीं दे सकते हैं। पक्ष अथवा जुलमों के शिकार लोगों को प्रतिकर लेने के लिय व्यवहार न्यायालयों में जाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि आपराधिक न्यायालय उचित तथा पर्याप्त प्रतिकर दे सकें।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : मेरा विचार मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का नहीं था। पर क्योंकि समवाय विधि प्रशासन विधि को वित्त मंत्रालय से बदल कर इस मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया। इसलिये मैं इस बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरा निवेदन है कि समवाय विधि बोड को कई शक्तियां दी गयी हैं। नय संशोधनों के अन्तर्गत बनाये गये न्यायाधिकरणों को भी कई शक्तियां दी गयी हैं। मुकदमों को तुरन्त निपटाने के लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

हाल के संशोधनों के फलस्वरूप कई बाधायें उत्पन्न हो गई हैं विनियोजन के बारे में निदेशकों की शक्तियां वापस ले ली गई हैं। निधियों के उचित उपयोगीकरण के प्रयोजन के लिय य शक्तियां उपयोगी तथा आवश्यक हैं। एक अन्य धारा जो लागू की गई है, वह विभिन्न न्यासों के शेयरों के बारे में लोक न्यासी द्वारा मतदान की शक्ति के बारे में है। जब तक कि न्यासधारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने अपने व्यक्तिगत हित में एक अनुचित ढंग से करते हैं तब तक उन्हें इन शक्तियों का प्रयोग करने दिया जाना चाहिय और लोक न्यासधारी को बीच में नहीं आना चाहिये। न्यायाधिकरण की बैठकें यदि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली तीनों जगह हो तो काफी सुविधा हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बातों पर ध्यान देंगे और विधि मंत्रालय को औचित्य ढंग से चलायेंगे।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भी बातें यहां प्रस्तुत की हैं मैं उन पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बातों पर मैं अपने भाषण पर प्रकाश न डाल सकूं उस पर माननीय सदस्य मुझसे चर्चा कर सकते ह। दुष्कृत्यों के बारे में सरकार के दायित्व के संबंध में एक विधेयक को सभा में पुरः-स्थापित किया गया है। यह मामला सभा के सामने आयेगा। इस पर उचित विचार किया जायेगा। निदेशक तत्वों के अन्तर्गत एक समान व्यवहार विधि बनाना राज्य का कर्त्तव्य है। परन्तु यह स्मरण रखा जाना चाहिये कि वैयक्तिक विधियों के मामले में भावनायें सामने आती है और नागरिकों की भावनाओं का आदर करना पड़ता है।

हमें आशा है कि ऐसा समय आयेगा जब सम्बन्धित समुदाय एक प्रगतिशील विधान विशेषकर लोकमत का विकास करेंगे, और तब राज्य व्यवहार विधि में एक समानता लाने के लिये कार्यवाही करेगा। ऐसा करने के लिये हम हर प्रयत्न कर रहे हैं। देश में सभी समुदायों के लिये समान व्यवहार विधियों को स्वीकार करने के लिये पर्याप्त लोक मत तैयार करने में लोगों को सहायता करनी चाहिये। सरकार इस दिशा में हर प्रयत्न करेगी परन्तु इस प्रयत्न से तभी सफलता मिलेगी जब लोग विधियों को स्वीकार करने के लिये तयार होंगे।

[श्री गोपाल स्वरुप पाठक]

मुकदमेबाजी में अधिक खर्च तथा न्याय के प्रशासन में विलम्ब के प्रश्न उठाये गये हैं। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे कानून अधिकाधिक जटिल बनते जा रहे हैं और इनमें वृद्धि होती जा रही है। हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में मुकदमेबाजी कम हो जायेगी। इस समस्या को सुलझाने के लिय केवल न्यायधिशों की संख्या में वृद्धि करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इस मामले पर अधिक सावधानी से विचार करना है और कोई हल ढूंढने का प्रयत्न करना है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सावधानी से विचार करने तथा देश में व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके लिये उन लोगों के मतैक्य की आवश्यकता है जो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगे। सरकार इस मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है। चुनाव याचिकायें काफी समय तक विचाराधीन रहती हैं। सरकार ने इस मामले वे बारे के निर्णय कर दिया है। एक विधेयक विचाराधीन है। सरकार न्यायाधिकरणों को समाप्त करना चाहती है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

83 वाँ प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरासीवें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1966, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तिरासीवें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1966, को सभा मे प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

राष्ट्रीय राईफल प्रशिक्षण योजना विधेयक

NATIONAL RIFLE AND TRAINING SCHEME BILL

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि बीस और तीस वर्ष तक की आयु के स्वस्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बिस और तीस वर्ष तक की आयु के स्वस्थ शरिर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 239 क का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 239 A)

Shri Nawal Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : I beg to move for leave to introduce a Bill to further amend the Constitution of India.

Mr. Chairman : The question is:—

"That the leave be granted to introduce a bill to further amend the Constitution of India".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*Motion was adopted.*

Shri Naval Prabhakar : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 152, 370 आदिका हटाया जाना)—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLES 152, 370 ETC)—*Contd*

सभापति महोदय : अब श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विधेयक पर आगे विचार होगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता, मध्य) : मुझे खेद है कि प्रस्तावक महोदय ने ताशकन्द समझौते की निन्दा की है। मेरे विचार तो यह पाकिस्तान के हाथ में खेलने वाली बात है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि पाकिस्तानी शासकों द्वारा चाहे कुछ भी कहा जाता रहे पर उनकी उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों के बावजूद हमें यह ही निश्चय करना चाहिये कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि ताशकन्द भावना के विरुद्ध हो।

अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। उसके लिये सुझाव राज्य सरकार से आना चाहिये। इस दिशा में प्रस्तावित उपबन्ध की व्यवस्था करने का परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। मेरा मत यह है कि कुछ चीजों के बारे में केवल सैद्धांतिक रवैया अपनाना हमारे देश के लिये अच्छा नहीं। मेरे विचार में जहा तक हमारी स्थिति का संबंध है, काश्मीर के बारे में कोई झगड़ा ही नहीं है। परन्तु स्थिति यह है कि जो कुछ हमारा सिद्धान्त है उससे न संसार सहमत है और न ही पाकिस्तान उससे सहमत है।

वास्तविक स्थिति यह है कि जम्मू और काश्मीर का बड़ा क्षेत्र वास्तव में पाकिस्तान के कब्जे में है। सिद्धान्त रूप में इस दावे को झूठा नहीं सिद्ध किया जा सकता। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि ताशकन्द समझौते से उत्पन्न वातावरण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान युद्ध विराम रेखा के आधार पर जम्मू और काश्मीर का परिसीमन करने के संबंध में 1956 में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरु की बात मान लेते तो अच्छा था। मेरा मत है कि इस आधार पर भारत को पहल करनी चाहिये।

हमें केवल कानूनी औपचारिकता पर ही नहीं चलना चाहिये। हमें यह कहना चाहिये कि यदि को सम्मानपूर्वक समझौता हो सके तो हम इसके लिये तैयार हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर के संबंध में अपनी स्थिति पुनः स्पष्ट कर देने से ही कोई लाभ नहीं होगा। हमें यह विधेयक नहीं स्वीकार करना चाहिये क्योंकि इससे लाभ तो कोई होगा नहीं बल्कि इस समस्या को सुलझाने, भारत पाकिस्तान सम्बन्धों को और अच्छा बनाने और विश्व के इस भाग में शान्ति स्थापित करने में रुकावट पड़ेगी।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Shri Prakash Vir Shastri has explained the circumstances in which he presented this bill. The bill is welcome. The framers of the Constitution had themselves used the word temporary with some purpose because they felt that after some time the article will have to be abrogated.

It has been repeatedly said in this house that Jammu and Kashmir is an integral part of India. There is absolutely no doubt in this regard. The responsibility of the Centre is as much regarding this state as it is in the case of other states.

It is high time to abrogate this article. Any further delay in this regard will give rise to a lot of discussion in other countries, in Pakistan and China. The Bill may be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon. Thereby the Government would come to know of the strong public opinion in favour of omission of article 370.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand) : Sri Prakash Vir Shastri has done a service to Kashmir and the people of whole of India by bringing forward this bill.

The Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir has become the Governor and the Prime Minister of that State has become the Chief Minister, still the flag of that State is different from our national flag. Until that flag is there, we cannot believe that Kashmir has become a part of India. There can be no real integration so long as article 370 is not abrogated.

It is strange that although the State of Jammu and Kashmir is an integral part of India yet Indians not belonging to that State cannot acquire or purchase any property in that State. That is one of the main reasons of in dustrial backwardness of Jammu and Kashmir.

Shri Lal Bahadur Shastri had said that Kashmir was not negotiable that has brought some change in the attitude of foreigners. If we want complete integration of that State with India, article 370 should be abrogated. It is difficult to understand why the government is not abrogating that article, when the people of that State themselves want it. I request the Minister of Home Affairs to accept this bill.

Shri Samnani (Jammu and Kashmir) : I do not know why the Government is insisting on retaining this article. There is no justification for its retention. We fail to understand why the government is not taking any action in this regard inspite of the fact that we have accepted and declared a number of times that Jammu and Kashmir is an integral part of India.

At the time of Pakistani invasion on the State of Jammu and Kashmir the people were called upon to help them in the name of Islam, but they did not do so. They feel that why should a sword of Democles be kept hanging on their head when they have decided to throw their lot with India.

The present policy of inaction and indecision is doing a great harm to the people of Jammu and Kashmir. The government should understand that such policy is encouraging certain elements in the state. As a result of the present policy of the Central Government, the pro-India elements in the state received a set back whereas pro-Pakistani people had gained strength. By the continuance of that article and things like that, the people of that State had been deprived of appreciating the real image of India and real meaning of democracy.

There is nothing strange if the communist party has changed its line of thinking. Shri H. N. Mukherjee may go to the extent of pleading for Srinagar being handed over to Pakistan. If this article is allowed to remain, will the Plebiscite front be allowed to plead for a plebiscite in the valley of Kashmir. The government should act boldly and abrogate article 370. There should be no fear in that regard. If such a decision is taken and inplemented, nothing will happen in the state of Jammu and Kashmir.

People are now thinking in terms of the separation of Jammu and Kashmir. The only solution of all those questions is the abrogation of article 370. The people of Kashmir continue to say that they are integral part of India, but the government is not prepared to complete that integration. The people of Kashmir are living in a state of uncertainty for the last 18 to 19 years. If you dont take any action to remove that uncertainty there will be a division of Jammu and Kashmir and you will not be able to do anything. I once again appeal for abrogation of that article.

दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक

THE DELHI SECONDARY EDUCATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री सोनवणे (पंढरपुर) : श्रीमान्, मैं दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के उत्तम संगठन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

साक्ष्य

Evidence

श्री सोनवणे : श्रीमन्, में दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के उत्तम संगठन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 152,370 आदिका हटाया जाना)--जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLES 152,370 ETC—*Contd.*)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : प्रस्तावक महोदय का यह विधेयक प्रस्तुत करने का उद्देश्य संवैधानिक तथा कानूनी रूप से जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाना है। मुझे मालुम नहीं कि कुछ सदस्य इस बारे में चिन्तित क्यों है। जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के बारे में हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं। उनका भारत के साथ मिलने का कानूनी रूप से उतना ही अधिकार है जितना कि किसी अन्य राज्य के लोगों का जैसे पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, आदि, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : पाकिस्तान के सम्बन्ध में कह रहे थे कि हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिये। उन्हें इस प्रकार का परामर्श पाकिस्तान अथवा चीन को देना चाहिये था। भारत ने 18 कीमती वर्ष खो दिये हैं। जो कुछ 1948 में किया जाना चाहिय था, वह 1966 में भी नहीं किया गया है। भारत सरकार को वास्तविक स्थिति समझनी चाहिय और उसे यह समझाना चाहिये कि वह जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को बहुत समय तक अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रख सकते।

ताशकन्द समझौते में कहा गया है कि काश्मीर के बारे में बातचीत नहीं की जा सकती, फिरभी विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह कह रहे है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। कठिनाई इस बात की है कि हम जम्मू तथा काश्मीर में ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे है जो भारत के हित में और जम्मू तथा काश्मीर के भारत के साथ एकीकरण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को बताया जाये कि जब उनके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है।

पंजाबी सूबा, हरियाना प्रान्त तथा हिमाचल प्रदेश 3 मास के अन्दर बन गये हैं, परन्तु जम्मू तथा काश्मीर के बारे में अभी तक अनिश्चितता है। इसका कारण यह है कि हमारे मंत्री अपने अपने राज्य की बात सोचते हैं, परन्तु कोई जम्मू तथा काश्मीर के बारे में नहीं सोचता। भारत सरकार को अनुच्छद 370 समाप्त करने और जम्मू तथा काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के बारे में सोचना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपलानी (अमरोहा) : जम्मू तथा काश्मीर का इतिहास दुखद इतिहास है। मालूम होता है कि उसके शेष भारत के साथ विलय के मामले में घोर गलतियां जारी रहगे। संसद के अधिनियम के अनुसार रियासतो के शासक भारत तथा पाकिस्तान में से किसी के साथ मिल सकते थे और काश्मीर के शासन ने भारत के साथ विलय किया। फिर भी हम जनमत तथा आत्मनिर्णय की बातें करने लगे, देश के किसी भाग में आत्म निर्णय अथवा जनमत की बात समः में नहीं आ सकती।

[श्री जी० भा० कृपलानी]

हम कहते हैं कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है परन्तु क्या हम ऐसी स्थिति में एसी विधि रख सकते हैं जो इस राज्य को शेष देश से पृथक करती है। उसमें आश्चर्य की बात नहीं कि जब तक अनुच्छेद 370 बना रहता है, तब तक जम्मू तथा काश्मीर के लोग हमारी स्थिति को समझ नहीं सकते। विदेशों में कई लोगों ने मुझे कहा है कि वे काश्मीर के बारे में हमारी स्थिति नहीं समझ सकते। हाल ही के युद्ध के बाद काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के संसद सदस्यों के कुछ शिष्टमंडल विदेशों में भेजे गये। परन्तु आप चाहे कुछ करें जब तक अनुच्छेद 370 संविधान में रहेगा, विदेशी हमारी स्थिति समझ नहीं पायेंगे। वे यहां भूमि खरीद सकते हैं और बस सकते हैं किन्तु हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते। वहां चावल आज भी सात आने प्रति किलो हैं जब कि यहां रुपया प्रति किलो से कम नहीं। जम्मू तथा काश्मीर में एम० ए० कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इस प्रकार विदेशी लोग क्षेत्र जम्मू तथा काश्मीर के बारे में हमारी स्थिति को नहीं समझ सकेंगे।

यदि हम देश के एक भाग के साथ किसी विशेष ढंग में व्यवहार करते हैं और फिर हम यह कहत ह कि वह भारत का अभिन्न अंग है, तो यह एक बहुत ही बेतुकी सी बात हो जाती है। किन्तु हमारे इस व्यवहार का परिणाम यह निकल रहा है कि पाकिस्तान तथा पश्चिम का कोई भी देश हमारे दृष्टिकोण को ठीक–ठीक नहीं समक्ष पा रहे हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि क्या काश्मीर अलबत्ता भारत का एक अभिन्न अंग है अथवा उसकी स्थिति इससे कुछ और ही है। इसलिये काश्मीर का प्रश्न बार-बार उठता रहेगा और देश में शान्ति भी तब तक नहीं आयगी जब तक हम यह घोषित नहीं करते कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां के लोगों को न तो कोई विशेषाधिकार ही प्राप्त होंगे और न ही उन्हें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 370 को समाप्त करना नितान्त आवश्यक है अन्यथा केवल पाकिस्तान से ही नहीं अपितु जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की ओरसे भी समय-समय पर गड़बड़िया पैदा होती रहेंगी और इस प्रश्न पर शायद ही कोई हमारा साथ देगा।

श्री खाडीलकर (खेड) : पाकिस्तान के साथ पिछले संघर्ष के दौरान तथा ताशकन्द वार्ता के अवसर पर पाकिस्तान तथा सभी विश्व शक्तियों स यह बात स्पष्ट की गई थी कि पाकिस्तान की काश्मीर में जनमत अथवा आत्म–निर्णय की मांग को नहीं माना जा सकता ताशकन्द में यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी गई थी कि जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, पश्चिम की कोई भी बड़ी शक्ति अथवा स्वतः पाकिस्तान भी जनमत अथवा आत्मनिर्णय का प्रश्न नहीं उठा सकेगा।

किन्तु ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अब एक नई स्थिति पैदा हो गई है। हमने यह घोषित किया है कि हम न केवल समझौते के शब्दों की ही नहीं अपितु उसकी भावनाओं का भी पालन करना चाहते हैं। समझौते की भावना यह थी कि हम किसी प्रकार भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे हमारे पड़ौसी देश को हमारे विरुद्ध एक और आन्दोलन शुरू करने तथा यह कहने का बहाना न मिले कि हम इस समझौते की भावनाका उल्लंघन कर रहे हैं। यदि काश्मीर में भिन्न विचार धारा वाले कुछ थोड़े से लोग हैं, तो उनके साथ तर्क करके उन्हें मनाना आवश्यक है। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिये और हमें निश्चित रूप स जान लेना चाहिये कि व पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते।

मेरे विचार में इस विधेयक को, जो दूसरी बार प्रस्तुत किया है, इस समय लाना बिलकुल अनावश्यक है। सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही कुछ-कार्यवाही की है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

काश्मीर तथा अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में क्षुब्ध व्यक्तियों को समूची पृष्ठभूमि समझनी चाहिये गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा उठाये गये कुछ पगों के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में अनुच्छेद 370 धीरे-धीरे स्वत: प्रभावहीन हो गया है ।

यदि इस अनुच्छेद को तुरन्त भी समाप्त कर दिया जाये, तो भी उससे स्थिति में कोई परिवतन होगा, अत: ऐसी स्थिति में जब कि हमने ताशकन्द समझौते के शब्दों तथा भावनाओं का पालन करने का वचन दिया है और जबकि यह अनुच्छेद गृह-कार्य मंत्री द्वारा उठाये गये ठोस पगो के फलस्वरूप स्वत: व्यर्थ हो गया है इस पारित करने में देश को स समय कोई लाभ नहीं होगा ।

Shri Tyagi (Dehra Dun) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is really a matter of regret that our Government's policy in respect of Kashmir has so far been guided by its desire to keep the world pleased. We should frame our policy not please others but to serve the cause of the nation and therefore, what should have guided the government was country's interest. The Government should have raised its policy according to political exigencies and the requirements of the time and circumstances. It is the solemn and foremost duty of the Government to see that their policy did not damage and adversely effect the national interests and as also the country's image.

The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir decided :—

"We the people of the State of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved, in pursuance of the occasion of this State to India, which took place on the 26th of October 1947, to further define the existing relationship of the state with the Union of India as an integral part thereof and to secure to ourselves, social, economic and political...". They further defined:

"The State of Jammu and Kashmir is and shall be anintegral part of the Union of India. The territory of the state shall comprise all the territories which on the 5th day of August 1947 were under the soverignty or suzerainty of the ruler of the State."

Thus the declaration included the areas that have been illegal occupied by Pakistan. But the Government of India in its anxiety to please certain world-powers did not lay stress on our claim on that territory and they also failed to see that Pakistan was asked to vacate these illegally occupied areas.

We call Jammu and Kashmir an integral part of India yet we treat this part of the country in a special manner and then we say it is a part and parcel of India, then it becomes incongruous. We are not allowed even to purchase or acquire any land or property in that state. It is really strange. When that territory is ours, it should not have a position different from other parts of the country. The time has come when the Government should act in a firm and strong manners.

So far as the demand for abrogation of article 370 of the constitution is concerned, the Government may be asked to bring a new legislation with objectives to remove all such distinctions and barriers whether they exist in Jammu and Kashmir or NEFA or Nagaland.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Sir, the plea in favour of the retention of article 370 cannot be substantiated by putting forward the excuse of the Tashkent Agreement and that we are committed to abiding by it in spirit and

[Shri Kashiram Gupta]

letter. The fact, of course, is that if we want Jammu and Kashmir should really become an integral part of India, we should see that article 370 was abrogated and other distinctions and barriers that existed in Jammu and Kashmir today were removed.

Sir, this article has created difficulties for the people of Jammu and Kashmir itself and they have certain handicaps. The recent war with Pakistan and the present attitude of that country even after the Tashkent Agreement makes it still more necessary that article 370 is omitted and Jammu and Kashmir is fully integrated.

This contention that article 370 is being slowly eroded by other measures concrete steps being taken or already taken by the Ministry of Home Affairs does not convince and satisfy the people because we still treat this part of the country in a special manner and then it becomes incongruous.

If we abrogate article 370, we will be able to solve the problems of Mizo Hills and Nagaland also more effectively.

With these words, I whole-heartedly support the Bill.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : उचित समय पर विधान प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तावक महोदय बधाई के पात्र हैं। जब तक सरकार संवैधानिक रूप से काश्मीर का भारत के साथ विलय नहीं करती, तब तक उसे विश्व से यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यदि वह ऐसा कहती है तो वह यह आशा नहीं कर सकती कि विश्व के अन्य देश इस दावे को स्वीकार कर लेंगे।

काश्मीर को शेष भारत से वस्तुतः अलग रखा जा रहा है, उसे एक विशेष स्थिति दी हुई है। सरकार की इस नीति के कारण ही पाकिस्तान अथवा अन्य कोई राष्ट्र यह दावा करता है कि काश्मीर वास्तव में भारत का अभिन्न अंग नहीं है। सरकार को या तो काश्मीर का विलय कर देना चाहिए अथवा इस सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयों को स्पष्टतः तथा निष्पक्ष रुप से जनता के सामने रख देना चाहिये।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : प्रस्तुत विधेयक के लिये श्री प्रकाशवीर शास्त्री बधाई के पात्र हैं; उन्होंने एक बहुत आवश्यक विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है।

काश्मीर पर हाल के आक्रमण ने हमारी आखें खोल दी हैं। घुसपैठिये, जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थे हजारों की संख्या में आ गये थे और यह तो ईश्वर की कृपा थी कि हम बच गये। आज हमें पूर्ण रूप से यह महसूस करना चाहिये कि काश्मीर का पूर्ण रूप से विलय न करने के क्या अर्थ निकलते हैं।

एक ओर सभी सीमाओं की भेद्यता तथा दूसरी ओर पाकिस्तान तथा चीन के साथ निरन्तर मन मुटाव के कारण सरकार का कर्तव्य ही नहीं अपितु दायित्व हो जाता है कि वह देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर पूरा ध्यान दे। इन क्षेत्रों में असैनिक सरकार की कार्यवाहियों पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये और उनके प्रति अत्यधिक सर्तक रहना चाहिये।

कुछ विशेष कारणों से ही संविधान में अनच्छेद 370 की व्यवस्था की गई थी। एक प्रकार से जम्मू तथा काश्मीर को इससे बहुत लाभ हुआ है। किन्तु इतना समय गुजर जाने के बाद इससे कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मानसिक एकता को बल नहीं मिल रहा है; उसका अभाव है जिसके फालस्वरुप भारत-विरोधी तत्वों को गड़बड़ी पदा करने में सहायता मिलती है।

अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और हालात बहुत खतरनाक हैं। अब समय आ गया है जब सरकार को चाहिये कि वह इस ओर पूरा ध्यान दे और दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य से भी एक नया सम्बन्ध कायम करे। हो सकता है कि प्रस्तुत विधेयक का प्रारुप अच्छा न हो, किन्तु जहां तक उसके उद्देश्य का सम्बन्ध है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। सरकार को स्वयं इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

Shri Bishan Chander Seth (Etah) : Mr. Deputy Speaker, Sir, as regards Jammu and Kashmir, we have given it a position different from other parts of our country and we treat this part of the country in a special manner which is against the wishes of the people, the public demand for the removal of this special position and other distinctions must be taken note of by the Government. This is a timely measure and I wish and hope the government would accept this Bill. This matter being an important one, the Government should not issue any whip so that Members could express their views frankly.

श्री गोपाल दत्त मेंगी (जम्मू तथा काश्मीर) : सरकार को चाहिये कि वह जम्मू तथा काश्मीर पर भारत के संविधान को पूर्णत: लागू करने के लिये सक्रिय कदम उठाये जिससे वहां के लोग सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों से लाभ उठा सके, संसद के लिये जम्मू तथा काश्मीर से प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : यह प्रसन्नता की बात है कि काश्मीर के बारे में अधिकतर सदस्यों ने वही रवया अपनाया है जो इस सम्बन्ध में सरकार तथा सारे राष्ट्र ने अपनाया हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस सम्बन्ध में हम किसी ओर से किसी भी चुनौती का सामना अवश्य करेंगे। यह लोगों की एकता ही थी जिसने सरकार को पाकिस्तान की चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान की थी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने तो पहले भी इस बारे में विधेयक प्रस्तुत किया था। इस बार भी वह इस विधेयक पर बड़े जोर से बोले है। उन्होंने पाकिस्तान की आक्रमक गतिविधियों का उल्लेख किया। उन्होंने ताशकंद समझौते का भी उल्लेख किया। हम शान्तिप्रिय लोक हैं परन्तु जब समय आया तो हमें मजबूर हो कर लड़ना पड़ा। जब हम ने समझा कि झगड़ा समाप्त हो सकता है तो हमने ताशकंद समझौते को स्वीकार कर लिया। हम अब भी ताशकंद समझौते का पालन करते हैं परन्तु हाल को पाकिस्तान की हरकते देखने से हमारा दिल खराब हो रहा है। जैसे प्रतिरक्षा मंत्री जी ने कहा है पाकिस्ताम ने चीनी और अमरीकी हथियारों को रावलपिंडी के बाजारों में प्रदर्शित किया है। हमें इन सब बातों का पता है। परन्तु हमें अब भी विश्वास है कि पाकिस्तान यह महसूस करेगा कि शक्ति और हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह दोनों देशों के लिये अहितकर होगा।

तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या विधेयक को पास करने के लिये अभी समय उचित नहीं है। आखिरकार इस विधयक का उद्द्श्य क्या है। लोगों में यह धारणा घर कर गई है कि अनुच्छेद 370 के रहने से काश्मीर भारत का अंग नहीं रहता। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता को इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि काश्मीर भारत का अंग है। संविधान में भी स्वीकार किया गया है कि काश्मीर भारत का अंग है। इस बारे में अनुच्छेद 1 में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अत: कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

जहां तक विभिन्न कानूनों तथा प्रशासनिक प्रणालियों के एकीकरण का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 370 सारे संविधान को लागू करने का एक सरल ढंग है। समय समय पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किये गये हैं। संविधान में संशोधन किये बिना राष्ट्रपति के ये विभिन्न आदेश जारी करने से जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर विभिन्न कानून लागू करना सम्भव हो गया है। उसी आदेश के अन्तर्गत संपूर्ण अनुच्छेद 370 समाप्त किया जा सकता है।

[श्री हाथी]

अब प्रधान मंत्री तथा सदरे-रियासत आदि वाक्यांशों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। उनके स्थान पर अब उन्हें अन्य राज्यों की तरह मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल कहा जाता है।

जहां तक लोक सभा के लिये सदस्यों के नाम–निर्देशन का सम्बन्ध है हम राष्ट्रपति आदेश जारी कर रहे हैं जिससे सीधे चुनाव हो सकेंगे। चुनाव कार्य का भार चुनाव आयोग पर होगा। भारत के चुनाव आयोग का कार्य जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संसद तथा राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के पद के चुनाव कराना ही नहीं बल्कि राज्य विधान मण्डल के चुनाव करना भी होगा। संविधान के निर्वचन सम्बन्धी मामलों में उच्चतम न्यायालय का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अन्य राज्यों के समान क्षत्राधिकार है। जम्मू तथा काश्मीर के उच्च न्यायालय के न्याय-धीशों की सेवा की शर्तें भारत के अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायधिशों के समान कर दी गई है। भारत प्रशासन सेवा का भी समान केडर है। जम्मू तथा काश्मीर में भी स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के बाद वकालत करने पर प्रतिबन्ध है। 1958 में जम्मू तथा काश्मीर ने भी अन्य राज्यों के समान भारत प्रशासन सेवा तथा भारत पुलिस सेवा स्वीकार कर लिया।

श्री गोपाल दत्त मैंगी (जम्मू तथा काश्मीर) : मेरी जानकारी तो यह है कि जम्मू तथा काश्मीर में भारत प्रशासन सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तें भिन्न हैं।

श्री हाथी : हमारे अधिकारी वहां भी है।

श्री गोपाल दत्त मैंगी : जम्मू तथा काश्मीर में हम अधिकारियों को नि:शुल्क निवासस्थान देते हैं जबकि अन्य स्थानों में नहीं। वहां पर हम उन के वतन से काट के 100 रुपये लेते हैं जबकि अन्य राज्यों में 150 रुपये ड्राइवर के दिये जाते हैं।

श्री हाथी : यदि कहीं पर कुछ सुविधायें दी जायें तो इस का यह मतलब नहीं कि भारत प्रशासन सेवा का केडर समान नहीं है। हम अन्य स्थानों पर भी जैसे अन्दमान में कुछ पदों के लिये विशेष भत्ते देते हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सारी समस्या न्यायिक प्रणाली, कानूनी प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, पुलिस प्रणाली, चुनाव प्रणाली, औद्योगिक प्रणाली आदि की है। औद्योगिक विनियम, श्रम सम्बन्धी कानून, उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कानून, सीमा शल्क सम्बन्धी कानून, डाक व तार नियम वहां लागू किये गये हैं। हाल ही में हमने उस राज्य पर अनुच्छेद 356 तथा 357 भी लागू किये हैं जिसका तात्पर्य यह है कि हम वहा पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकते हैं। जब भी आवश्यक होगा हम वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकेंगे। जब राष्ट्रपति सारे राज्य पर शासन कर सकता है तो कौन कह सकता है कि वह भारत का अंग नहीं है।

राष्ट्रपति का शासन केवल अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत ही लागू नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 356 और 357 के अधीन भी वह लागू किया जा सकता है क्यों कि वे अनुच्छेद उस राज्य पर लागू होते हैं।

अत: मैं विधेयक की भावना का बिल्कुल विरोध नहीं करता हूं कि काश्मीर भारत का अंग है। इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि संविधान के उपबन्ध जम्मू तथा काश्मीर पर लागू किये जाने चाहिये। परन्तु जो सुझाव दिये गये हैं उनपर मुझे आपत्ति है। सुझाव यह दिया गया है कि अनुच्छेद 370 समाप्त किया जाना चाहिये। परन्तु हम अनुच्छेद 370 की शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं। दूसरे यदि हम अनुच्छेद 370 को हटा दें तो अनुच्छेद 368 से बाधा पड़ती है। उस उद्देश्य को हम राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

हमें इस बात का भी कोई डर नहीं है कि अन्य देश क्या कहेंगे। हमने सभी का बता दिया हुआ है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का भाग है। हमने केवल कानूनो को लागू करके ही नहीं परन्तु उन कार्यों द्वारा भी स्पष्ट कर दिया है जो हमने पिछले सितम्बर में किये थे। इस बारे में कोई शक नहीं हो सकता है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि हमें वर्तमान व्यवस्था जारी रखनी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I am thankful to the hon. Members who have supported my Bill. Out of about twenty persons who have taken part in the discussion almost everyone barring one or two have supported it. I was expecting opposition from Shri Kapur Singh and Shri Khadilkar. But I was surprised to hear the views of Shri Hiren Mookherjee. Last time when this Bill was introduced the Communist Party had supported the idea to abrogate Article 370. But this time there has been a change in their policy. Shri Mookherjee has said that looking at the Tashkent Declaration we should not take such a decision. I don't know whether Shri Mookerjee and Shri Hathi still think that that agreement is still followed by Pakistan. The Hon. Finance Minister has so many times said in this House that Pakistan is not implementing the Tashkent Declaration as she should implement. Therefore Tashkent Declaration should not be referred in abrogating Article 370.

There are six representatives of Jammu and Kashmir in this House. Out of them five have said that with the prevalence of Article 370 the people of Jammu and Kashmir will remain in doubt about their future.

Shri Gopal Datt Mengi : The sixth one is also supporting these views.

Shri Prakash Vir Shastri : Just see, even the sixth member, who could not get a chance to speak is agreeable with the views. So, for God's sake, kindly abrogate this Article and remove the doubts of the people of Kashmir.

The Hon. Minister says that we have implemented such and such Article of the Constitution in Jammu and Kashmir. We have also extended the rights of Election Commission etc. but I would like to know the laws which have not been implemented there and the reasons therefor?

The paradoxical thing is that government has claimed that Kashmir is a part of India but many laws have still not been implemented there. Even in the new Bills this provision is there that it will not apply to that State.

Shri Hathi has not said anything more than what was said by Shri Nanda eighteen months back when this Bill was first introduced in this House.

When Government can issue Presidential order in that state then here they not felt any its necessity for the last eighteen months? Keeping in view State Government's failure to prevent infiltrators in Jammu and Kashmir why Government has not issued Presidential order there? It should be the responsibility of Government to see that the infiltrators do not enter that State. This responsibility should not be left on the State Government.

I would like the Government to tell as for how long this Article will continue and what are the difficulties that they are facing in abrogating it. Had This thing been cleared to us we would have been satisfied.

If there has been left any lacuna in my Bill the Government can introduce their own Bill. They should give us an assurance in that regard. In case Government cannot accept this Bill they should at least declare that they are going to abrogate Article 370. With these words I would seek leave of the House to withdraw this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री विश्वनाथ पाण्डेय अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं सभा की अनुमति से इसे वापिस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले सकते हैं ।

बहुतसे माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।/*The Amendment was by leave withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री प्रकाशवीर शास्त्री अपना विधेयक वापिस ले सकते हैं ।

बहुत से माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभा की अनुमति से विधेयक वापिस लिया गया ।/*The Bill was, by leave, withdrawn.*

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF MEMBER

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को सेन्ट्रल जेल, हैदराबाद, अधीक्षक से दिनांक 30 मार्च, 1966 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में यह सूचना दी गई है कि लोक सभा के विरुद्ध सदस्य, श्री लक्ष्मण दास को 29 मार्च, 1966 को रिहा कर दिया गया है ।

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 75 AND 164)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । यह विधेयक बहुत सरल और अविवादास्पद है । सभा इसे बिना कठिनाई के स्वीकार कर सकती है ।

मैं इस विधयक के माध्यम के संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करना चाहता हूं । इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैं प्रथम सदन और उत्तर सदन की तुलना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि संविधान में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है ।

[**श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : सभापति महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घण्टी बजा दी गई है । गणपूर्ति न होने से सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 4 अप्रैल, 1966/14 चैत्र, 1888 (शक) के 11 म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, April 4, 1966/*Chaitra* 14, 1888 (*Saka*).

भा० स० मु० ना०–वि०१–48 लोक सभा।66—9-8-67—600